खण्ड-344, अंक-2
सोमवार, 16 आषाढ़, शक संवत् 1902
(7 जुलाई, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	45–49
प्रश्नोत्तर	49–54
विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव तथा नव निर्वाचित विधान सभा अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र को बधाई	54–61
अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा	61
कतिपय विषय	61
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	61
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	62
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियाँ (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज वेल्फयर आफिसर्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 1980(सदन के पटल पर रखी गयी)	63
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63
कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64
उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	65
विघटित सप्तम विधान सभा के अंतिम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	65
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1978–79 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	65
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 (शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	65
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	65
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	65
उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	66
उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	66
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	66
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	66
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	66
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	67
उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (राष्ट्रपति महीदय की अनुमति की घोषणा) ..	67
विधान सभा सदस्य, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की गिरफ्तारी एव रिहाई की सूचना. .	67
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	67–68
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	68
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	68
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	68

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया) 69

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया) 69

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 69–76

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 76–116

1980–81 के लिये कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन की सूचना 117

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारिण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..117–118

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..118–119

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 119

नत्थियाँ 120–149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में कार्यकारी अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 391

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिलसिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)।
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए.सी. ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रकाश, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)

गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोबरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बाँदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पियौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जी राज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीनू, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नंकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पियौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परवीन कुमार, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नरायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)

प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगल देव, श्री (गोण्डा)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यसफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेंश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेंश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोण्डा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरली धर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)

राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासबान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)

शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेई, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनीलशास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हर नरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

7 जुलाई, 1980

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव की मांग

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री मोहन सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला परिषद् क्षेत्र समितियों तथा ग्राम सभाओं के चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव ग्राम सभाओं के चुनाव के उपरान्त ही होते हैं। ग्राम सभाओं के चुनाव कराने में बिलम्ब इसलिए हो रहा है कि निर्वाचन विभाग को मत पत्र, नाम निर्देशन पत्र, प्रपत्र तथा पुस्तिकायें आदि छपाने के लिए पर्याप्त समय लगेगा। इसके अतिरिक्त निर्वाचन प्रक्रिया के लिए ही दो माह का समय चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य भी अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। हाल ही में लोक सभा चुनाव तथा विगत माह मई, 1980 में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों के कारण निर्वाचन विभाग का सारा स्टाफ अत्यन्त व्यस्त रहा और गाँव सभाओं के चुनाव के लिए उपरोक्त सभी तैयारियों में व्यवधान आ गया। इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का चुनाव एक निश्चित अवधि के भीतर सम्पन्न करा दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि यह चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे। मेरी मंशा जानने की थी कि निश्चित तिथि या माह बतायेंगे लेकिन उत्तर दिया है कि एक निश्चित अवधि के भीतर चुनाव करा दिये जायेंगे। मान्यवर, उत्तर की नीचे से चौथी लाईन पढ़ें, जिसमें कहा है कि "चुनाव के लिये उपरोक्त सभी तैयारियों में व्यवधान आ गया" इसका मतलब गाँव सभाओं के चुनाव की तैयारियाँ करा रहे थे, इसलिये व्यवधान आ गया।

कार्यकारी अध्यक्ष—

कृपा करके प्रश्न पूंछें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह निश्चित अवधि क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, चुनाव में जो सारी प्रक्रिया अपनायी जाती है, वह अपनाई जायेगी और जैसे ही वह क्रिया पूरी हो जायेगी चुनाव सम्पन्न करा दिये जायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कायदे कानून के मुताबिक यह चुनाव कब हो जाने चाहिये थे और चुनाव हो जाने की जिम्मेदारी किस पर थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला परिषदों के चुनाव अक्टूबर, 1979 में होने थे चूंकि जिला परिषद् 1974 में बनी थीं लेकिन अपने समय से पहले ही इनको बीच में ही समाप्त कर दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि निश्चित अवधि कौन सी होगी ? दूसरा सवाल जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि पहले चुनाव में जो व्यवस्था थी, डाइरेक्ट इलेक्शन की तो वह होंगे और 18 वर्ष आयु वालों को मतदान का अधिकार होगा या इसमें सरकार परिवर्तन करने का विचार कर रही है या पुरानी नीति के अनुसार चुनाव होंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, चुनाव के निश्चित अवधि का जहाँ तक संबंध है, तो जिला परिषदों की जो अवधि थी, अक्तूबर 1979, तो वह किन्हीं कारणों से जिला परिषदों को अपने समय से पहले ही बीच में समाप्त कर दिया गया। इसलिये निश्चित बात यहाँ समाप्त हो जाती है। दूसरी बात प्रक्रिया के संबंध में है, तो यह शासन के विचाराधीन है और केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण कुछ बातों पर माँगा है। तो केन्द्र सरकार से जैसे ही सूचना मिल जायेगी वैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विचाराधीन है, यह मैं जानना चाहता हूं।

कार्यकारी अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैंने श्री रियासत हुसैन को बुला लिया है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि .....

श्री मित्रसेन—

जिनके प्रश्न हैं उनको पूछने का मौका दें ....

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार के जमाने में जो कारण इन चुनावों को बार-बार मुल्तवी करने के लिए बार-बार सदन में रखे गये और अब जो कारण बतलाये गये है, दोनों में भिन्नता हैं, एक बात स्पष्ट रूप से बतलायेंगे कि अशोक मेहता कमेटी की रिकमेन्डेशन भी इन कारणों में शामिल होगी या नहीं होगी या केवल जो रीजन बतलाये हैं इन्हीं को पूरा किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहाँ तक शासन की नीति का सवाल है, मैं सन्मानित सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है कि हम शासन का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, तो सरकार की नीति इस मामले में बिलकुल स्पष्ट है कि यह तमाम जितनी इकाईयाँ हैं, चाहे जिला परिषद हो, ब्लाक हो, वहाँ पर हम चाहते हैं पब्लिक पारटिसिपेशन, जो पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव, प्रतिनिधि हैं। जहाँ तक अशोक मेहता रिपोर्ट का उल्लेख माननीय सदस्य ने दिया, इससे पहले एक पत्र केन्द्र सरकार को मार्ग दर्शन के लिए भेजा गया था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। हम इस पर एक रिमाइन्डर भेज रहे हैं। जैसे ही यह प्राप्त हो जायगा, उसके अनुसार कार्यवाही शुरू करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सवाल कुछ और जवाब कुछ। चुनाव के बारे में माननीय मंत्री जी यह नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक करा दिये जायेंगे लेकिन आप अपने जवाब में यह कह रहे हैं कि निर्वाचन विभाग को मत पत्र, नाम निर्देशन पत्र, प्रपत्र तथा पुस्तिकायें आदि छपाने के लिए पर्याप्त समय लगेगा। इसके बारे में बड़े चिन्तित हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे तथा क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, ये जो बातें इसमें लिखी गयी हैं सम्मानित सदस्य को सूचना दी गयी थी और सम्मानित सदस्य जानते हैं कि यह प्रक्रिया चुनाव के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी चुनाव कराने के लिये इस प्रक्रिया को कराना जरूरी होता है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया शासन शीघ्र ही चुनाव कराने के लिए वचन बद्ध है। हम शीघ्र ही चुनाव करायें लेकिन यह सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद और केन्द्र सरकार से मार्ग दर्शन आ जाने के बाद चुनाव सम्पन्न करायें जायेंगे।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित....

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का आधा उत्तर आया है। क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे अथवा अप्रत्यक्ष इसका जवाब नहीं दिया....

श्री कार्यकारी अध्यक्ष —

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसी भी सदस्य को स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विगत शासन ने अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट में ग्राम सभा, क्षेत्रीय समिति, जिला परिषद् चुनावों में कुछ संशोधन करना चाहा। उन संशोधनों में कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वर्तमान सरकार स्वीकार कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह बात शासन के विचाराधीन है । हम विचार कर रहे हैं कि कौन-कौन सी चीजें स्वीकार की जायेंगी ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विगत शासन ने यह निर्णय लिया था कि जिला परिषद् के चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होंगे और मतदाताओं की आयु 18 वर्ष की होगी। क्या मौजूदा शासन इस नीति में कोई परिवर्तन कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, निश्चयात्मक रूप से, कि क्या वर्ष 1980 के अन्तर्गत ये सभी चुनाव सम्पन्न होंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, अगर सारी प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई और जो मार्ग दर्शन चाहा है, वह प्राप्त हो गया, तो 1980 में चुनाव हो सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या शासन ने भारत सरकार को इस बात का कोई परिपत्र भेजा है कि शासन को आज्ञा दी जाय कि सितम्बर, 80 तक स्वायत्तशासी संस्थाओं और जिला परिषदों का चुनाव करा दिया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहाँ तक जिला परिषदों का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश सरकार से एक परिपत्र केन्द्र सरकार को गया हुआ है, उसका जवाब आ जाय तभी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या पंचायत राज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के चुनाव नहीं हो जाते हैं उस समय तक वहाँ के कार्य संचालन के लिये सलाहकार समितियाँ बनाने पर वह विचार कर रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा मैंने निवेदन किया सरकार जन प्रतिनिधियों और जनता का सहयोग लेने के लिये हर मुमकिन कदम उठा रही है । अगर इसकी आवश्यकता हुई तो यह भी किया जा सकता है ।

श्री राज मंगल पाँडेय—

क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि 1985 तक जब तक शासन का टर्म है इन समितियों का चुनाव हो जायगा या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

उससे पहले चुनाव हो जायेंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

केन्द्र में जो पत्र भेजा है, उसके कंटेंट क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

पत्र की मूल प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है लेकिन यह पत्र इस सरकार के आने से पहले भेजा जा चुका है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि मार्ग दर्शन के लिये केन्द्र को लिखा है, तो किस तारीख को पत्र लिखा गया है और किस तारीख तक उनको मार्ग दर्शन प्राप्त हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने निवेदन किया था कि पत्र इस सरकार के आने से पहले लिखा जा चुका है। उसका रिमाइंडर यहाँ से जा रहा है। केन्द्र सरकार से जिस समय उत्तर प्राप्त हो जायगा, उस पर कार्यवाही की जायगी।

उर्वरकों के मूल्य का निर्धारण

**2--श्री सुनील शास्त्री--

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के रसायनिक उर्वरकों के विक्रेता अपने पुराने स्टाक को नये बढ़े हुये दामों पर बेच रहे हैं जिससे कृषकों को कष्ट तथा जखीरेबाजी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन पुराने स्टाक के नये दामों पर विक्रय को रोकने हेतु अविलम्ब कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

उर्वरकों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं। केन्द्र सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये थे कि पुराने स्टाक को नई दर से नहीं बेचा जायगा। अतः राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुनील शास्त्री--

क्या शासन, प्रदेश के कृषकों को जो इस सम्बन्ध में कठिनाई पहुंच रही है, उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं कर रही है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, सरकार महसूस करती है कि रेट बढ़ने से किसानों को जरूर कठिनाई है। प्रदेश की सरकार ने छोटे किसानों और सीमान्त किसानों की मदद करने के लिये सब्सिडी की घोषणा की है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है कि 8 जून के पहले पूरे प्रदेश के हर जिला अधिकारी के पास वायरलेस द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि खाद और फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गयी है, इसलिये हर स्टाक पर बढ़े हुये दाम लाग होंगे। उस बीच में जब स्टाक की चेकिंग हुई है, तो उससे पहले उन लोगों ने खाद की बोरियों को अपने गोदामों से हटा दिया और बहुत थोड़ा सा स्टाक ही आपको चेकिंग के वक्त दिखाया। उस समय क्या आपका ध्यान उस तरफ गया है? क्या आप जाँच करके सम्बन्धित दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य इस तरह की कोई शिकायत सरकार की नोटिस में लाते हैं, तो उसकी जाँच करा ली जायेगी और सम्बन्धित लोगों के ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह सच है जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा है कि उर्वरकों की कीमत केन्द्रीय सरकार तय करती है, लेकिन क्या सरकार विचार करेगी कि जो उसके अपने निजी गोदाम हैं जैसे कृषि विभाग के, या कं आपरेटिव विभाग के या एग्रो के, जिसकी मालिक सरकार स्वयं है उनके उर्वरको को पुरानी कीमत पर बेचने के लिये निर्देश देगी?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो पुराने स्टाक हैं 8 जून से पहले के, अगर कोई शीर्षस्थ संस्था उस रेट पर न बेचकर नये रेट पर बेचती है, तो जो नये और पुराने रेट में अन्तर पड़ेगा उसका भार उस शीर्षस्थ संस्था पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इस भार को वहन कर सके।

श्री धर्मवीर सिंह (मेरठ)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो गवर्नमेन्ट के स्टाक हैं, विभिन्न विभागों में, जैसे कृषि है, उनके उर्वरकों को बढ़े हुये दामों पर बेच देने के लिये जो निर्देश जिलों को सरकार ने भेजे हैं, वे सम्बन्धित विभागों को दस-बारह दिनों में पहुंचे हैं और तब तक उन्होंने उर्वरक को फालत् पैसों में बेच दिया है। क्या मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि जिन दुकानदारों ने इस तरह से बेचकर फेक दिखाया है, उनके विरुद्ध जाँच करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि इस तरह की जानकारी शासन को नहीं है और इस तरह की कोई जानकारी शासन की नोटिस में आ गई तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह बड़े अहम का सवाल है। इस पर मैंने एक कामरोको प्रस्ताव भी दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इससे दो प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि उर्वरक की कीमत केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाई है और दूसरा प्रश्न यह है कि 7 जून को जो स्टाक था उसको नये रेट पर बेचा गया, ऐसा गवर्नमेन्ट का कोई निर्देश नहीं है। मैं आपका ध्यान 1 जून, 1974 की ओर ले जाना चाहता हूं जब यह स्थिति थी.....

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

आपका प्रश्न बहुत व्यापक है। समय कम है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

30 जून, 1974 को उर्वरकों की कीमत बढ़ी थी और अगले जून में उसी वक्त मैंने यह प्रश्न इस सदन में उठाया था। उस समय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से बात करके सदन को यह आश्वासन दिया था और घोषणा की थी .....

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

घोषणा की थी कि जितना पुराना स्टाक है, वह पुराने रेट पर बेचा जायेगा, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से बात करके 7 तारीख तक जो पुराना स्टाक था, उसको पुराने रेट पर ही बिकवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसा है जैसे ही रेट बढ़े सरकार की नोटिस में यह बात आई और तुरन्त ही टैलेक्स कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि जो पहले का स्टाक है, उसे पहले के रेट्स पर ही बेचने की अनुमति दी जाय, वहाँ से उत्तर आया और उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और हमारी मांग रिजेक्ट कर दी और कहा कि पुराना स्टाक नये दामों पर बेचा जायेगा। जो माननीय सदस्य चाहें यह पत्र देख सकते हैं मेरे आफिस में।

विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव तथा नव निर्वाचित विधान सभा अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र को बधाई

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—

अब मैं एजेण्डा के आइटम नं0 2 "अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशित अभ्यर्थी के नाम की घोषणा" को लेता हूं।

एक सदस्य—

मैं नियम 301 के द्वारा आपकी नोटिस में...

श्री कार्यकारी अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठ जायं, शाँति रखें, यह बाद में देखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आज का दिन नियत किया है। उक्त नियम के उप नियम (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन-पत्र कल 6 जुलाई, 1980 को मध्याह्न के पूर्व तक दिये जा सकते थे। निर्धारित समय के भीतर छः नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए जिन सब में श्री श्रीपति मिश्र का नाम प्रस्थापित किया गया है। इनका प्रस्ताव माननीय जगदीश प्रसाद, माननीय राज कुमार संजय सिंह, माननीय अम्मार रिजवी, माननीय लोकपति, माननीय राजेन्द्र सिंह तथा माननीय राम सिंह खन्ना द्वारा किया गया है और इन प्रस्तावों का समर्थन क्रमशः माननीय राम रतन सिंह, माननीय इन्द्रजीत, माननीय प्रताप नारायण, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी माननीय राज मंगल पाण्डेय तथा माननीय जैराज गौतम द्वारा किया गया है। उक्त सब नाम-निर्देशन-पत्र वैध हैं। चूंकि एक ही नाम का प्रस्ताव है अतः इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है और मैं माननीय श्री श्रीपति मिश्र को अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं (तालियाँ बजाई गईं)।

इससे पूर्व कि मैं माननीय नेता सदन से एवं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूं कि वे माननीय श्री श्रीपति मिश्र को अध्यक्ष पीठ पर लाकर आसीन करायें। मैं माननीय श्री श्रीपति मिश्र को सर्व सम्मति से निर्वाचित किये जाने पर बधाई देता हूं। माननीय श्रीपति मिश्र जी का जहाँ तक संबंध है मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय है और 1962 में वह प्रथम बार इस सदन के सदस्य चुने गये थे। 1967 में वे पुनः इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उसके फौरन बाद वे इस आदरणीय सदन के उपाध्यक्ष भी चुने गये थे। 1968 में विधान सभा के भंग होने तक इस पद पर आसीन रहे। 1969 में हुए उप निर्वाचन में वे सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1970 में वे उत्तर देश के शिक्षा मंत्री नियुक्त किये गये उस समय वह विधान परिषद् के सदस्य थे। वर्ष 1976 में वे राज्य मूल्यांकन परिषद् के उपाध्यक्ष और राज्य योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए। आप उन लोगों में से हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप जुडिशियरी के आदमी रहे हैं। आपका कार्य निष्पक्ष रहा है। आपने जो भी निर्णय उपाध्यक्ष के समय में लिये थे उनसे जो उस समय सदस्य थे भली भांति परिचित हैं। ऐसा प्रतीत होता था आप निष्पक्ष निर्णय ले रहे हैं आपके निर्णयों में निष्पक्षता और दूरदर्शिता रहती थी और जनतंत्र में आस्था रहती थी। प्रतीत होता था जनतंत्र में मिश्रा जी को पूरी तरह विश्वास है। इन शब्दों के साथ अब मैं माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, नेता सदन और माननीय राजेन्द्र सिंह जी, नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह माननीय श्रीपति मिश्र जी को लाकर अध्यक्ष सीट पर आसीन करें।

(नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों अपने-अपने स्थान से उठकर श्री श्रीपति मिश्र के पास गये और उन्हें अपने साथ लाकर अध्यक्ष पीठ तक पहुंचाया।)

(11 बजकर 26 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष जी, इस परिमाप **सदन** के विभिन्न दलों के विश्वास के इस समय आप ही कमल-दल हैं। विविध दल भले ही अलग हो, पंखुड़ियाँ अलग हों, लेकिन विश्वास के साथ ही इस समय हमारे केन्द्र हैं। हमें विश्वास है कि जिस तरह से कमल-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

नामि सब दलों को प्रेम-भाव से समभाव से अपना रस प्रदान करती है, उसी तरह से आपका विश्वास सभी दलों को समभाव से मिलता रहेगा। यह विश्वास केवल गरिमामय स्थान, जिसे आपने सुशोभित किया है, उससे नहीं उदय होता है, बल्कि 22 साल का जो आपका जनजीवन रहा है, राजनीतिक जीवन में जो उपलब्धियाँ रहीं, उससे भी उपजता है। 1962 में, जैसा कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने कहा आपको जनता का विश्वास मिला, उसका प्यार मिला, आप इस सदन में आए। सन् 67 में केवल जनता का ही विश्वास नहीं मिला, इस सदन का विश्वास मिला और आपने उपाध्यक्ष का पद सुशोभित किया। आपका वह कार्यकाल संसदीय इतिहास, इस सदन के इतिहास में ऐक कीर्तिमान रहा है, जिसमें आपको सभी दलों का विश्वास प्राप्त हुआ। जनता का विश्वास आपको लोक सभा ले गया और फिर आपकी कार्यक्षमता और कार्य-दक्षता ने आपको इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में स्थान ग्रहण कराया। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यकाल में, जो परम्पराएं हैं, जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, उनकी आप न केवल रक्षा करेंगे बल्कि उसको सुदृढ़ करेंगे और स्वस्थ परम्परायें डालेंगे जो आगे की पीढ़ी के लिए एक माप दंड रहेगी। शासक दल की ओर से और नेता सदन होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और हम लोग आपके मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे। मैं अन्त में पुनः आपको बधाई देता हूं और देश के सबसे बड़े प्रान्त के अध्यक्ष होने के नाते पुनः अभिनन्दन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इस गरिमामय और दायित्वपूर्ण पद पर आपका चुना जाना आपकी निष्पक्षता व आपकी उपादेयता का परिचायक है। मान्यवर, मैं व मेरा दल आपको हार्दिक बधाई देता है। आप जिस स्थान पर आज चुने गये हैं उस स्थान से विरोध पक्ष के अधिकारों की रक्षा करके आप अपने पुनीत कर्त्तव्य को निभायेंगे। मुझे आशा है कि आपका निर्देश और कुशल निर्देश इस गौरवमय सदन का गौरवमय इतिहास बनेगा। मान्यवर, मैं पुनः अपनी और अपने दल की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा आपके साथ पूरा सहयोग होगा और इस सदन के संचालन में आपको हमारा पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः आपका अभिनन्दन करता हूं।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इसमें कोई विभिन्न मत नहीं होगा कि जिस पद को आपने सुशोभित किया है वह पद बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है और उस पद से उत्तर प्रदेश के भाग्य का निबटारा हमेशा होता रहा है। मान्यवर, आज इस समय जब देश और प्रदेश कुछ ऐसी शक्तियों से ग्रस्त हो रहा हो, जहाँ पर हिंसा सर उठा रही हो, अनुशासन कम होता जा रहा हो और आप जैसे व्यक्ति पर सबकी निगाहें पड़ीं और आप को सभी का विश्वास मिला, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। मान्यवर, आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि जब-जब किसी पद पर कार्य करने का अवसर मिला आपने स्वयं अपना रास्ता बना लिया और उसी के अनुरूप कार्य किया, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या डिप्टी स्पीकर के पद पर हो। मान्यवर, आपने सभी पदों को बड़े गौरवमय ढंग से निभाया। मान्यवर, जैसा यह पद गौरवपूर्ण है उसी प्रकार स यह पद संकटपूर्ण भी है। करोड़ों लोगों की निगाहें आप पर लगी रहती हैं, क्योंकि उसी पद से इस प्रदेश के गरीब और जो दबे हुए लोग हैं उन्हें आपके माध्यम से कानून बनाकर राहत मिलती है। आपके अधीन ही कानून बनाकर उनकी हालत को सुधारने का प्रयास किया जाता है।

मान्यवर, इस संकटपूर्ण समय में यह प्रदेश आपसे बड़ी आशायें रखता है। मुझ विश्वास है कि आप उन व्यक्तियों में से नहीं जो किसी प्रभाव में आकर विचलित हो जायं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बल्कि आप उन व्यक्तियों में से है जिन्हें नवजवान और बुजुर्ग दोनों के बीच का समर्थन प्राप्त है। इस गरिमा को आपने अपने में रखा है और संजोया है। यह गरिमा अविचल रूप से चलती रहेगी। इस प्रदेश की ख्याति इस देश में उतनी ही उठती जायेगी जितनी हम और इस प्रदेश के गरीब लोग आशा और अपेक्षा करते हैं। मैं आपको अपनी तथा अपने दल की ओर से बधाई देता हूं कि आप इतना ऊपर उठें कि सब की निगाहें, भले ही आप शासन पक्ष के बहुमत से उस कुर्सी पर आये हों, आपके ऊपर लगें और आपमें सबका विश्वास निहित हो। आप सबके प्रेम और विश्वास को संजोयें। हम विश्वास दिलाते हैं कि जितनी प्रतिष्ठा और सम्मान आपको नेता सदन और उनके दल की ओर स मिलेगा, उससे कहीं अधिक हम और हमारा दल आपको देगा। मैं फिर आपको बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में यह सदन तथा इस प्रदेश के दबे हुए लोगों के लिए आशा की किरण साबित हो सकेगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आज इस आदरणीय विधान सभाध्यक्ष पद पर, एक गौरवमय पद पर, आप को आसीन हुए देखकर मैं अपनी और अपने दल की ओर से आपका अभिनन्दन करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा माननीय राज मंगल पाँडेय जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, कि यह पद कितना गौरवमय है जिसे आप सुशोभित करने जा रहे हैं। हम सब को आपस बड़ी-बड़ी आशायें हैं। हमें यह भी विश्वास है कि आप निष्पक्षता एवं तटस्थता का निर्वहन करेंगे। निष्पक्ष और तटस्थ रहना ही सदन में काफी नहीं है बल्कि इसकी अनुभूति भी सभी दलों को होती रहे। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ 247 पर लिखा है कि "अध्यक्ष की तटस्थता में विश्वास प्रक्रिया के सफल रूप से संचालन के लिए अनिवार्य है। बहुत सी परिपाटियाँ ऐसी हैं, जिनका उद्देश्य न केवल यह है कि तटस्थता बनी रहे बल्कि यह भी है कि तटस्थता सभी स्वीकार भी करें।" श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने भी इस पद की गरिमा के सम्बन्ध में एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि असाधारण रूप से योग्य तथा निष्पक्ष व्यक्ति की ही हम आशा करते हैं और वह रूप हमें आपमें दिखाई देता है। आपको नियमों में और संविधान के तहत निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं और कार्यपालिका से भी सर्वोपरि हैं। मान्यवर, सबसे पहले जब 24 अगस्त, 1925 को श्री बिट्ठल भाई जी पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए तो उन्होंने अपना सम्बन्ध उस दल से तोड़ दिया और असम्बद्ध सदस्य के रूप में सदन का संचालन किया। यही परम्परा आगे 7 मार्च, 1967 को जब श्री नीलम संजीव रेड्डी अध्यक्ष पद पर पीठासीन हुए तो उनके कुछ शब्द एक मार्गदर्शन के रूप में उद्धृत करना चाहता हूं।

संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार की श्री महेश्वर नाथ कौल, श्याम लाल शकधर के पृष्ठ 104 पर उनका संक्षिप्त भाषण दिया हुआ है--

"मेरा पद मुझसे यह अपेक्षा करता है कि मैं अपने काम में निष्पक्ष रहूं और विवेकशीलता से काम करूं। मैं पूरे बल से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस अपेक्षा को पूरा करने की भरसक कोशिश करूंगा और उन ऊंची परम्पराओं को बनाये रखूंगा जो मुझ से पहले अध्यक्षों ने स्थापित की हैं। अपने इस संकल्प की पूर्ति के लिए मैंने यह आवश्यक समझा है कि मैं अपने दल (काँग्रेस) से इस्तीफा दे दूं, जिसका सदस्य मैं 34 वर्ष से रहा हूं। जब तक मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठा हूं, मैं यही प्रयत्न करूंगा कि सभा के सभी भागों को सचमुच ऐसा लगे कि मैं किसी भी दल में नहीं हूं।" हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही परम्परा रही है कि अध्यक्ष ने अपने दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, आपकी निष्पक्षता पर कौन सी आँच आ गयी जो यह सब कुछ कहा जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वासुदेव जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सदस्य के रूप में। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ दखने को मिल रही हैं उनसे कभी कभी कुछ शंकायें भी पैदा होने लगती हैं जैसा कि अभी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के व्यवहार से विदित हुआ। पंजाब में जो उनके दल के सदस्य थे उनके निर्वाचन में उन्होंने रुचि ली। इसमें कुछ शंकायें हुई। लेकिन आप पर हमें पूरा विश्वास है कि जिस पद पर आप आसीन हुये हैं वहाँ से आप निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे। आपकी निष्पक्षता पर हमें और हमारे दल को पूरी आस्था है। हमारी तरफ से आपको सदा पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा और सत्तारूढ़ दल से भी ज्यादा सहयोग हमारी तरफ से आपको मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिनन्दन करता हूं।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष जी, इस देश की सबसे बड़ी विधान सभा, जो इस देश का दिल कहलाती है, के अध्यक्ष पद पर आपके सुशोभित होने पर मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूं। जैसा कि अन्य माननीय नेताओं ने कहा है, यह पद बहुत ही गौरवशाली पद है और इसकी गरिमा भी बहुत अधिक है, इस पद को प्रदेश के बड़े-बड़े विद्वानों ने सुशोभित किया है—जैसे कि श्री टंडन जी, श्री खेर साहब, श्री मदन मोहन वर्मा, श्री वासुदेव सिंह जी आदि। उन सभी ने इस पद की गरिमा को बढ़ाया है। 1967 में इस विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का जिस तरह से आपने कार्य संचालन किया, मैं भी उस समय यहाँ का सदस्य था, वह बड़ ही सराहनीय था और आपने सदा निष्पक्षता ही दिखलायी। आपने सदा ही विरोधी दल तथा शासक दल को एक दृष्टि से दखा। आपकी निष्पक्षता में हमें पूरा विश्वास है और आस्था है। जनतंत्र प्रणाली में मजबूत शासक दल के साथ-साथ मजबूत विरोधी पक्ष का होना भी जरूरी होता है। यहाँ पर विरोध पक्ष की आवाज मजबूती से उठ सके और उसे अपनी आवाज उठाने का पूरा-पूरा अवसर मिले, इसकी आशा आप से हम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप विरोध पक्ष के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इस 8 वीं विधान सभा के गठन में शासक दल बहुत शक्तिशाली रूप में है और विरोध पक्ष बहुत कमजोर है। हमें इस बात की शंका नहीं है कि शासक दल द्वारा विरोध पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जायेगी, लेकिन जाने या अनजाने ऐसी स्थिति आती है तो आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा अवसर देंगे। प्रदेश की आज जैसी स्थिति है उसमें बहुत से प्रश्न यहाँ आये दिन आया करेंगे और उन पर चर्चा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से आपको नियमानुकूल पूरा सहयोग मिलेगा। मैं आपको इन शब्दों के साथ पुनः बधाई देता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे आज बेइंतिहा खुशी है कि इस माननीय सदन के अध्यक्ष पद पर मुश्तकिल तौर पर आज आप विराजमान हैं, क्योंकि इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को काफी अर्से तक एक मुश्तकिल अध्यक्ष न होने के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मैं इसके लिए इस माननीय सदन के नेता का भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। बीच में खतरा पैदा हो गया था कि शायद ही अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो वह खतरा टल गया और माननीय नेता सदन ने जल्दी ही निर्णय ले लिया, जिसके फलस्वरूप आज आप इस कुर्सी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर विराजमान हैं। श्रीमन्, जहाँ तक जनता पार्टी का और मेरा वास्ता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस माननीय सदन की गरिमा को ऊंचा रखने के लिए, स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिए आपका जो कुछ तजुर्बा है, लोक सभा में भी रह कर, कौंसिल में रह कर, इस माननीय सदन में रह कर और आप शासक दल में बहैसियत मंत्री के पद पर रह कर, उन सारे तजुर्बों के आधार पर शायद इस सदन को सुचारु ढंग से चलने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। मान्यवर, नियमावली जो है, उसकी धारा 313–314 के अनुसार आपने मजबूती के साथ निर्णय ले लिया, तो शायद इस सदन को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस चुनाव के लिए इस माननीय सदन के सदस्य की हैसियत से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर देख कर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं, साथ ही मेरा दल भी इस बात से खुश है कि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को यह मौका मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पुराने अनुभवों के द्वारा इस सदन के संचालन में महत्वपूर्ण परम्परा अदा करेंगे। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको पुनः बधाई देता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस सदन के आप अध्यक्ष चुने गये, मैं निर्दलीय सदस्यों की ओर से आपको बधाई देता हूं। गौरव की बात है कि इस सदन ने आपको सर्वसम्मति से इस पद पर आसीन किया। मान्यवर, यह सर्व विदित है कि जनभावनाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण दायित्व विरोधी पक्ष का होता है और विरोधी पक्ष के अधिकारों की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर आ पड़ा है। मैं विश्वास करता हूं कि उस दायित्व को निष्पक्षता के साथ आप निभायेंगे और संसदीय इतिहास में जो स्वस्थ परम्परायें रही हैं, उन स्वस्थ परम्पराओं को विकसित करने में आपका योगदान रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी ओर से और अपने प्रगतिशील विधायक दल की ओर से आपको बधाई देता हूं।

श्री ए० सी० ग्राइस—

अध्यक्ष महोदय, मैं वाकई में बड़ा खुश हूं, क्योंकि आपको यह मौका मिला है। अध्यक्ष होने के लिये मैं अपनी ओर से, हाउस में मैं अकेला हूं, लेकिन हमारी जितनी कम्युनिटी है, उसकी ओर से आपको बधाई देता हूं। मैंने बहुत मौके देखे हैं, मौका यह भी देखा है आपको ईश्वर यह न करे कि हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ जाय, शांति रहें। मुझे उम्मीद है कि शांति रहेगी। अन्त में मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह देख रहा हूं कि प्रत्येक दल के लोग आपको बधाई दे रहे हैं तो मुझसे नहीं रहा गया। इसलिये मैंने यह कोशिश की कि आपको बधाई दूं। साथ ही यह आपसे अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से आप अन्य दलों के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का समय देंगे उसी तरह से हमारे दल उत्तराखंड क्रान्ती दल को समय देने का कष्ट करेंगे।

श्री संजय सिंह—

आज सर्वसम्मति से इस गरिमामय पद धारण करने के लिये हमारे तरफ से बधाई ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—
माननीय अध्यक्ष जी, यह किस दल की ओर से बधाई . . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—
प्रदेश काँग्रेस युवक दल की ओर से बोल रहे हैं इनको तो मौका मिलना ही चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—
इनको मौका नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—
मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय नेता सदन ने काँग्रेस दल की तरफ से जो विचार व्यक्त किये हैं वह सभी का विचार समझा जायेगा। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, अन्य सभी माननीय नेता गण तथा इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आपने अत्यन्त उदारता दिखाकर मुझ को इस गौरवपूर्ण स्थान पर बैठने का अवसर दिया है। निश्चित रूप से जब मैं यह देखता हूं कि यहाँ स्वर्गीय टंडन जी बैठाये गये थे तो ऐसा लगता है कि बहुत साधारण और छोटे आदमी को आपने बहुत बड़े पद पर बैठा दिया है। इस सदन में प्रत्येक सदस्य जो अपने-अपने क्षेत्र से चुनकर आये हैं, उन्होंने लाखों-लाखों आदमियों का विश्वास प्राप्त किया है। आज यह सदन मुझे उस अपने पिछले समय के सदन से इस मामले में कुछ भिन्न सा लग रहा है कि इसमें आज नौजवान जोवन्त लोग अधिक आँकाक्षाओं वाले लोग इस सदन में काफी संख्या में आये हैं। मैं जानता हूं कि आप सब को अपने क्षेत्र का, आप सब को इस प्रान्त को ऊंचा उठाना है और कल्याण करना है, लोक कल्याण करने की आप सब के मन में कामना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अत्यन्त धैर्य से आप सब की बात सुनूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अत्यन्त शान्ति-पूर्ण ढंग से न्याय की दृष्टि में रखकर कोई भी निर्णय इस पद से लेने की मैं कोशिश करूंगा और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सदन का गौरव हम और आप सुरक्षित तभी रख सकेंगे जब प्रत्येक सदस्य का हमें सहयोग प्राप्त होगा और मैं प्रत्येक सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह भूलकर हो सकता है कि कभी मेरी अज्ञानता से कोई निर्णय गलत हो जाय लेकिन जानबूझकर कोई निर्णय गलत नहीं होगा। इस सदन में आप सब बुनियादी तौर पर लोक कल्याण के लिये आये हैं और लोक कल्याण के लिए आप यहाँ नियम और अधिनियम बनायेंगे। आप सब जो शासक दल के लोग हैं, हमें आशा है कि उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करेंगे और जिनका आपको विरोधी पक्ष को लगे कि कार्यान्वयन नहीं हो रहा है वहाँ विधान और सदन की नियमावली के अन्तर्गत वह अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। उसे करने का आप सबको अवसर होगा। मैं शासक दल पर और आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप अपने अधिकारों का उपयोग अच्छी से अच्छी तरह करेंगे, मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। एक बात आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि मेरे एक माननीय सदस्य ने राजर्षि टण्डन जी का नाम लेकर जो कहा उस सब से मैं अपने को संकुचित और बहुत छोटा समझने लगा हूं कि मैं ऐसे महान व्यक्ति की कुर्सी पर बैठकर अपने कार्य का निर्वहन कर सकूंगा। उनके जो आदर्श थे वे उसी तरह हमेशा हमारे सामने रहेंगे और उनके मार्गदर्शन को सामने रख कर ही सदन का कार्य संचालन सदैव करूंगा। मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं व प्रत्येक माननीय सदस्य का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया और उनके इसी विश्वास और प्रेम के कारण मैं यहाँ बैठा हूं और मुझे आशा है कि उनका विश्वास हमें सदा प्राप्त होता रहेगा।

एक सदस्य—
मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अब सदन की कार्यवाही शुरू करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप कृपया बैठें ।

अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम (10) के उप नियम (1) के अन्तर्गत मैं निम्न-लिखित माननीय सदस्यों को अधिष्ठाता मण्डल का सदस्य नियुक्त करता हूं:—

1—श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा,
2—श्री बल्देव सिंह आर्य ।

बाकी 8 सदस्यों के नाम आपके सामने बाद में घोषित किये जायेंगे ।

कतिपय विषय

(कृषि मंत्री को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, बागपत में 3 निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी गयीं और हजारों आदमियों के सामने श्रीमती माया त्यागी को नग्न करके मारा गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं आपको बता रहा हूं कि जिस नम्बर पर आपका प्रश्न आये उसे वहीं पर उठाएं ।

(कृषि मंत्री के पुनः पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

इनके बोलने की वजह से ही बागपत काण्ड मैं समझता हूं शायद हुआ है ।

[समय 12 बजे पूर्वाह्न]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 301 की सूचनाए देख लें पहले ।

श्री पंचानन—

अध्यक्ष जी, मैं एक सूचना लेकर गया तो 10 बजकर 5 पर बताया गया कि लाबी में जमा होगा । वहाँ पर कुर्सी रखी थी और 3 विधायक खड़े थे । यह मैं अपमान समझता हूं कि बाबू तो बैठा हो और विधायक खड़े हों । सचिव को अपने कमरे में होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है । जितनी आपकी सूचनायें हैं, नोटिस हैं, जो सब आये हैं अभी मैंने उनको देखा नहीं है । बिना देखे मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा । मैं कल इनको देख कर निर्णय दूंगा ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 †

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980†

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980†

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां††

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 का दिनाँक 1 अप्रैल, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-1780/दस-6(23)-79-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-80, दिनाँक 1 अप्रैल, 1980 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनाँक 9 मई, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-3520/दस-6(26)-76-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश, 80, दिनाँक 9 मई, 1980 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (उन्नीसवां सशोधन) नियमावली, 1978 †††

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 113/8-73-रा0-8, दिनाँक 27 अक्टूबर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1978 जो दिनाँक 30 अगस्त, 1979 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने का निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1980 †††

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 65/69/79 (1226) रा-8, दिनाँक 20 फरवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयीं।

†††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज वेल्फेयर आ फिसर्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1979 †

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 1165 (वि)/36-3-200 (25) डब्लू0 ओ0-77-सा0 रु0 63-1948-एस0-1955-ए0 एम0 (6)-70, दिनाँक 21 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज वेल्फेयर आफिसर्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (दसवां संशोधन) नियमावली, 1980 †

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से पंचायतीराज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 692 बी/तैंतीस-2-65-76-यू0 पी0 ए0-26-47 पी0 आर0-रूल संशोधन (10)-80; दिनाँक 12 मई, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (दसवां संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 †

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1188 सं0/सत्रह 80-129-सं0-79, दिनाँक 30 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 जो दिनाँक 5 फरवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खंड के अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 †

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग (5) की अधिसूचना संख्या 4585/15 (5)-480-74-यू0 पी0 ए0 35/1972-रूल-1975/ए0 एम0 (1)-78, दिनाँक 10 जुलाई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 25-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 †

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 302/2-1 (7)-76-उ0 प्र0 अधि0-17-60-नियम-65 (संशो0) (4)-79 दिनाँक 13 अगस्त, 1979 द्वारा प्रख्यापित कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 जो दिनाँक 25 जनवरी, 1980, को सदन के पटल पर रखा गया था तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 56 की उपधारा (4) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1979 †

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 240/2–1–(3)–78–उ0 प्र0अधि0–1–51–नियम–1952–संशोधन (13)/रा–1–1979/दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1979 †

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 162–2–1 (2)–78–रा0–1–उ0 प्र0 अधि0–1–1951–नियम–1952–संशो0 (12)–79, दिनांक 8 फरवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1979, जो दिनांक 30 अगस्त, 1979 को सदन के पटल पर रखी गयी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1979 †

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 289/–2–5(12)–70–राजस्व–1–उ0 प्र0 अधि0–1–61–नियम–61–सा0(11)–79, दिनांक 2 जून, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1979 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1979 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 †

वन तथा पर्यटन मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 8535/14–2–22 (4)–2–67–दिनांक 14 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 को जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सप्तम विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 †

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1346/सात-अ0 न्या0-664-55, दिनाँक 10 अप्रैल, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

विघटित सप्तम विधान सभा के अंतिम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं कृत कार्यवाही का विवरण ††

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधीकरण (पंचम संस्करण) के करण 14 (3) के अनुसार विघटित सप्तम विधान सभा के अंतिम सत्र (23 जनवरी, 1980 से 8 फरवरी, 1980) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1978-79 वर्ष के लिये प्रतिवेदन ††

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कीं 1978-79 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(शाब्दिक संशोधन के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 120 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(शाब्दिक संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 121 पर)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(शाब्दिक संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 122 पर)

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(शाब्दिक संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 123 पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 फरवरी, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 फरवरी, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 फरवरी, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 फरवरी, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1980 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 6 फरवरी, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 13 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 4 मार्च, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) वियेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 6 फरवरी, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 15 फरवरी, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 4 मार्च, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

विधान सभा सदस्य, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, झांसी के टेलीप्रिंटर संदेश, दिनाँक 2 जून, 1980, जो इस सचिवालय में दिनाँक 3 जून, 1980 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदस्य, विधान सभा (झाँसी) को दिनाँक 2 जून, 1980 की धारा 151 सीआर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जाती मुचलके पर छोड़ दिया गया । उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 147/336/353/332 के अन्तर्गत मुकदमा सी0 आर0 नं0 2881 रजिस्टर किया गया है और विवेचनाधीन है ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद 34 के लिए माननीय मुख्य मंत्री को पुकारने पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, बीच में मद 31 अजेंडे पर भूल रहे हैं । मैंने एक विशषाधिकार का प्रश्न बागपत वाले मामले पर दिया है, जो जुडीशियल कमीशन बैठाया गया है, उसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की नोटिस दी है । 3 तारीख को सदन बैठा था, सदन के बैठे हुए, माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने कक्ष में बैठ कर जुडीशियल कमीशन बैठाने की घोषणा कर दी । आपकी ओर से अनकों व्यवस्थाएं हैं कि जब सदन चल रहा है तो उस समय घोषणाएं सदन में होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने दिया है उसे माननीय मुख्य मन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री को भेज दिया गया है । उनका उत्तर आने पर अपना निर्णय दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी भी दो सूचनाएं हैं, विशेषाधिकार की अवहेलना की । एक तो शिक्षा मन्त्री के खिलाफ है ।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचनाएं आई हैं सम्बन्धित मन्त्रिगण को भेज दी गयी हैं। उनका उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी एक और सूचना होगी ।

श्री अध्यक्ष—

जो भी सूचनाएं आई हैं वह सम्बन्धित मन्त्रियों को भेज दी गई हैं। जहां तक आइटम नं0 32 का सवाल है इसको मैं बाद में देखूंगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980†

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करती हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†दिनाँक 9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980†

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980†

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कई सूचनायें आई हैं। एक तो माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है जो 18 जून, 1980 को मेरठ जिले के बागपत नगर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरा है माननीय श्री नरेन्द्र सिंह का वह भी उसी से संबंधित है। तीसरा श्री राम आसरे वर्मा, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री जयदीप सिंह, श्री खैरुलबशर और श्री अम्बा प्रसाद जो अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गाँव में 9 मई, 1980 को हरिजनों की हत्या किये जाने से उत्पन स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री गौरी शंकर मैया, श्रीमती गौरी देवी की है जो 8 जून, 1980 से विभिन्न उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से प्रदेश के किसानों में घोर असंतोष तथा पुराने स्टाक को भी नये दर से बिकवाने के आदेश से स्टाकिस्टों द्वारा करोड़ों रुपये की लूट के संबंध में है। पाँचवी सूचना श्री विद्या सागर नौटियाल की ज्ञानसू, उत्तरकाशी के सिविल अस्पताल में परगनाधिकारी श्री नरेन्द्र प्रसाद द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में है।

---

†दिनांक 9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

सारी सूचनायें जो हैं.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, निर्णय होने से पहले सुन तो लीजिये ..... (व्यवधान) मान्यवर; मैं इस बात का एहसास करता हूं कि (व्यवधान) विशेष परिस्थिति में समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी सूचना आप को दी ह। दिन दहाड़े, सरेआम (व्यवधान) सैकड़ों आदमियों के बीच पुलिस ने तीन आदमियों को गोली मार कर हत्या कर दी। एक महिला श्रीमती त्यागी को नग्न कर दिया गया, थाने में सामूहिक रूप से उसके साथ बलात्कार किया गया। यह घटना इस सरकार (व्यवधान) विशेष परिस्थिति में मैं आग्रह करूंगा कि इस पर आप कार्य स्थगन मंजूर कर लें। इस पर चर्चा हो जाय जिससे सरकार को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिल सके। सब से गंभीर बात यह है कि इस घटना के हो जाने के बाद अनेक नेताओं ..... (व्यवधान) राज्य सरकार की ओर से आज तक किसी भी.....

(व्यवधान)

श्री पंचानन--

पूरी दुनिया जानती है कि चौधरी चरण सिंह और उनकी पार्टी.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह क्या हो रहा है। (व्यवधान).....

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मान्यवर, खड़े हों तो माननीय सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने जा रही है और निश्चित रूप से आप को.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। मुझे पहले सुन लें....

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहूंगा कि आप बैठ जायं। जब मैं खड़ा हूं.....

(व्यवधान).....

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर)

मैं जब यहां खड़ा हुआ हूं तो आप स्थान ग्रहण करें। जिस धैर्य से मैं आपकी बात सुनता हूं कृपया उसी धैर्य से आप भी मेरी बात सुनें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्या निर्णय मैं देना चाहता था श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है? आप अन्दाजा न लगायें, आपकी बात महत्वपूर्ण है, निश्चित करूंगा कि उस पर चर्चा होना आवश्यक है। लिहाजा जहां तक बागपत काण्ड का सम्बन्ध है मैंने माननीय नेता सदन को यह आदेश दिये है कि इस पर विचार कर के वक्तव्य दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा भी काम रोको प्रस्ताव है.....

श्री अध्यक्ष--

इस पर वक्तव्य होगा। कामरोको के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

श्री मोहन सिंह—

बागपत कांड पर आपने चर्चा की स्वीकृति दी है तो इस पर समय निर्धारित कर दें ताकि उस पर आज ही चर्चा हो जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो व्यवस्था आपने दी है उसे जरा अधिक स्पष्ट कर दें। कफल्टा काण्ड को उसमें लिया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

लिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह—

आपने किस नियम में स्वीकार किया है इस चर्चा को ?

श्री अध्यक्ष—

एक विषय बागपत कांड के सम्बन्ध में है। दूसरा कफल्टा कांड के विषय में है। इन दोनों विषयों पर मैंने सरकार को आदेश दिये हैं वक्तव्य देने के लिये। जब वक्तव्य आ जायेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

आपने बागपत कांड को चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया है। इस पर वक्तव्य आज ही हो जाय और दो घंटे की चर्चा भी, आज ही इस पर निर्धारित कर दी जाय

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

दो सदस्य एक साथ न बोलें। अभी आपने सहयोग देने की बात कही थी। कृपया एक ही माननीय सदस्य एक समय में बोलें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा काम रोको प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। वह इस प्रदेश में 11 करोड़ लोगों के जन जीवन से संबंधित है। उर्वरकों की कीमतें बढ़ गयी है। ह सही है कि उर्वरकों की कीमत केन्द्र सरकार तय करती है लेकिन उर्वरकों का सम्बन्ध जन जीवन से है। ऐसी ही घटना 1974 में हो चुकी है। उस समय भी उर्वरकों की कीमत बढ़ाई गयी थी। लेकिन माननीय सदस्यों ने उस पर विरोध प्रकट किया। उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से परामर्श किया और फिर उसी दिन दोपहर को यह घोषणा की कि जो पड़ा हुआ स्टाक है उसे पुराने रेट पर बेचा जायेगा। यह ऐसा सवाल है अगर इसे नजरन्दाज किया गया तो करोड़ों रुपया स्टाकिस्ट्स के घर चला जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो सूचना दी है और उसके औचित्य के बारे में कहा है कि उर्वरकों की मूल्य वृद्धि से किसानों को कष्ट हो रहा है तो इसके बारे में आपका आज ही एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के अवसर पर आप इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं। तब आपको इसका उत्तर मिल जायेगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, उत्तरकाशी में अस्पताल के अन्दर एस0 डी0 एम0 ने एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उस समय पर्वतीय विकास मंत्री वहाँ पर तशरीफ रखते थे.....

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी मैंने इस विषय को समाप्त कर दिया है। अब आप आगे चलने दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप नियम 313 की ओर ध्यान दें। इस नियम 313 में आपको कुछ विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। मैं समझता हूं कि बागपत काँड इतना गम्भीर है कि इस पर बयान दे देने और स्पष्टीकरण हो जाने से या प्रश्न पूंछ लेने से समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिये कृपया आप अपनी 313 के अन्तर्गत विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करें। ताकि सदन के दोनों ओर बैठने वालों को इस सम्बन्ध में जो भी जानकारी होगी वह सदन में आ जायेगी। बाद में मुख्य मंत्री जी हमारा समाधान कर देंगे। मान्यवर, विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके यहाँ पर चर्चायें हुई हैं जैसे सिया-सुन्नी रायट्स में चर्चा हुई है। इसलिये स्थिति की गम्भीरता और समस्या की नजाकत को ध्यान में रखते हुये आज पूरे प्रदेश में महिलाओं की इज्जत को जो इससे खतरा पैदा हो गया है और विशेष रूप से मान्यवर, जिनसे रक्षा करने की उम्मीद की जाती है वे ही जब भक्षक बनकर महिलाओं की इज्जत लूट रहे है, इसलिये आप व्यवस्था करें कि मुख्य मंत्री जी हमें इस बारे में जानकारी दें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग स्थान ग्रहण करें। मैंने अपना निर्णय एक बार बता दिया है....

(व्यवधान)

इस पर शासन की ओर से वक्तव्य होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

वक्तव्य कब दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

जब वक्तव्य होगा तो उसके उपरान्त जैसी स्थिति होगी, चर्चा की स्थिति होगी या नियम 313 की आवश्यकता होगी तो वैसा भी होगा। जैसा निर्णय होगा वैसा किया जायेगा। मुख्य मंत्री जी इस पर आप कब वक्तव्य दे देंगे ?

श्री राम आसरें वर्मा—

बागपत और कफल्टा काँड पर चर्चा होना जरूरी है।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, ये गम्भीर विषय है। इस पर सब लोगों का ध्यान भी गया है। गंभीरता को देखते हुए, इन विषयों पर न्याय हो सकें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 11 तारीख को इस पर वक्तव्य देने का मौका दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप व्यवस्था दें.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इससे पूर्व मान्यवर, नेता विरोधी दल खड़े हो रहे है उनको सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपने निर्णय दिया, जो हमने सुना उसमें आपने पहले चर्चा की बात कही थी कि इस विषय पर चर्चा होगी, इसे माननीय सदस्यों ने भी सुना।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री कुबेर—

यह अध्यक्ष नहीं है या फिर इन्हीं को अध्यक्ष बना दें....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपकी आज्ञा से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री कुबेर—

(व्यवधान) यह क्यों खड़े हो रहे है माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं यदि यह ऐसा करेंगे तो हम नहीं चलने देंगे, यह नियमों का हनन कर रहे हैं। इस प्रकार सदन नहीं चलनें देंगे। श्री काशीनाथ मिश्र कैसे बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री काशीनाथ मिश्र ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है

(व्यवधान)

मैं माननीय नेता लोक दल से अनुरोध करूंगा कि वह अपने सदस्यों से कहें कि शांति रखे।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो बात कही, जो रूलिंग दी है उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। जैसा आपने कहा, अभी आप पदासीन हुए हैं, हम सब को आपसे न्याय की आशा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, हो सकता है कहीं भूल से यह बात दिमाग में आई हो, पूरा सदन इस बात को जानता है कि आपने पहले कहा था कि चर्चा होगी लेकिन दूसरे ही क्षण आपने वक्तव्य में उसे परिणत कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विषय बहुत गंम्भीर है, माननीय नेता सदन ने भी इस बारे में कहा है। वहां पर सत्याग्रह होने जा रहा है आज से। तो ऐसी परिस्थिति वहां पर आज है, इत्फाक से आज सदन भी बैठा हुआ है। मैं चाहूंगा कि उस पर आज ही चर्चा हो जानी चाहिये यह अत्यन्त अविलम्बनीय प्रश्न है। खाली वक्तव्य से काम नहीं चलेगा इस पर आप पुनर्विचार करें.....

*श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) आई एम इंटाइटिल्ड टु रेज दिस प्वाइंट मैं कभी भी प्रोसीडिंग में व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय सदस्यों की तरफ से बागपत के बारे में नियम 56 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव दिया है। उस पर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान देने को कहा। साथ ही आप की बात को लपेट कर, जैसा भी हो माननीय, नेता विरोधी दल ने चर्चा की बात कही। श्रीमन्, यह आदरणीय सदन है इसमें हर कार्य के संचालन के लिए तौर तरीके है, नियमावली बनी हुई है (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है.....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सदन आपकी स्वेच्छा पर चलेगा या व्यवस्था पर चलेगा या नियमानुसार चलेगा, या यह सदन स्वेच्छा से चलेगा, या अध्यक्ष की स्वेच्छा से चलेगा या अध्यक्ष के स्वविवेक से चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

यह अध्यक्ष पद पर आरोप है।

श्री कुबेर—

इनको अध्यक्ष नियुक्त किया, जब यह ही सदन चलायेंगे और यहाँ आप के ऊपर भी अपनी ही बात चलायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह तो सब आपकी सत्ता के ऊपर सीधा साधा आरोप है। नियम 313 के अन्तर्गत आपको अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं.....

एक सदस्य—

यह सदन है, इस तरह से यह सदन बाजार न बने।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिसको मैं बोलने का आह्वान करूं, वही कृपया बोलें। क्योंकि सदन के हर सदस्य यदि इस तरह से एक साथ बोलेंगे तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी और दूसरे लोग भी किसी की कोई बात नहीं सुन पायेंगे। श्री काशी नाथ मिश्र जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसके पहले नेता विरोधी दल ने जो कहा वह ठीक है। निश्चित रूप से वह शब्द निकला था। लेकिन मैं वक्तव्य की बात ही कहने जा रहा था। मैंने निश्चित रूप से वक्तव्य दिया जाएगा इसका आदेश दिया है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री ने 11 तारीख का समय निश्चित किया है।

(व्यवधान)

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, मेरा निवेदन यह है कि बागपत काण्ड की जो घटना है, उसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में, पार्लियामेंट में और देश के कोने-कोने में जो चर्चा हुई है, उसके कारण उसकी अहमियत हो गयी है, तो यह लोक महत्व का ही नहीं अत्यन्त लोक महत्व का और अत्यन्त ही अविलम्बनीय प्रश्न बन गया है। आपने 11 तारीख का जो समय दिया है, उससे इसकी इम्पोर्टेन्स खत्म हो जायेगी। जिस तरह का यह काण्ड है उसको देखते हुए इसमें देर ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री के पास हर तरह की सूचना होगी, कोई सूचना मगानी नहीं है। आज प्रदेश की सारी जनता इस इंतजार में है कि यू0 पी0 विधान सभा पहली बार मिल रही है, तो देखना है कि यह बागपत काण्ड के बारे में क्या कार्यवाही करती है, क्या निर्णय लेती है ? तो आज ही इस काण्ड के ऊपर जो भी मुख्य मंत्री के पास सूचनाएं हों वह उन्हें सदन के सम्मुख रख दें और जितना भी समय आप चाहें दे दें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार उन्होंने 11 तारीख का समय दिया। मैं समझता हूं कि यह उन्होंने स्वयं इसका महत्व स्वीकार किया है और यह माना है कि यह बहुत गम्भीर विषय है। इसीलिए यह सदन में उठाया गया है। इस पर 11 तारीख को वक्तव्य देने के लिए उन्होंने अपने हिसाब और सहूलियत से वायदा किया है। उन्होंने जो समय मुनासिब समझा, वह कहा है। माननीय सदस्य ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये है और उन्हें मुख्य मंत्री जी ने सुना है। अब उसमें वह स्वतः कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो कह देंगे। यहां यह निश्चय हो गया है कि 11 तारीख का समय इसके लिए रहेगा

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र--

सरकार ने जो जुडिशियल जाँच बिठाया है, अब उसके बाद क्या चाहिए ?

श्री अध्यक्ष---

आप स्थान ग्रहण करें। मैं अब एजेन्डे के अगले आइटम को ले रहा हूं।

श्री भीखालाल---

मैं आपसे एक स्पष्टीकरण श्रीमन, चाहता हूं। आपने जो अभी रूलिंग दी, वह शिरोधार्य है, किन्तु उस संबंध में कुछ कहना है। आपने अभी कहा बागपत काण्ड की घटना बहुत गम्भीर है और माननीय मुख्य मंत्री ने भी ऐसा कहा है। इसकी गम्भीरता इससे भी प्रकट है कि 10 दिन से उस पर पार्लियामेंट और राज्य सभा में बहस हो रही है। मान्यवर, इस तरह की घटनाओं से सिर झुक जाता है। ऐसी घटनायें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। मान्यवर, काम रोको प्रस्ताव ही विरोधी दल के हाथ में एक हथियार है। कृपया हमें आप बतायें कि इससे ज्यादा और कौन सी गंभीर घटना होगी और कौन सा अवसर होगा, जब आप काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस पर निर्णय हो चुका है और इसलिए मैं पुनः इसको उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आप मेरी एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

अब राजकुमार संजय सिंह अपना प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, बागपत काण्ड पर आप चर्चा कराने के लिये तैयार नहीं है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नरेन्द्र सिंह---

बागपत काण्ड पर चर्चा का अवसर न दिये जाने पर मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर; आपने बागपत की गम्भीर घटना पर हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम अपने दल सहित सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा---

मैं इसके विरोध में अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रियासत हुसैन--

मैं इस गम्भीर घटना के विरोध में जनता पार्टी के सदस्यों सहित 10 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री भीखा लाल--

मैं भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग करता हूं ।

(श्री भीखालाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री संजय सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 3 जुलाई, 1980 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

जो काम रोको प्रस्ताव था उसे माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार किया है इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये)

श्री यदुनाथ सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संजय सिंह के नाम के पहले राजकुमार कैसे लगा हुआ है । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह राजकुमार नहीं लिख सकते हैं । यह गलत है । सदस्य का नाम केवल संजय सिंह है ।

श्री अध्यक्ष--

जो नाम सूची में है और जिस नाम से वह चुनाव जीतकर आये हैं । वही उनका नाम है । माननीय सदस्य बैठें।

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव तो कर चुका हूं । तुलसीदास जी ने आराधना की थी, मैं कर चुका, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है । अभी विधान सभा के चुनाव में पहली बार हरिजनों और कमजोर वर्ग को स्वतंत्रता और निर्भयता पूर्वक मतदान देने का मौका मिला क्योंकि केन्द्र में ऐसी सरकार थी जो हरिजनों और कमजोर वर्ग की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहती थी । लोक सभा के चुनाव में इसके विपरीत हुआ । हर जगह पर विशेषकर पश्चिमी जिलों में काफी लोगों पर अत्याचार किया गया । उन्हें मारा गया, पीटा गया और परेशान किया गया। इस बार भी जब मतदान हुआ तो हजारों और लाखों लोग मतदान केन्द्रों पर गये । वोटरों ने कहा कि यह उनके जीवन का पहला मौका है कि स्वतंत्र भारत में वे पहली बार अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े होकर कुछ कहने पर)

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप ऐसा प्रबन्ध करें कि मेरी बात आप लोग सुनें । उसके बाद जो माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहें, कहें । यदि ये लोग तेजी से बोलना चाहते हैं तो हम लोग भी तेजी से बोलेंगे । हाँ तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कानून व्यवस्था कायम करने, कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और इस प्रदेश में सारी व्यवस्थायें जो गत 3 वर्षों में छिन्न भिन्न हो गयी है, उनको सुधारने के लिये कहा है कि यह सरकार बचनबद्ध है । इसके अलावा इस प्रदेश में पिछली जनता और लोक दल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की सरकार ने सामाजिक पिछड़ापन, जाति भेद, वर्ग भेद, मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष, हरिजनों के प्रति अत्याचार किये हैं उनको दूर करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार इन सब कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी और इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। यही नहीं बल्कि नयी सरकार हर तरह से जो-जो बातें गत 3 वर्षों में हुयी, जिससे प्रदेश को आर्थिक पिछड़ापन मिला, प्रदेश पीछे गया अपराध बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा, सरकारी मामलों में भी हस्तक्षेप हुआ, उनको भी दूर करने की व्यवस्था का महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। वर्तमान सरकार थोड़े ही दिनों से गठित हुयी है लेकिन मेरा विश्वास है कि हर तरह से प्रदेश को आगे ले जाने की ओर ध्यान देगी और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। पिछली सरकार ने, आपने देखा होगा, के समय में गन्ना किसानों को अपने गन्ने को खेतों में ही जलाना पड़ा था जिसका परिणाम यह हुआ कि चीनी का उत्पादन वर्ष 1977–78 में 18 1/2 लाख टन हुआ। वर्ष 1978–79 में यह 14 1/2 लाख टन और वर्ष 1979–80 में यह 10 लाख टन हुआ। इसके देखने से यह लगता है कि वर्ष 1975–76 के अनुपात में आज काफी ह्रास हुआ है। यह सारी देन पिछली सरकार की है। वर्ष 1979–80 में जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हुयी, उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बिजली का उत्पादन नहीं था। ट्यूबवेल्स को डीजल और बिजली नहीं मिल पाती थी। तो इससे भी उत्पादन में बड़ा ह्रास हुआ। इस समय इस प्रदेश में पहले जो-जो अनियमिततायें हुयीं, उन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आप जानते है कि जहाँ तक बिजली के उत्पादन का प्रश्न है ओबरा ताप विद्युत् घर में वर्ष 1977–78 में उत्पादन 58 प्रतिशत रहा, वर्ष 1978–79 में 51 प्रतिशत हो गया और इस समय 44 प्रतिशत है। ओबरा के चरण एक में 55 प्रतिशत रहा, वर्ष 1978–79 में 42 प्रतिशत रहा और वर्ष 1979–80 घट कर 40 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार से हरदुआगंज ताप विद्युत् घर में वर्ष 1977–78 में 47 प्रतिशत, वर्ष 1978–79 में 45 प्रतिशत और इस समय 38 प्रतिशत आपकी पिछली सरकार की व्यवस्था की देन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तमाम ऐसे इन्जीनियरों और कर्मचारियों को जो अयोग्य थे, इसलिये ऊंचे-ऊंचे पदों पर बिजली विभाग में पहुंचा दिया गया क्योंकि वे मंत्रियों के आदमी थे, उनके रिश्तेदार थे या किसी न किसी तरह से उनके दल से संबंधित थे। उसी के कारण बिद्युत् की यह हालत हुई ?

यह अनुमान है कि वर्ष 1979–80 में उससे पिछले साल की तुलना में हमारे कुल उत्पादन में व कुल आय में 20 प्रतिशत तक की कमी होगी। ऐसी भयंकर परिस्थितियां जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों ने प्रदेश में पैदा कर दी है।

जनता पार्टी और लोकदल की सरकारों ने योजना बनाने के काम की उपेक्षा की है। 6ठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। योजना का आकार लगभग 8 हजार करोड़ होना चाहिये था जो 4,600 करोड़ रुपया रह गया। ये सरकारें उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को केन्द्रीय सरकार के सामने ठीक-ठीक प्रस्तुत नहीं कर सकीं। इस सबके कारण यह प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ रह गया। इसके कारण आज प्रदेश की योजनाओं को आगे ले जाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

जहाँ तक उद्योगों की बात है, काँग्रेस सरकार ने जो सुलतानपुर में जगदीशपुर औद्योगिक संस्थान, लालकुंआ में कागज का कारखाना, नोयडा का औद्योगिक क्षेत्र, बस्ती का प्लास्टिक काम्पलेक्स आदि की जो योजनायें चलायी थीं वे सभी खटायी में डाल दी गयीं। प्रदेश में अल्कोहल की भारी कमी होने के बावजूद अल्कोहल को क्रूड रम के रूप में निर्यात करने की इजाजत देकर जहाँ करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया, वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को जीवन रक्षक दवाएं बनाने के लिये कच्चा माल नहीं मिला। इससे उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ा।

[श्री संजय सिंह]

इन सभी का यह कारण था कि जनता पार्टी वास्तव में कोई पार्टी नहीं थी, वह एक ऐसा संगठन था जो केवल अपने ही काम और अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता था और आपस में लड़ता रहा था। इसी के कारण प्रदेश की यह हालत हुई। लोगों ने अपने ही लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया, प्रदेश के हित की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी आज्ञा से यह कह सकता हूं कि इन लोगों ने कोई रचनात्मक काम नहीं किया अपने समय में। वर्ष 1967 और 1977 में मतदाताओं ने उन्हें सरकार चलाने का मौका दिया और दोनों बार ये सब असफल रहे। यह कोई कार्य प्रदेश के लिये नहीं कर सके। प्रदेश में आज जो दुर्व्यवस्था है वे उसी के केन्द्र बने रहे। प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने, किसानों को आगामी फसल में पूरा उत्पादन बढ़ाने में साधन जुटाने, उद्योगों को पूरी बिजली, कोयला उपलब्ध कराने, उपेक्षित औद्योगिक योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित कराने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिसे जनता पार्टी और लोक दल के शासन काल में लगभग समाप्त कर दिया गया था फिर से दृढ़ बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें केन्द्रीय योजना आयोग के सामने अपने पक्ष को प्रस्तुत करना है। इस संबंध में वर्तमान सरकार ने जो पहल की है वह स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार को प्रदेश के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में जो विषमतायें हैं उनको दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

20 सूत्री और 4 सूत्री कार्यक्रम के रूप में हमारे दल के पास एक ठोस काम करने का एक आधार है। श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में प्रदेश की 10 करोड़ जनता के सहयोग को प्राप्त करके और युवा शक्ति का पूरा उपयोग कर के इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना है। इस संबंध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो संकेत दिये हैं, वे सारे मान्य हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय पूरे सदन की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं।

धन्यवाद।

(श्री काशी नाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, प्रथा यह है कि धन्यवाद का प्रस्ताव कोई बैक बेन्चर पेश करता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोगों की स्वीकृति हो तो प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर भाषण के लिये कुछ सदन का समय निश्चित कर लें। प्रस्तावक और दल के नेता और मंत्रीगण के लिए 25-25 मिनट दिया जाय और माननीय सदस्यों के लिए 10-10-मिनट का समय दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल के लिए सीमा नहीं बाँधी गयी है, बल्कि वह स्वयं सीमा बांध लें।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, माननीय संजय सिंह ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम पैरा में ही हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था को लागू करने की बात कही है। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय को यह बात कहने की क्या आवश्यकता थी ? अपने भाषण में उन्होंने कानून और व्यवस्था का जिक्र क्यों किया ? मैं इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब पिछले तीन वर्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के शासन काल में कोई सरकार नाम की चीज देश में या कहीं प्रदेश में नहीं रही है। मुख्य मंत्री का शपथ लेने के बाद माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सही बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार की स्थापना करनी है। इसके कहने के साथ मान्यवर, मुख्य मंत्री के कथन का यह अर्थ होता है कि मान्यवर, तीन वर्ष के बीच का जो जमाना गुजरा है, उस जमाने में देश और प्रदेश के अन्दर कोई सरकार नहीं रही है। अलीगढ़ के अन्दर कितना बड़ा काण्ड हुआ। मैं विरोधी पक्ष के लोगों से जानना चाहता हूं मान्यवर, मैं दूसरों पर छीटा-कसी नहीं करना चाहता हूं, जितने जिम्मेदारी हमारी इस सदन के अन्दर है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। सबसे ज्यादा विरोध पक्ष की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था रहेगी या नहीं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं माननीय सदस्यों ने अभी वाक आउट किया है वाक आउट का अर्थ क्या होता है? वाक आउट उस समय किया जाता है जब विरोध पक्ष को यह अहसास हो जाय कि सदन के अन्दर कार्य प्रणाली लोकतांत्रिक ढंग से नहीं संचालित हो रही है, तब प्रश्न उठता है वाक आउट का और चले जायं इतना ही नहीं कानून व्यवस्था महामहिम राज्य पाल के आने पर, राज्यपाल के सामने क्या स्थिति होती है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पढ़े लिखे अच्छी तरह जानते हैं कि जब राज्यपाल सदन के अन्दर मौजूद हों तो एक्जिस्टेन्स आफ दि स्टेट समझा जाता है।

एक सदस्य—

इसका माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें अधिकार है राइट आफ इन्टरप्रिटेशन का। यह इन्टर-प्रिटेशन करें और मैं जवाब दूंगा।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की भाषा देवनागरी है, अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर माननीय सदस्य को अंग्रेजी से नफरत है तो मुझे तो उनसे भी ज्यादा है। मुझे तो विरोधी दल के सदस्यों को समझाने के लिये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना पड़ा। इक्जिस्टेंस आफ दी स्टेट राज्य की मौजूदगी में.....

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

आपको भी मौका दिया जायेगा। आप माननीय अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करें। लाखों लाखों लोगों के तरफ से आप आये हैं और आप मजाक उड़ाना शुरू कर दिये ऐसा नहीं होना चाहिये। जैसा मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का हवाला हमारे विरोधी दल के भारतीय जनतापार्टी के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी दे रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आप हाउस आफ कामन्स की एक भी प्रोसीडिंग्स ऐसी दिखा सकते हैं जिस वक्त दोनों सदन हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स को किंग एक साथ ऐड्रेस कर रहा हो विरोधी पक्ष वाक आउट कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका साफ माने है विरोध पक्ष का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष का शासन जब राज्य में था आज प्रश्नों के समय बहस सुनकर मुझे शर्म हुई कि किस मुंह से यह प्रश्न पूछ रहे हैं? शासन में आने के बाद विरोध पक्ष ने सबसे पहले क्या किया जो कानून और कायदे के मातहत गठित संस्थायें थीं, क्षेत्र समितियाँ, जिला परिषद्, नगर पालिका आदि शासन में आने के बाद सर्वप्रथम उन पर कुठाराघात किया।

श्री मोहन सिंह—

नगरपालिका और महापालिका आपके द्वारा भंग की गई थीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कानून व्यवस्था का नाम 3 सालों में नहीं रहा। अलीगढ़ में एक साल तक मुतवातिर दंगे होते रहे, नारायणपुर में दंगा हुआ और शासन मूक दर्शक बना रहा। आज एक बागपत की घटना हो गई तो लोगों को बहुत दुख है। आपके शासन काल में कैसी-कैसी घटनायें घटी, अलीगढ़ में कैसी घटना घटी, बिहार में तथा दक्षिणी हिन्दुस्तान में भी घटनायें घटी, कोई कानून कोई व्यवस्था नहीं रही। माननीय राज्यपाल महोदय ने यह संकेत दिया कि अगले आने वाले दिनों में चेष्टा की जायेगी कानून और व्यवस्था को मौजूद करने की। जिस प्रदेश के रहने वाले एक साधारण और गरीब लोग हैं और पढ़े लिखे व हर क्षेत्र के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि 3 साल पहले की जो सरकार थी उसके अराजक तत्वों द्वारा प्रदेश में जो दुर्व्यवस्था फैलाई गयी थी उसी को आज हम सब को देखने को मिल रहा है, कोई भी काँड जो हो रहे हैं, उसी की सारी देन है। इसी की ओर मुझे अहसास दिलाना है। कल आने वाले दिनों में ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इस बात का अहसास करें कि महामहिम राज्यपाल ने जो कानून और व्यवस्था को हल करने की जो बात रखी, यह सब जनता शासन की देन है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग जो भी इस अभिभाषण में है, उसे आप लोग देखें कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज लिखी गयी है, जिसका आप विरोध कर सकते है, बतायें कि इसमें क्या कमी है? सन् 74 से 77 के बीच जो रचनात्मक कार्य काँग्रेस सरकार ने शुरू किये है, जिन जिन योजनाओं का प्रारूप तैयार हुआ था, उन सब को आपने समाप्त कर दिया। खाद्यान्न योजना को भी आपने नष्ट कर दिया। लाखों मन अनाज भंडारों में भरा था, उसको आप स्वयं। देख लीजिए आप सब ने सारा गल्ला खत्म कर दिया। जनता पार्टी के राज्य में सारा अनाज चोर बाजारी में बिका और कागज में दिखाया जाता रहा कि काम हो रहा है। सड़कों का कार्य भी जहाँ-जहाँ होना था, वह भी समय से पूरा नहीं किया गया। केवल एक दो किलोमीटर तक मिट्टी पड़ी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुयी। आप देखें इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन में कमी आयी। बिजली में कमी क्यों आयी? क्या बिजली का उत्पादन इतना कम हो गया था। जनता पार्टी के शासन में हमारे विद्वान् इजीनियरों ने जो भी विचार रखे उस समय श्री रेवती रमण सिंह या जो भी बिजली मंत्री रहे हों, उन्होंने एक नहीं सुनी। उस समय मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास जी थे, वे पूंजीपतियों को केवल बिजली देते रहे, गरीबों को बिजली नहीं दी, जिस कारण उत्पादन घट गया। जनता पार्टी के शासन ने चीनी के स्टाक में भी गड़बड़ी की। चीनी का सारा स्टाक खत्म कर दिया। जनता से वाहवाही वसूलने के लिये चीनी सस्ती कर दी और जब चुनाव आये श्री बनारसी दास जी उस समय मुख्य मंत्री थे, चीनी मिल मालिकों से लाखों रुपया वसूल कर.....

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, श्री बनारसी दास जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और वह यहाँ मौजूद भी नहीं हैं, उनका नाम लिया जा रहा है जो नियमों के विरुद्ध है, इसलिए इतना भाग कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्री बनारसी दास एक व्यक्ति का नाम है, जो इस प्रदेश के एक मुख्य मंत्री थे, उनसे इस सदन का व्यक्तिगत रूप से कोई ताल्लुक नहीं यहाँ केवल एक सूचक के रूप में नाम लिया जा रहा है। बनारसीदास सरकार के जमाने में जिन मिल-मालिकों से लाखों रुपया लिया गया, जिसके परिणाम में चीनी के दाम बढ़े। एक पैसा लिया जाता है 10 पैसा प्रति किलो दाम बढ़ जाता है। इसके दूसरी ओर गन्ना किसानों पर भी कम अत्याचार नहीं किये गये, उनसे गन्ना तो सस्ता ले लिया गया परन्तु दाम नहीं दिये गये।

श्री मोहन सिंह—

एक-एक पैसा दिया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो समाजवादी लोग हैं, श्रीमन्, जो राज्यपाल महोदय ने 20 सूत्री कार्यक्रम और 4 सूत्री कार्यक्रम हम सब के सामने रक्खे हैं, उसकी एक आधार शिला है। जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं भूमिहीन लोग हैं, जिसके पास छप्पर डालने तक की जगह नहीं है। श्रीमन्, एक हजार वर्ष के इतिहास में श्रीमती इंदिरा गाँधी पहली हुक्मराना हैं जिसने कानून बना के देश की मिल्कियत में सर्वहारा नियम बनाया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने यह कहा हो कि हमारा हिस्सा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जनता पार्टी के राज्य में जिसको हमने जमान दी थी, बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने उनको जमीन से बेदखल किया। उनकी हुकूमत बहुमत के पाने के बाद भी नहीं चल सकी, चकनाचूर हो गयी.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हू कि समाजवादी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में आप समर्थन क्यों नहीं करते ? वह कैसे लोग थे जिन्होंने विरोध में हाथ उठाया ? जब बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ तो छोटे-छोटे किसानों को कर्ज मिल रहा है। जमीन का हमने बंटवारा किया। सीलिंग से जो जमीन निकली उसका बंटवारा किया। इन लोगों की हुकूमत उनको बेदखल करती रही। यह पूंजीपतियों का कार्यक्रम नहीं है, बड़े लोगों, जमीन्दारों का कार्यक्रम नहीं है, अगर सचमुच में वेलफेयर स्टेट चाहते हों तो जो विरोध पक्ष है उसका भी समर्थन उस तरफ जिसकी तरफ राज्यपाल जी ने इशारा किया है होना चाहिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाया गया है, माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया। फिर उस प्रक्रिया से आगे बढ़ गये। माननीय सदस्य को कोई अधिकार है कि अब पुनः उस पर भाषण करें ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक निर्णय काम रोको पर दिया। माननीय सदस्य, बलिया को अधिकार है जो चाहें बोलें, पूर्ण अधिकार है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ कतई नहीं बोल रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बलिया को, आपने एक निर्णय दिया 56 पर, कुछ ज्ञान ही नहीं है ? बोलते समय कुछ ज्ञान ही नहीं रह जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी से यह अपेक्षा की जायेगी कि माननीय पीठासीन अधिकारी से जो निर्णय हुआ है उस पर टिप्पणी न करें।

श्री अध्यक्ष—

जो निर्णय इस स्थान से होंगे उसको सदन हमेशा स्वीकार करता है। माननीय सदस्य अपने समर्थन में अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे उसमें उन्होंने अपने को अभिव्यक्त किया।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने तो श्रीमन शुरू में ही कहा, मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया। मैं तो माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान कराना चाहता हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत कौन-कौन से विषय उठाये जा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आपका समय हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बजट की बात जो इसमें कही गयी है उससे भी किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती। ज्यादा समय न लेकर इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का जो श्री संजय सिंह ने पेश किया है, का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया। "सामान्य निर्वाचन से कुछ दिन पूर्व दल विशेष को निर्वाचन में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। फलतः जनतन्त्र की सामान्य परम्पराओं को ठुकराते हुए नौकरशाही के साथ साँठ-गाँठ करके हिंसा एवं भ्रष्ट तरीकों से, करोड़ों रुपये के माध्यम से, वर्तमान सरकार को पदारूढ़ कर दिया गया। इससे जनता के मन में संसदीय प्रणाली व निष्पक्ष चुनावों के प्रति आस्था डगमगा गयी है और यह सरकार वास्तविक बहुमत की सरकार नहीं कही जा सकती।"

अध्यक्ष जी, जो संशोधन दिया है उसकी प्रमाणिकता असंदिग्ध है जिस पर समय पर प्रकाश डालेंगे। इस बीच हमारे प्रदेश के अन्दर बागपत में 18 जून को जो जघन्य अपराध पुलिस ने किया है उसकी मिसाल इस इतिहास में नहीं मिलती। मान्यवर, मैं अपने आप को पहले बागपत काण्ड की व्यवस्था से ही केंद्रित करूंगा ताकि जो तथ्य अखबारों के माध्यम से या जो तथ्य हमको पता है वह देश की जनता और प्रदेश की जनता के सामने रखे जा सकें।

श्रीमन्, शपथ लेने के बाद माननीय नेता सदन ने अपने प्रेस कॉंफ्रेंस में दो ही बातें कहीं थीं एक कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और लाँछन लगाया था जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों पर कि उन दिनों कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गयी थी, उसे अब ठीक करना है। दूसरी चीज अपनी प्रेस कॉंफ्रेंस में मुख्य मंत्री साहब ने कहा था कीमतों के बारे में, उन्होंने कहा था कि जनता सरकार और लोकदल की सरकार में कीमतें बहुत बढ़ गयी है उनको नीचे करना है। श्रीमन्, मैं कुछ तथ्य माननीय सदस्यों के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था की जो स्थिति जनता सरकार के समय में थी, राष्ट्रपति शासन में और वर्तमान सरकार के आने पर बिगड़ी है या

सुधरी है ? श्रीमन्, मैं सबसे पहले रेप्स के बारे में कहूंगा। जब से इस सरकार ने शपथ ली है, महिलाओं पर कितनी बुरी तरह से अत्याचार किये गये हैं। बलरामपुर में एक 36 वर्षीय महिला के साथ पुलिस ने रेप किया। वहाँ पर उस कर्मचारी को निलंबित किया गया। मुरादाबाद में पुलिस द्वारा महिला के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार किया गया वहाँ पर भी पुलिस कर्मी को सस्पेंड किया गया। श्रीमन्, गोरखपुर में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। बाराबंकी में उससे ज्यादा भयंकर कांड हुआ। वहाँ पुलिस ने एक हरिजन महिला के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद उसकी हत्या की।

(शेम शेम की आवाजें)

वहाँ भी पुलिस कर्मी को सस्पेंड किया गया।

एक सदस्य---

नारायणपुर में क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

मैं बतला दूंगा। श्रीमन्, कफल्टा कांड हुआ। वर्तमान सरकार और राष्ट्रपति शासन के इक्जीक्यूटिव हेड बहुत बड़ा दावा करते हैं कि हम हरिजनों के बहुत बड़े हिमायती हैं लेकिन कफल्टा में क्या हुआ ? वहाँ 16 हरिजन जिन्दा जला दिये गये, इस बात के लिये कि वह बारात में बाजा नहीं बजा सकते।

(शेम शेम की आवाजें)

आज 32 साल के शासन के बाद हरिजनों को यह अधिकार नहीं कि वह बाजा बजा सकें। यह है इस सरकार की ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था और इनके कर्म। श्रीमन्, अभी कुम्हावाँ, इटावा में एक घर में डकैती हुयी। डकैतों ने लूट पाट की और 14 वर्ष की लड़की को पकड़ कर ले गये। रेप और व्यभिचार किया। श्रीमन्, उस लड़की की हत्या बहुत बुरी तरह से और जघन्य तरीके से कर दी गयी। श्रीमन्, उसी गाँव में 15 तारीख को इस प्रदेश के कृषि मंत्री ने दावत खायी।

(शेम शेम की आवाजें)

श्रीमन्, यह है इस प्रदेश की कानून व्यवस्था। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में जाँच करें कि 15 तारीख को इस प्रदेश के मंत्री कहां गये थे और किस गाँव में उन्होंने चाय पी और किस घर में उन्होंने खाना खाया। उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों के यहाँ खाना खाया जिनके नाम उस एफ0 आई0 आर0 में मौजूद हैं। श्रीमन्, यह है ला-एण्ड-आर्डर की व्यवस्था। श्रीमन्, हमारे काशीनाथ जी ने काफी कहा कि--जनता सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। मैं फिर कहता हूं। मैंने रियक्शन दिया था, जब नेता सदन ने पहली प्रेस काँफ्रेंस की थी, कि मैं तो उपलब्धि समझूंगा कि अगर इस प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री कानून व्यवस्था और कीमतों को जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के समकक्ष लाकर रख दें, तो यह उनकी कामयाबी समझी जायगी।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्रीमन्, इसके साथ-साथ मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को, भोपाल में एक महिला के साथ वहाँ की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, यह पेपर्स में आया है, वह बधाई के पात्र हैं कि पुलिस कर्मियों को उन्होंने तत्काल सस्पेंड किया। श्रीमन्, एक नहीं हजारों मामले हैं। अभी अभी एक माननीय सदस्य ने नारायणपुर की बात कही। नारायणपुर में कांड हुआ। हमारे माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह भेजे गये। उनका यहाँ पर वक्तव्य हुआ। जैसे ही तत्काल मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना मिली उन्होंने दोनों एस0 ओज को, हाटा और कप्तानगंज, को तुरन्त सस्पेंड कर दिया। सी0 ओ0 को सस्पेंड किया। पूरे थाने का ट्रांसफर कर दिया। (व्यवधान) एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 भी ट्रांसफर किये गये। श्रीमन्, स्वर्गीय संजय गाँधी जी ने, और श्रीमती इंदिरा गाँधी ने तिल का पहाड़ बनाया। घटना कम नहीं थी। काफी थी, वह शर्मनाक घटना थी, इसमें कोई दो राएं नहीं

[श्री राजेन्द्र सिंह]
लेकिन श्रीमती इंदिरा गाँधी, देश के प्रधान मंत्री को नारायणपुर जाने के लिए समय उपलब्ध हुआ। लेकिन कफल्टा आने के लिए समय नहीं मिला क्योंकि हरिजनों की हत्याएं हुई थीं। पारसबीघा, बिहार में नहीं जा सकती थी जहाँ गाँव का गाँव जला दिया गया, महिलाओं के साथ व्यभिचार किया गया। हमारे देश की प्रधान मंत्री को अब समय नहीं है बाराबंकी आने के लिये। उनके पास समय नहीं है बागपत जाने के लिए। बागपत देहली से बहुत नजदीक है। केवल 15 मिनट को हेलिकाप्टर से फ्लाइट है। न प्रधान मंत्री को समय है, और न शासन के किसी वरिष्ठ मंत्री को समय मिला। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं वहाँ गये और न उन्होंने किसी मंत्री को वहाँ की जानकारी करने के लिए भेजा। यह कानून की व्यवस्था है जिसे सुधारने के लिए श्री काशीनाथ जी बहुत व्याकुल है, और हमारे माननीय मुख्य मंत्री काफी चिन्तित हैं ही।

श्रीमन्, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि बागपत की घटना के बारे में सदन के सदस्यों को सूचित करूं। 18 तारीख को एक घटना घटी जिसमें पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गोली से वहीं मार दिया। स्वदेश उर्फ माया त्यागी, नाम की महिला को नंगी, किया चौराहे पर हजारों आदमियों के बीच में और बाजार से थाने तक नंगी ले गये। पुलिस, श्रीमन्, इस बात को कहती है कि उसे नंगा किया था पब्लिक ने। अगर पुलिस की इस बात को मैं मान भी लूं कि उसको जनता ने नंगा किया था, तो उसको कपड़ा पहना कर बाद में थाने ले जाते और पुलिस ने अपनी एफ0 आई0 आर0 में क्यों नहीं दर्ज कराया कि नंगी महिला को पुलिस थाने तक ले गयी? (व्यवधान) मैं शाँति से सुनता रहा हूं। श्रीमन्, मैं जब तक नहीं बैठूंगा तब तक काशीनाथ जी खड़े नहीं होंगे, मेरा आप से यह निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री धनी र.म वर्मा—

काशीनाथ जी को बलात्कार मंत्री बना दीजियेगा। यह शर्म की बात है। आप व्यवस्था करवाएं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि बागपत के बारे में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य क्यों चिन्तित हैं, मैं उसे भी बताऊंगा। इस तरह से श्रीमन्, मैंने कहा कि पुलिस उस नंगी महिला को थाने ले गयी। वहाँ के एस0 ओ0, एस0 आई0 तथा अन्य कर्मचारियों ने उस महिला के साथ व्यभिचार किया। यह हमारे मुख्य मंत्री और नेता सदन की न्यायप्रियता और उनका ला एण्ड आर्डर इस प्रदेश में है।

श्रीमन्, अब मैं इस संबंध में जो जुबानी एस0 आई0 की रिपोर्ट है उसको पढ़ देना चाहता हूं। एस0 आई0 श्री नरेन्द्र कुमार हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। नकल चिक नम्बर 125 मुकदमा इलजाम संख्या 168 अंडर सेक्शन 399/402/307 आई0 पी0 सी0 व अपराध संख्या 169/170/171/172 अन्डर सेक्शन 25/2 आर्मस ऐक्ट

श्री अध्यक्ष—

इसकी कापी आप हमको भी दे देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

ठीक है दे देंगे।

यह जो रिपोर्ट है यह पुलिस का अधिकारी ही जाकर रिपोर्ट करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, क्या यह कोई रिपोर्टेड केस पढ़ रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

आपको मैं जानता हूं लेकिन काशीनाथ जी आप 1977 में हमारे साथ सदन में नहीं आ पाये। आप पंडित हैं संसदीय प्रणाली के। लेकिन नियम के अनुसार यदि प्रश्न उन्हें उठाना है तो जब तक मै न बैठ जाऊं तब तक वह न उठायें। आप परम्परा सिखायें लेकिन गलत न सिखायें।

श्रीमन्, रिपोर्ट में एस0 आई0 लिखाते हैं कि पब्लिक जोश में उत्तेजित होकर औरत को मारपीट रही थी और कपड़े फाड दिये थे पकड़े हुए बदमाशों को भी मारपीट रहे थे जैसे ही मुझे नरेन्द्र कुमार सिंह एस0 आई0 ने देखा कि एक आदमी भी डंडा लेकर प्राइवेट पार्ट पर लगा रहा है। झपट कर उससे डंडा छीना और औरत को मारने पीटने से रोका। औरत वैसे काफी पिट चुकी थी तथा उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। मैने उस औरत सुदेश व उसके पकड़े हुये मुलजिम रोशन लाल को जो कार ड्राइवर बताता है हिरासत पुलिस में लिया और उनको पुलिस थाने ले गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नेता विरोधी दल नियमों से अवगत हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बागपत का मामला जो न्यायाधिकरण के अधीन है और न्यायिक जाँच बिठाई गयी है तो क्या उसमें विस्तार के साथ कोई चर्चा इस आदरणीय सदन में हो सकती है और यह मसला वह क्या पढ़ सकते हैं इसमें मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं इस बात को बताऊंगा कि वह क्मों इतना चिन्तित हो रहे हैं और यह भी बताऊंगा कि न्यायिक जाँच क्यों बिठायी गयी है। (काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कृपया जब तक बुलाया न जाय या व्यवस्था का प्रश्न न हो तब तक सदन की कार्यवाही में व्यवधान न उत्पन्न करें।

एक सदस्य—

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र जी बार-बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उन्हीं को रोक रहा हूं और आप से भी निवेदन किया है। हमारी सदन की परम्परा रही ह कि जो कोई भी मामला सब जुडिस हो उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है, उसके औचित्य या अनौचित्य की बात नहीं की है। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि जहाँ तक उस विषय की जानकारी देने की बात है उसमें कोई ऐसा कमेन्ट नहीं आना चाहिए जिससे उसके सब जुडिस होने पर कोई प्रभाव पड़े। बाकी आप अपनी बात की जो भी अभिव्यक्ति दे सकते हो, दें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है....

श्री अध्यक्ष—

मोतीलाल जी, आप तो नियमों से परिचित हैं। हमारी व्यवस्था के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय मिश्रा जी ने प्रश्न उठाया। आप ने भी उस पर कुछ कहा, सुझाव दिया। श्रीमन्, बड़े शर्म और दुःख की बात है कि जो संसदीय परम्परा के ज्ञाता हैं और जो यह भी चाहते हैं कि हम बहस न करें लेकिन मेरठ का डी0 एम0 तो वक्तव्य देने का अधिकारी है। मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि डी0 एम0 इस तरह का वक्तव्य देने

[श्री राजेन्द्र सिंह]

का अधिकारी नहीं था। यह दुःख की बात है कि आज हमसे कहा जा रहा है कि हम न कहें। मैं वही तथ्य सामने लाना चाहता हूं, भंडाफोड़ करना चाहता हूं। जिसके पीछे यह इतने व्याकुल और चिन्तित है। वह यह बयान है। यह पुलिस की लिखी रिपोर्ट है। पुलिस कहती है, मानती है एफ0 आई0 आर0 में कि औरत को नंगा किया गया, औरत नंगी थी चौराहे पर, यह मान लिया गया इस रिपोर्ट से। श्रीमन्, उस नंगी औरत को पुलिस अपने थाने तक ले गई। यह तथ्य इससे जाहिर है। उसको कपड़े नहीं दिये गये थाने तक। बात इसमें है। श्रीमन् यह भी कहा जाता है कि दुर्व्यवहार, मार पीट हुई। यह बात भी आ गई कि औरत के प्राइवेट पार्ट्स से खून निकल रहा था।

श्रीमन्, अब इसमें एक दो चीजें और हैं। एस0 आई0 अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो तीन आदमी कार के पास खड़े हुये हैं और औरत और दो आदमी कार में बैठे हुये हैं। तीनों आदमियों के पास हथियार है। एस0 आई0 नरेन्द्र कुमार कहते हैं कि मैंने एक आदमी का पहुंचा पकड़ लिया। इतने में उस बदमाश ने मुझे जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर से जैसे ही फायर किया मैंने उस पकड़े हुए आदमी की आड़ ले ली। पुलिसवाले तीन और बदमाश छः सभी के पास पुलिस हथियार बता रही है। कहते हैं कि बदमाशों ने फायर किया लेकिन कहीं किसी के चोंट नहीं आई। दो, ढाई हजार जनता पुलिस बताती है लेकिन किसी के खरोच नहीं आई और न पुलिस के खरोच आई। वह यह कहते हैं कि दस फायर बदमाशों ने किये कहीं पर चोट नहीं आई। यह है हमारी पुलिस की रिपोर्ट।

अब श्रीमन्, मैं उस महिला की रिपोर्ट पढ़ दूं क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद शायद मेडिकल कालेज भेजा गया मेरठ। श्रीमन् यह महिला की रिपोर्ट है। पुलिस वालों ने प्रार्थिनी उसके पति दोनों को पकड़ कर मारना शुरू कर दिया और प्रार्थिनी के पहने हुए कपड़े फाड़ कर उसे नग्न कर दिया और प्रार्थिनी को मारपीट कर नग्न अवस्था में पुलिस थाने खींच ले गये। यह दोनों मिलते हैं। थाने के अन्दर कमरे में सबसे पहले डी0 पी0 गौड़ दरोगा ने प्रार्थिनी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद दरोगा एस0 के0 गुप्ता, नरेन्द्र कुमार जमादार सिंह व राम गिर तथा काशीराम दीवान, आनन्द गिरि, राकेश व प्रताप सिपाही ने बारी-बारी से प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। "यह थी उस महिला की एफ0 आई0 आर0 में नामजद रिपोर्ट (शेम, शेम) (शोरगुल तथा व्यवधान)।

माननीय मुख्य मंत्री ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सी0 आई0 डी0 को आदेश दिये। माननीय नेता सदन का हिन्दुस्तान टाइम्स में 2 जुलाई को यह वक्तव्य छपा है दी रिपोर्ट आफ दी सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी इन दी बागपत इंसिडेंट्स वुड बी सब मिटेड टू दी गवर्नमेंट विथइन ए डे और टू।"

फिर इसमें आगे छपा है

The Inspector General of Police (Intelligence) had already visited Baghpat and the Govt. awaiting the porbe report.

श्री अध्यक्ष—

आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

ठीक है कर दूंगा। श्रीमन्, नेता सदन ने यह वक्तव्य दिया था कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट एक दो दिन में आने वाली है। पहली तारीख की यह बात थी लिहाजा दो तीन तारीख तक आने की उम्मीद थी। यह भी आगे वह कहते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल (इंटेलिजेंस) बागपत से इंक्वायरी कर के लौट आये हैं लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। फिर इस में एक चीज और थी। यह पहली तारीख का स्टेटमेंट है। जैसे ही यह इंसिडेंट

हुआ दूसरे दिन से सभी दलों के लीडर्स ने कहना शुरू किया और माननीय नेता सदन का भी एक वक्तव्य आया है कि इससे राजनीतिक लाभ न उठाया जाय। भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने भी इसी तरह का एक वक्तव्य राज्य सभा और लोक सभा में दिया है। मैं आश्वासन देता हूं नेता सदन को कि हमारा कोई इरादा इस मसले को राजनीतिक मुद्दा बनाने का नहीं है। लेकिन जनता के साथ जो अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ जो व्यभिचार होते हैं और रक्षक ही जब भक्षक बन जायेंगे तो यह देश व प्रदेश कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उन तथ्यों को हम सदन व जनता के सामने लायें लेकिन हमारा कोई राजनीतिक लाभ उससे उठाने का इंन्टेंशन नहीं है। फिर इस मुद्दे को किसी एक दल विशेष ने नहीं उठाया। इस मुद्दे को राज्य सभा और लोक सभा में सभी राजनीतिक पार्टीज ने उठाया है। होम मिनिस्टर जैल सिंह बागपत गये थे। 11 महिलायें उनके साथ गयी थीं जो विभिन्न दलों की थीं। इसके अलावा प्राइवेट लोग भी गये राजनीतिक दल के लोगों के अलावा। अखबारों में भी एडीटोरियल आये हैं, उनको पढ़ने का शायद आपको समय मिल गया होगा। जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन अखबारों में वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हमारा न इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का विचार है और न विरोधी दल इसको राजनीतिक मुद्दा बना ही रहा है। देश तथा प्रदेश के तमाम अखबारों में बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे एडिटर ने एडिटोरियल के माध्यम से जो अपने मत व्यक्त किये हैं मैं उनको सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्रीमन, यह 26 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस है। इसमें नरेन्द्र सिंह एम0पी0 हैं, लोक दल से है। और भी लोग हैं जैसे राम बिलास पासवान आदि लोग बागपत गये। पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं समझता हूं कि प्रेस कटिंग्स मुख्य मंत्री के पास आयी होंगी। जो दुर्व्यवहार एक एम0पीज0 के साथ वहाँ पर किया गया और इस सम्बन्ध में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसके बारे में न तो मुख्य मंत्री जी ने और न डी0 एम0 व एस0 पी0 ने आज प्रतिवाद किया है कि जो माननीय सदस्य लोक सभा या राज्य सभा बागपत जा रहे हैं पुलिस उनको टारचर नहीं कर रही है, इसको डिनाई नहीं किया गया। इस बात को लोकदल के महामंत्री श्री मधुलिमये ने पत्रों द्वारा सूचित किया है कि वहाँ पर एम0पी0 को पुलिस वालों ने बूट आउट किया है। माननीय काशीनाथ जी चले गये, इसे वह नहीं सुन सके। मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आप सहिष्णु हैं। आपके बारे में बहुत अच्छी भावनायें हैं। मैं समझता हूं कि आपके मन में प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देने का है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी कमान किसी और के हाथ में है। आपका मन करता है कि कुछ निर्णय करूं लेकिन आप दूसरे के काबू में आ जाते हैं, कुछ कुर्सी की तमन्ना भी होती है कि कहीं छिन न जाय। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि नेता सदन सहिष्णु हैं, अच्छे विचार रखते हैं, मन उनका सही निर्णय करने का है कि प्रदेश को सही दिशा में चलाया जाय। मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने माँग की है-मैं जहाँ तक समझता हूं कि माननीय नेता सदन से दिल्ली में नरेन्द्र सिंह जी की इस सम्बन्ध में बात हुई थी और उन्होंने माँग की थी—इम्मिडियेट सस्पेंशन आफ दि पुलिस औफीशियल्स। इस प्रदेश के अन्दर जितनी भी ऐसी घटना हुई है उनके सम्बन्ध में ऐसा कहीं कभी भी नहीं हुआ है कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया हो और शासन द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रश्रय दिया गया हो। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप जानते हैं नारायणपुर कांड में सस्पेंशन्स किये गये। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है और कहा जायेगा कि उसमें एस0 एस0 पी0 तो कहीं नहीं था लेकिन उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी। यहाँ पर उसकी सूचना क्यों नहीं आयी। देवरिया के एस0 पी0 ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया इसलिये तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उसका स्थानान्तरण किया। साथ ही जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 थी उनको और हाटा तथा कप्तानगंज के एस0 पी0, सी0

[श्री राजेन्द्र सिंह]

ओ0 व 3/4 एस0 आई0 को सस्पेंड किया गया। यह एक अकेली मिसाल है जिसको करने के लिये हमारे मुख्य मंत्री हिचक रहे हैं। डिमान्ड थी सस्पेन्शन की लेकिन कमान ऊपर से खिची हुई है। श्रीमन्, इसके बाद बात आती है होम मिनिस्टर भारत सरकार की, श्री जैल सिंह बागपत जाते हैं। तो उसके बाद मैं इन्क्वायरी के बारे में निवेदन करूंगा। माननीय नेता सदन ने एनाऊंस कर दिया जुडिशियल इन्क्वायरी का। मेरा कहना है कि जब होम मिनिस्टर जैल सिंह जी बागपत चले गये उनको घटना की पूर्ण जानकारी हो गयी, तो उसके बाद उन पर प्रेशर पड़ा कि इससे पुलिस कर्मी बच नहीं सकते, सभी साक्ष्य मौजूद हैं। टेलीफोन पर नेता सदन से बात हुई और एडवाइस किया गया कि जुडीशियल इनक्वायरी की जाय उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जुडिशियल इनक्वायरी को एनाऊंस कर दिया। मेरा निवेदन है यह नेता सदन की स्वेच्छा से नहीं हुआ बल्कि ऊपरी दबाव से, होम मिनिस्टर श्री जैल सिंह के दबाव से नेता सदन ने एनाऊन्स कर दिया इसके लिए उनकी इच्छा नहीं थी। वहाँ आई0 जी0 इंटेलीजेन्स और डी0 आई0 जी0 इंटेलीजेंस गये थे नेता सदन को उम्मीद थी कि दूसरी या तीसरी तारीख को रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट के प्रिंट कराने में समय लग सकता था लेकिन टेलीफोन पर उनसे पूछ सकते थे, कि आपने क्या निर्णय लिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आई0 जी0 इंटेलीजेस की फाइंडिग क्या है? इस पर आप ऐक्सन ले सकते थे। पहली तारीख को वह लौट आये थे दो तीन तारीख तक वह बता सकते थे। लेकिन पुलिस को बचाना है इसके लिए जुडीशियल इंक्वायरी एनाऊंस कर दी। सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, कितना नृशंस कांड हुआ, औरत की इज्जत सरे बाजार लूटी गयी और उसे नंगा ले जाया गया। सरकार को तो चिन्ता है कि पुलिस कर्मियों को बचाना है।

एक सदस्य—

डकैतों की हिमायत बहुत हो गई।

श्री राजेन्द्र सिंह—

हमारे एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया कि डकैतों की हिमायत कर रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार का कानून किसी देश में नहीं है कि डकैतों को गोली मार दी जाय। मेरे दोस्त माफ करेंगे जनता सरकार के समय में एक प्लेन हाईजैक हुआ, मेरे दोस्त उसे भूल गये, उनके साथ बात हुई और किसी तरह से उनको छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गोली तो नहीं मारी थी ठीक है आज वह इस सदन के सदस्य हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों न हो, इनकाउन्टर को छोड़कर गोली नहीं मारी जाती, वगैर ट्रायल के अगर चीफ जस्टिस के सामने कोई घटना हो तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है पहले उसका ट्रायल होगा। नहीं तो यह बारबेरिज्म हो जायेगा फिर कानून और नियम कहाँ रह जायेंगे? मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ कई केस थे लेकिन मेरा कहना है कि अगर इसको देखा जाय तो इसके अन्दर बहुत सी चीजें हैं। इसमें 15, 16 आदमी पुलिस के थे, उनके पास राइफलें थीं, गैस लेकर वह गये थे। अगर कोई ऐसी बात थी तो उनके पैरो में छर्रे मारते न कि सीधे गोली मार देते। झगड़ा इस तरह से हुआ श्रीमन्, जैसा मालूम हुआ, एक सिविल पुलिस वाले ने कार में बैठी हुई एक महिला के साथ छेड़छाड़ करना चाहा.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप गलत बयानी करना बन्द कर दें सदन में।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं और यह इस तरह से व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, आप इन माननीय सदस्य को बैठाइये। इनको कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हो रहे हैं। मैं उस महिला के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम मिनिस्टर, जो आपके दल के हैं, के विचार पढ़ना चाहता हूं।

"Mr. Zail Singh told them that he found her to be a nice and simple girl. "I don't know whether anybody of her family is a dacoit. But it is true that she was going to attend a marriage", he said."

यह देश के होम मिनिस्टर का वर्जन है। उनका कहना है कि वह महिला देखने से बहुत अच्छी और सच्चरित्र लगती थी और मुझे नहीं पता कि उसके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर डकैती आदि के कोई केसेज हों। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पता चला है कि वह एक मैरेज में जा रहे थे। जबकि पुलिस का कहना है कि वह लोग लूट के लिए, डकैती के लिए जा रहे थे। तो होम मिनिस्टर और पुलिस के वर्जन में स्पष्ट अन्तर है। पुलिस की बात बनाई हुई और तथ्यों से बिलकुल अलग हटकर है। श्रीमन्, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी--

"Expressing shock and concern over the incident Mr. Zail Singh said 'parading a woman naked was a stigma on the nation'. He said that the guilty would in no way go unpuni shed."

यह देश के ऊपर एक कलंक है कि एक महिला को इस तरह से नंगा ले जाया जाए। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस चीज को पोलिटिकिल कलर दिया जा रहा है। मेरा निवेदन कि कोई पोलिटिकल कलर नहीं है। एक 'इंडियन एक्सप्रेस' के करेस्पाण्डेन्ट हैं, मैं उनको नहीं जानता, उनका मेरे दल से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह कोई पोलिटिकल आदमी नहीं हैं, उनका अपना कहना है कि जब वह थाने में गये, उन्हें वहाँ इंचार्ज मिस्टर गौड़ मिले। उन्होंने दिखाया--

"He showed this repoter the "damages" done inside the police station by the crowd to prove that the police had no hand in the assult of Maya."

मैं किसी दल के कार्यकर्त्ता की नहीं, बल्कि एक प्रेस के करेस्पान्डेन्ट की बात कह रहा हूं। उनका कहना है कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एस0 ओ0 ने कुछ डैमेजेज दिखाए, लेकिन दूसरी बात कही गयी, इट टेस्टीफाइज सच विफोर दि विजिटिंग टीम, सेड दैट क्राउड वाज नाट एलाउ टु इन्टर दि पुलिस स्टेशन। श्री राजबीर सिंह कांग्रेस (आई0) कार्यकर्त्ता भी उपस्थित थे। होम मिनिस्टर जैल सिंह जब गये। मेरा निवेदन यह है कि यह वरजन पोलिटिकल आदमी का नहीं है एक निष्पक्ष प्रेस के करेसपाँडेन्ट का है। उसे किसी दल विशेष से कोई मतलब नहीं है। जो इस कान्ड को सुनने के बाद वहाँ पर गया और जो कुछ उन्होंने देखा अपने विचार व्यक्त किये।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से यह जानना चाहता हूं कि बागपत के साथ उनके जमाने में कौन कौन से कान्ड मेरठ में हुए उनको भी वह बताते चलें। तो मैं यह समझूंगा कि वह बड़ी ईमानदारी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता विरोधी दल अपना वक्तव्य दे रहे हैं। जो समझेंगे, वह बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मुझे दुख है इसीलिये तो मैं यह कहता हूं कि इस इन्सीडेन्ट को सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य और मेरठ से आने वाले माननीय सदस्य उठायेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। अध्यक्ष जी, आप यह देखें, मैं इसीलिये बोल रहा हूं। जो कुछ सदन में कार्यवाही

[श्री राजेन्द्र सिंह]

चल रही है, यह बाहर भी जायेगी। प्रदेश की जनता इस बात को देखेगी कि क्या पोलिटिकल कलर विरोधी दल दे रहा है या वहाँ पर जो हीनस क्राइम हुआ है उसको दबाने के लिए यह सरकार प्रयास कर रही है। श्रीमन् 3 जुलाई का हिन्दुस्तान टाइम्स है। जैल सिंह को श्रीमती त्यागी बागपत में नहीं मिली थी, उससे पहले उन्होंने एडमिट किया था। श्रीमती त्यागी न प्रधान मंत्री जी से भी बात किया। जो महिला

(इस समय 2 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए।)

पार्लियामेंट की मेम्बर हैं वह भी वहाँ पर गयी थीं। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मैं यह कह रहा था कि जो टीम देश के गृह मंत्री श्री जैल सिंह के साथ बागपत गयी थी और जो महिलायें वहाँ पर गयीं, उनका एक प्रेस में रेफ्रेन्स है। नार्दन इंडिया पत्रिका 3-7-80 का है। इसमें उन्होंने कहा कि तीन महिलायें जो लोक सभा की सदस्य हैं, वह गयीं।

"Three women Members of Parliament, who visited Baghpat with the Home Minister, are convinced that the Police are guilty of rape and murder.

इसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है:

"वे 3 संसद की महिला सदस्य जो बागपत गयीं थीं, उन्होंने कहा है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि श्रीमती माया का रैप हुआ और उसकी दोषी पुलिस है और कोई नहीं।

एक दूसरा मेमोरैण्डम दिया गया जिसमें दिया था कि :

"The memorandum said the fact that a woman was molested the woman—the members of the public or members of the police force—the circumstances did not warrant the conclusion that it was done by the public."

जैसा कि हम सब जानते हैं महिलाओं का स्थान सर्वोपरि माना गया है। उन्हें नारी, माता और देवी की संज्ञा दी गयी है। इस प्रकार से महिला के ऊपर जो आघात हुआ है, उसका आभास पुरुष से अधिक महिलायें कर सकती हैं। तो यह महिलाओं का ही वर्जन है, यह किसी दल विशेष के व्यक्तियों का नहीं है, वे सब पार्टियों की है, उन्होंने कहा है कि यह बड़ा ही शेमफुल काँड हुआ जो माया देवी के साथ बागपत में किया गया। पुलिस वालों और सत्तापक्ष वालों की ओर से यह कहा गया कि यह तो पब्लिक ने किया। वे कहती हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं पर भी मिसअंडरस्टेंडिंग नहीं है। यह शेमफुल काँड पुलिस ने किया है और पब्लिक ने नहीं किया है यह इन महिलाओं का कहना है। मुझे इन प्रेस कटिंग्स का हवाला इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये तथ्य जनता के सामने आ चुके हैं कि बागपत के अन्दर पुलिस के अधिकारियों ने उस माया देवी के साथ यह शेमफुल काँड किया था। वे अधिकारीगण आज यहाँ पर कुछ साथियों के माध्यम से कमोफलेज करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मैं इसलिए भी ये यहाँ पर कह रहा हूं क्योंकि माननीय नेता सदन का भी बयान आ चुका है कि इस मामले को पोलिटिकल कलर न दिया जाय। इसलिये भी मैंने तमाम एम0 पीज0 के बयानों को और विभिन्न समाचारपत्रों के एडिटोरियल्स को भी पढ़ कर सुनाया है।

यही नहीं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी गये थे। वे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मेम्बर्स है, मैं उनके नाम जानता हूं, कभी देखा तो नहीं है। Indian Express में जो बयान निकला है उसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं जो इस प्रकार है:

"Six senior Supreme Court advocates who visited Baghpat yesterday have demanded immediate suspension of and necessary action against the Police Officials allegedly responsible for the killing of three persons and molestation of a pregnant woman."

सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेज ने कहा है कि बागपत में पुलिस कर्मियों ने 3 व्यक्तियों को गोली से मारा और एक गर्भवती महिला को मालेस्ट किया, अपमानित किया और उसे नंगा ले जाया गया। तो उनको तुरन्त सस्पेंड करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इस

देश में कानून और नियम बने हैं। आई0 पी0 सी0 हैं, सी0 आर0 पी0 सी0 हैं, आर्म्स ऐक्ट भी हैं, उसके अनुसार कार्यवाही करना चाहिये। अगर कोई डकैत भी है तो न्यायालय ही उसे सजा दे सकती है, पुलिस को उसे सजा देने का अधिकार नहीं होता है। इसमें यह भी माना है कि कोई भी जस्टीफिकेशन ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि पुलिस को उन तीनों व्यक्तियों को गोली से मारना आवश्यक था और उनके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसमें फिर यह भी कहा है कि मायादेवी के साथ जिस तरह का कार्य हुआ है वह किसी भी प्रदेश और देश की सरकार के लिये कलंक है और सिर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह से ब्राड डे लाइट में उसे नंगा करके सरे बाजार घुमाया गया इससे बड़ा और कोई दुष्कर्म हो नहीं सकता .....

श्री रियासत हुसैन---

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और इस समय अधिकारी दीर्घा में न चीफ सेक्रेटरी हैं, न होम सेक्रेटरी हैं, न अन्य कोई उच्च अधिकारी है, मुख्य मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं सदन में, पूरे अधिकारियों में कोई नहीं है, जब कि परम्परा ऐसी रही है कि उनको उपस्थित रहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मुख्य मंत्री जी तो उपस्थित हैं सदन में।

श्री रियासत हुसैन---

वे तो सदन में एक मेम्बर की हैसियत से हैं। इस सदन की परम्परा के अनुसार अधिकारियों को भी उपस्थित रहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

यह कैसे पहचाना जा सकता है कि लाबी में कौन बैठा है।

श्री राम आसरे वर्मा---

श्रीमन्, यह यहाँ की परम्परा रही है, चीफ सेक्रेटरी तथा होम सेक्रेटरी को यहाँ लाबी में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

मेरा यह ख्याल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, अब कौन अधिकारी लाबी में बैठे हैं या नहीं यह आप कैसे पहचान सकते हैं ?

(हंसी)

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जो मौके पर गये सीनियर एडवोकेट्स, उन्होंने अपना जो वर्जन दिया है, उसके बारे में, श्रीमन् मैं अब फिर उसकी तरफ थोड़ा आता हूं। श्रीमन्, यह 2 तारीख की प्रेस कॉंफ्रेंस है माननीय मुख्य मंत्री जी की, जिसमें उन्होंने जुडीशियल इन्क्वायरी एनाउन्स की। 1 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट विदिन ए डे आने वाली है। आई0 जी0 इन्टेलीजेंस बागपत से लौट कर आ चुके हैं। लेकिन 2 तारीख को टेलीफोन पर बात होती है और माननीय मुख्य मंत्री जी प्रेस कॉंफ्रेंस में एनाउन्स कर देते हैं जुडिशियल इन्क्वायरी। श्रीमन्, उनसे जब पूछा गया कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी का क्या रहा, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माँग करूंगा नेता सदन से कि सी0 आई0 डी0 की इनक्वायरी जो आई0 जी0 इन्टेलीजेंस ने आपको भेजा है, उसे इस सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ताकि सही तथ्य पुनः जनता के सामने आ सके। श्रीमन्, हमारा कहना है कि जब सी0 आई0 डी0 इन्टेलीजेन्स ने इन सभी तथ्यों को सही पाया और वहाँ के पुलिस कर्मियों को, एस0 ओज0, एस0 आईज0 को महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया, तो उन्हें बचाने के लिये लम्बा रास्ता लेने के लिए श्रीमन्, यह जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कही गयी। श्रीमन्, जुडीशियल इन्क्वायरी उन केसेज

[श्री राजेन्द्र सिंह]

में होती है जहाँ पर तथ्य के बारे में निश्चितता न हो। श्रीमान् जैसे कहीं फायरिंग हुई। एक्सेस फायरिंग हुई, तब जुडीशियल्स इन्क्वायरी होती है कि क्यों हुई, क्या कारण था। यह श्रीमन्, आप कह सकते हैं कि नरायनपुर में क्यों हुई। श्रीमन्, नरायनपुर में जो घटना घटी वह रात में घटी थी। रेप के जो केसेज की बात आई थी वह रात में घटी थी। श्रीमन् उसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं आई थी। श्रीमन्, यहाँ पर तो तथ्य सामने हैं। घटना दिन में होती है 1 बजे, पुलिस वाले जो एफ0 आई0 आर0 लिखाते हैं जाकर, श्रीमन् वही काफी सफीशियन्ट हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए, उन्हें सस्पेंड करने के लिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज फाइल करने के लिए। वही रिपोर्ट श्रीमन काफी है। यह सब लम्बा खींचने के लिए दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए यह जुडिशियल इन्क्वायरी एनाउन्स की गयी। जहाँ तक मैंने देखा है किसी व्यक्ति ने, न लोक दल ने जूडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिए कहा है और न किसी अन्य दल ने कहा है। श्रीमन्, मैंने सस्पेंशन डिमाँड किया था, हम जानते हैं कि किसी बात को किसी तथ्य को नकारात्मक करना हो तो जुडीशियल इन्क्वायरी दी जाय, 6 महीने तक चलती रहेगी, फिर कैबिनेट में आयेगी और तब तक पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस चीज को लम्बा खींचने के लिए एक तरीका है जूडिशियल इन्क्वायरी। श्रीमन्, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और दोषी व्यक्तियों को शील्ड करने का, उनको बचाने का यह जो उनका निर्णय था, ठीक नहीं था। यह उनका निर्णय नहीं, यह निर्णय श्री जैल सिंह का है– "दि चीफ मिनिस्टर हैव ए जूडीशियल इन्क्वायरी" यह उनका वर्जन है। अब मैं फिर आप से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से माँग करता हूं कि सी0 आई0 डी0 की जो रिपोर्ट है, इन्कम्पलीट है तो भी उसे सदन में आना चाहिये उसे सदन की प्रापर्टी होनी चाहिये ताकि हम सभी को इस प्रदेश की जनता को इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को इस तथ्य की जानकारी हो सके कि सी0 आई0 डी0 ने अपनी रिपोर्ट में किस–2 तथ्य को कहा है। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी को हम नहीं चाहते हैं। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी उन आदमियों को बचाने के लिये और संरक्षण डिपार्टमेन्ट को देने के लिये नहीं की गई है। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की कोई आवश्यकता इस तथ्य में नहीं थी।

श्रीमन्, अब एक और चीज है, अखबार में 4 जुलाई, 1980 का इसमें स्वराष्ट्र मंत्रालय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने बागपत काण्ड की अधिकाँश घटनाओं की पुष्टि करते हुये कहा है श्रीमती माया त्यागी को वहाँ पर 2 हजार आदमियों ने न केवल नंगा घुमाया गया बल्कि थाने में उसके साथ ज्यादती की गई यह उनके उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट है। श्रीमन्, फिर कहना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसमें है रिपोर्ट में यह भी कहते है कि कुछ स्थानीय नेता पुलिस को संरक्षण प्रदान कर रही है। श्रीमन्, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इन दोषी पुलिस कर्मियों को सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य और कुछ नेता प्रश्रय दे रहे हैं। श्रीमन्, यह तथ्य इस स्वराष्ट्र मंत्रालय की रिपोर्ट से जो उच्च अधिकारियों ने दी और जो 4 जुलाई के अखबार में प्रकाशित हुई है। श्रीमन्, उन्होंने आगे कहा है कि श्रीमती माया त्यागी के कपड़े कुछ पुलिस वालों ने और आम लोगों ने फाड़ा तथा बिल्कुल नंगा करके थाने ले गये जहाँ थाने में ज्यादती की गई। अधिकारियों ने यह भी मत व्यक्त किया कि मेरठ पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन कोई कार्यवाही उन्होंने नहीं की। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा माननीय नेता सदन से कि नरेन्द्र कुमार ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें यह भी था कि वायरलेस से इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी जाय। मेरठ के उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना मिली थी लेकिन उच्च अधिकारी वहाँ नहीं गये। उन्होंने एक वक्तव्य दिया जो शेमफुल है। श्रीमन्, अधिकारियों की तरफ से कोई वक्तव्य उन व्यक्तियों को डिफेण्ड करने के लिये नहीं आना चाहिये था। मेरा फिर कहना है कि मैं चाहूंगा कि माननीय नेता सदन इस बात

को देखे, जुलाई 1, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में आया है कि होम डिपार्टमेन्ट के कुछ आफीसर ने कहा कि मिसलीड करने की बात है श्रीमन्, की वह क्रिमिनल थे लेकिन क्रिमिनल के साथ पुलिस का यह तथ्य कहा सही है कि क्रिमिनल के सम्बन्ध में उनको यह अधिकार कहाँ है कि वह उनको शूट कर दें। होम डिपार्टमेन्ट के किसी अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने जो 3 व्यक्तियों को मारा है वह पुराने नामी डकैत थे। श्रीमन्, तथ्य अगर देने थे तो मैं समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री के किसी प्रवक्ता को बागपत काण्ड के संबंध में पूरा तथ्य देना चाहिए था। इस बात से यह साफ जाहिर होता है श्रीमन् उन अधिकारियों को जिन्होंने यह कृत्य किया, उनको बचाने के लिये साजिश शुरू से यह शासन करता चला आ रहा है, उनके पुराने रिकार्ड खराब होने से उनको सजा हो सकती थी, इस भय की वजह से उनके नाम सामने नहीं लाये जा रहे हैं। ऐसे रिकार्ड शुदा कुछ सदस्य इस सदन में भी हो सकते हैं जिनका रिकार्ड ऐसा है श्रीमन् (व्यवधान) मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने पूरे सदन को इसीलिए कहा है, उसमें तो मैं भी शामिल हो सकता हूं। इसलिए आपको चिढ़ना नहीं चाहिए। आप चिढ़ रहे हैं। इसके माने हैं कि 'चोर के दाढ़ी में तिनका'। किसी भी व्यक्ति को किसी को मारने या शूट करने का अधिकार नहीं है, और यह अधिकार पुलिस कर्मियों को भी नहीं है। इसलिए ऐसा वक्तव्य होम मिनिस्ट्री के किसी प्रवक्ता को नहीं देना चाहिए था, जो बहुत ही होपलेस है।

श्रीमन्, इसी संबंध में डी0 एम0, मेरठ ने जो यह बयान दिया है, उस पर हम सब विरोध पक्ष को एतराज है। एतराज ही नहीं मान्यवर, मैं पुनः कहूंगा जोर देकर कि डी0 एम0 को वक्तव्य देना चाहिए था प्रेस में या कहीं भी तो पूरी घटना-क्रम के बारे में। और यदि वह कुछ नहीं कहते तो केवल एफ0 आई0 आर0 का ही हवाला देते हुए कुछ सही तथ्य सामने लाते, परन्तु उन्होंने भी सिर्फ एक गोल बात कही कि कुछ हार्डेन्ड क्रिमिनल लोग थे, जिन्होंने ऐसा किया।

परन्तु श्रीमन्, यहाँ अफसोश की एक बात यह है कि इस मामले में संबंधित जिले के डी0 एम0, एस0 पी0 से लेकर दिल्ली के हाईकमान यहाँ मंत्रिमण्डल के सारे साथी और कुछ अधिकारी वर्ग भी इन दोषी व्यक्तियों को बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। मैं तो श्रीमन् इस संबंध में कहूंगा कि वहाँ के डी0 एम0, एस0 पी0 तथा अन्य संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल होना चाहिए था, परन्तु अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गयी। श्रीमन, जब वहाँ पर से संबंधित पहली कम्पलेन्ट आई तो उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया और मैं समझता हूं कि यह देश का अकेला अनूठा केस है। जिसमें पुलिस कर्मियों और अपराधियों के खिलाफ हमारे माननीय नेता सदन और इस देश का प्रशासन उचित कार्यवाही के लिए हिचकिचा रहा है। श्रीमन्, इसमें कही न कहीं कोई गुत्थी है, जो सुलझाई नहीं जा रही है। श्रीमन्, अब मैं इस बात पर आता हूं। अभी कहे देता हूं। श्रीमन्, अब यह बात आती है कि इस सारे मामले पर हर जगह हल्ला-गुल्ला हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सभी को सद्भावना रखनी चाहिए थी और इस कृत्य के लिए हरेक वर्ग के लोगों की समवेदना होनी चाहिए थी। इस कुकृत्य के लिए शर्म से आँखें तथा मस्तिष्क झुक जाने चाहिये थे। राष्ट्रपति शासन में प्रदेश में कांग्रेस (आई) को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसफर किये गये। यह पहली मिसाल है जब कि राष्ट्रपति शासन में जिनको कि नीति विषय निर्धारण करने का अधिकार नहीं होता, इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किये गये। जाति द्विवेष के कारण ये ट्रांसफर हुए। कुछ विशेष जाति के व्यक्तियों को कुछ विशेष स्थानों पर भेजा गया।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आपने भी तो यह किया था।

श्री राजेन्द्र सिंह—
कोई गुनाह हमने किया तो आप तो नहीं कीजिये ।
(व्यवधान)

एक सदस्य—
जातिवाद को आपने बढ़ाया ।
(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह—
मैं कह रहा था .....
(शोर)

श्री अधिष्ठाता—
आप लोग शाँति रखें । जब आपको समय मिले तभी आप बोलिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह—
आप लोग सुनने की कोशिश करें । श्रीमती इंदिरा गाँधी ने, देश की प्रधान मंत्री ने भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हरिजन गवर्नर को बदला । हरियाना जैसे छोटे राज्य में भेजा । माननीय अध्यक्ष जी, क्यों ? आशंका है । आशंका ही नहीं सत्य है, श्री तपासे वह काम नहीं कर सकते थे जो श्री सी0 पी0 एन0 सिंह ने कर दिखाया । इसीलिए यह ट्रांसफर हुए । श्री सी0 पी0 एन0 सिंह आते हैं उसके बाद ताँता लगता है, ट्रांसफर्स का ।

एक सदस्य—
पानी पी,पी के गाली दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—
मैं गाली नहीं दे रहा हूं दोस्त ।
(हंसी)

श्री राजेन्द्र सिंह—
कमिश्नर आगरा, डी0 आई0 जी0, 36 कलेक्टर्स, 34 एस0 पी0, 300 डी-वाई0 एस0 पी0 के ट्रांसफर हुए ।
(शोर)

मैं कह रहा था चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए जाति विशेष के लोगों को उन स्थानों पर भेजा गया जहाँ पर आज तक काँग्रेस (आई) कभी स्थान जीत नहीं पायी....
(शोर)

एक सदस्य—
जाति विशेष के लोगों को मेरठ के हर थाने में पोस्ट किया जाता था आपके समय में
(शोर)
जाति के आधार पर दरोगा बनाये गये । डिप्टी एस0 पी0 पर भी जातिवाद को लेकर प्रोमोशन दिये गये । यह कहते हैं कि जाति-वाद को प्रोमोशन नहीं दिया गया, प्रोत्साहन नहीं दिया गया । इनको शर्म नहीं आती.....

श्री राजेन्द्र सिंह—
श्रीमन्, मैंने कहा कि कुछ जाति विशेष को तो क्रिमिनल ट्राइब बना दिया गया ।

एक सदस्य—
यह ब्यूह रचना तो आपकी ही थी ।

श्री राजेन्द्र सिंह—
आपने ठीक कहा । मेरे बुजुर्गवार जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दूंगा। मैं मौन रहा हूं । मैंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में जान बूझ कर सत्ता में आने के लिये ट्रांसफर किये गये, बूथ कैपचरिंग की गयी । पुलिस से बूथ कैपचरिंग कराया गया।
(शोर)

एक सदस्य—
दूसरे पर चार्ज लगाते हैं। खुद ही जीतते हो बूथ कैपचरिंग करा कर।
(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द—
एक व्यवस्था का सवाल है। जब नेता विरोधी दल बोल रहे हों तो हम गुजारिश करते हैं कोई माननीय सदस्य न बोलें। यदि ऐसा करेंगे तो जब मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो हम लोग भी यहीं करेंगे। सदन हम लोग भी नहीं चलने देंगे ?
(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह—
हमारे ट्रेजरी बेंचेज के साथी काफी उत्तेजित हैं। हमारी बात सुनी जाय, मुझे भी बोलने दिया जाय। बहुत बड़ा नाज है आपको अपनी जाति का। श्रीमन्, आकड़े इस बात के साक्षी हैं। एवरेज मतदान 40 प्रतिशत हुआ। काँग्रेस (आई) को करीब 37 प्रतिशत मत मिले जो कि सम्पूर्ण मतदाताओं का साढ़े चौदह प्रतिशत मत है। श्रीमन्, आपके माध्यम से इस तथ्य को बता देना चाहता हूं कि प्रदेश को साढ़े पचासी प्रतिशत मतदाताओं ने आपको वोट नहीं दिया या तो वह उदासीन थे या आपको मत नही देना चाहते थे। आपको केवल साढ़े चौदह प्रतिशत मत मिले। सत्ता मे आप आ गये यह ठीक है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—
सन्तोष के लिए काफी अच्छा इरादा आपने बना रखा है।

श्री रानेन्द्र सिंह—
आँकड़ों को झुठला रहे हैं। वह भी नहीं मान रहे हैं। श्रीमन्, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आज सत्तारूढ़ दल के, मेरठ के माननीय सदस्य ने, एस0 ओ0 और दूसरे अधिकारियों के माध्यम से बूथ कैपचरिंग कराई थी।
(व्यवधान)

एक सदस्य—
बोलने दीजिये।

एक सदस्य—
अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन किया जाय कि वह व्यक्तिगत आक्षेप न करें।
(शोर)

अन्य सदस्य—
बूथ कैपचरिंग के पिता तो आपके चौधरी चरण सिंह हैं, उन्हीं ने बूथ कैपचरिंग सिखायी है।

श्री अधिष्ठाता—
आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजेन्द्र सिंह—
मैं निवेदन कर रहा था कि सत्ता रूढ़ पार्टी ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से बूथ कैपचरिंग करके लोगों को इंटीमिडेट किया। 12 हजार वोटरों को जेलों के अन्दर बंद किया गया।
(शोर)

आज पुलिस प्रशासन इनके काबू में नहीं रहा। जो पुलिस ने इनको सत्ता में बैठाने के लिये अहसान किया उसका बदला पुलिस महिलाओं के साथ अत्याचार करके ले रही है।
(शोर)

बहुत से सेन्टर्स पर बूथ कैपचरिंग की गयी और आदमी मार दिये गये।

एक सदस्य—

उल्टा चोर कोतवाल को डाटे वाली मसल है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इनको जबाव देने का मौका मिलेगा । तब सफाई दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं अभी एक ही मिसाल दूंगा । मैं उसमें जाना नहीं चाहता था लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह तथ्य मैं दिये देता हूं। गाजीपुर के जमनियाँ क्षेत्र के अन्दर.....

(शोर)

श्री राम गोविन्द—

अधिष्ठाता महोदय, अगर आप सदन चलाने में सक्षम नहीं है तो थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दें । आपसे चल ही नहीं रहा है ।

(शोर)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक सदस्य—

यह लोग जो शोर मचा रहे है, आप व्यवस्था दें कि यह कार्यवाही का अंग होगा या नहीं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, निवेदन है कि माननीय नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं । उनके भाषण के मध्य जो माननीय सदस्य बोल रहे है उसे कार्यवाही का अंग न बनने दें ।

एक सदस्य—

यह ट्रेजरी बेंचेज से बोल रहे हैं यह विरोधी पक्ष से बोल रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मैं विरोधी पक्ष से बोल रहा हूं ।

एक सदस्य—

लेकिन आप ट्रेजरी बैचेंज के हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

आपको गलतफहमी हो रही है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय नेता विरोधी दल के भाषण का अर्थ होता है कि व्यक्तिगत आक्षेप किये जायं, महान पुरुषों को गालियाँ दी जायं, और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को उल्टा करके केवल बागपत काँड तक भाषण को सीमित कर दिया जाय ?

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय नेता विरोधी दल का भाषण हो रहा है और यह सदन की परम्परा रही है कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल जब बोलते हैं तो उनकी बातों को गम्भीरतापूर्वक सुना जाता है । सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कही हैं, उनका जबाव देने का। इस तरह से टोकाटाकी करना विरोधी पक्ष के अधिकारों का हनन करना होगा। मैं नेता सदन से अपील करता हूं कि अपने सदस्यों को अनुशासित करें ।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल, अपना भाषण जारी रखें।

जब तक मैं अनुमति न दूं तब तक अन्य माननीय सदस्य न बोलें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, माननीय धर्मपाल सिंह को बड़ी चोट है। बात ठीक है। लोक सभा के चुनाव में हमने उनको चोट दी थी। दर्द होना चाहिए। मैं बुरा नहीं मानता। मुझे विधान सभा का चुनाव भी याद दिलाना पड़ेगा आपको।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध है कि आप जो भी बात कहें, मुझे सम्बोधित करके कहें। सीधे बातचीत नहीं होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन, बहुत कुछ रह गया है कहने के लिए। अभी तो शुरुआत कर रहा हूं। श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने कहा कि बूथ कैपचरिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा। जमनिया एक क्षेत्र है गाजीपुर का। 160 के करीब शायद बूथ हैं। 140 बूथों पर, जो काउन्टिंग की फिगर्स हैं, लोक दल के प्रत्याशी को साढ़े सोलह हजार और कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी को साठ हजार वोट मिले और जो बाकी 20 बूथ बचे उनमें कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी को 20 हजार और लोक दल के प्रत्याशी को दो हजार। श्रीमन्, इसे बूथ कैपचरिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ?

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों को बड़ी उत्तेजना होती है यदि मैं थोड़ी सत्य बात कहता हूं। मान्यवर, जनता पार्टी या लोकदल का शासन पौने तीन साल केवल रहा है और केवल एक चुनाव ही हुआ है। श्रीमन्, बाकी जितने चुनाव हुये इस देश के अन्दर वह कांग्रेस शासन में हुये। 1977 का चुनाव किन के तत्वाधान में हुआ। उस समय बूथ कैपचरिंग तो हमने नहीं किया था। इसके पहले भी वेस्टर्न यू0 पी0 की फीगर्स देख लें तो 1974 में भी लोकदल की 106 सीटें आयी थीं। उस समय कांग्रेस अपने चरमशिखर पर थी। तो लोकदल उस समय भी पापुलर था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बूथ कैपचरिंग करके तो यह लोग आये हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वह अपने में कुछ सुधार कर लें कि उस समय लोकदल नहीं था बल्कि बी0 के0 डी0 थी। आप खुद नहीं बता पाते कि आपका दल कौन था।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम—

आपका भविष्य अब उज्ज्वल होने वाला नहीं है। आप बूथ कैपचरिंग के बल पर आये हैं। अब रोने से काम नहीं चलने वाला है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपने दल के लोगों को अनुशासित करें और नेता विरोधी दल को अपनी बात कहने दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, इसी में एक दो तथ्य और देना चाहता हूं कि किस तरह चुनाव में हियूमिलिएट किया गया। वेस्टर्न यू0 पी0 में 12 हजार हमारे कार्यकर्त्ताओं को बन्द किया गया। इटावा में जसवन्तनगर क्षेत्र में डी0 एम0 और एस0 पी0 ने मौके पर बूथ कैपचरिंग कराया। जबकि वहां के लोकदल के सदस्य मौजूद थे और उनके सामने बूथ कैपचरिंग कराया गया है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

चुनाव से कुछ दिन पहले लोकदल प्रत्याशी के दो भाइयों को पुलिस ने गाँव से एरेस्ट किया और 10 गाँवों में घुमाया और वहाँ की जनता को टेराइज किया। राज्यपाल के शासन में हमारे कार्यकर्त्ताओं को बन्द किया गया है। वहाँ के एस0 पी0 श्री राम सिंह शाक्य उनके पोलिंग बूथ पर कुछ गुण्डे हथियारों से सुसज्जित हो कर आये फायरिंग की। राम सिंह शाक्य की रिपोर्ट मौजूद है। नेता सदन मंगा कर देख सकते हैं। फायरिंग की। देशी बंदूकें छीन ली गयीं इन लोगों से। पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने जो बन्दूकें वहाँ के लोगों ने छोनी थी उन्हें ले गई और उसके बाद फिर वापस कर दी उन्हीं लोगों को। मुजफ्फरनगर के कांधला क्षेत्र में कुछ बदमाश, नामी डकैत, कार में आये हथियार ले करके। बूथ कैपचरिंग करना चाहा। वहाँ लोक दल के आदमी काफी संख्या में मौजूद थे। ईंट और पत्थर से इस डकैत को मार दिया गया। पुलिस आई। दूसरे आदमी को पकड़ ले गई। केस का पता नहीं क्या हुआ। डकैत मारा गया। नामी डकैत था। श्रीमन्, एक दो नहीं.....

एक सदस्य—

मुलायम सिंह यादव जी की भी कहानी कह दीजिए....

श्री राजेन्द्र सिंह—

आप को मौका मिलेगा नहीं तो फिर आप क्या बतायेंगे।

हमारे मेरठ के साथी विचलित हैं। श्रीमन्, मेरठ के विख्यात व्यक्ति श्री मनसफ। कांग्रेस (आई) के कमाण्ड को यही सम्भाले थे इस चुनाव में। (व्यवधान) श्रीमन् शांति प्रतिष्ठान के एक सर्वोदय कार्यकर्त्ता है। रविवार में उनका वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में चम्बल के डकैतों का खुलकर इस्तेमाल किया श्रीमन् इन लोगों ने। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो जनता नहीं जानती। प्रदेश की जनता जान रही है लेकिन आप लोगों से जब सच कहा जाता है तो संकुचित फील करते हैं।

श्रीमन्, मैं इसी संबंध में जो ट्रांसफर की बात कही थी एक तथ्य और बताना चाहता हूं जो इस प्रदेश के इतिहास में एक अजीबोगरीब चीज है। श्रीमन्; यहाँ पर एक पुलिस के डी0 आई0 जी0 को बैठाया गया। किस कार्य के लिये कि वह पुलिस का ट्रांसफर करेगा। श्रीमन्, आप काफी अनुभवी हैं। आप जानते हैं कि पुलिस के इन्सपेक्टर तक के ट्रांसफर डी0 आई0 जी0 हेडक्वार्टर से होते हैं बाकी ट्रांसफर लखनऊ से आई0 जी0 पुलिस के प्रपोजल पर शासन से होते हैं। लेकिन एक पक्षीय बनाने के लिये एक व्यक्ति विशेष यहाँ पर डी0 आई जी0 (एडमिनिस्ट्रेशन) करके बनाया गया। आई0 जी0 का कोई अधिकार नहीं रहा।

एक सदस्य—

वह आप के ही सताये हुये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

ऐसे व्यक्तियों की तो आप ने ही सिफारिश की है। उनका रिकार्ड देखिये। माननीय मुख्य मंत्री जी आप दिखा दीजिएगा कि क्या थे। उनकी चरित्र पंजिका क्या थी। तो यह बैठाये गये। श्रीमन्, वह प्रशासन के लिये थे, ट्रांसफर के लिये थे उन्होंने प्रदेश के जिलों का दौरा क्यों किया। जिस व्यक्ति का कर्त्तव्य लखनऊ में बैठकर पुलिस प्रशासन में ट्रांसफर करना है। श्रीमन्, वह इटावा में तीन दिन क्यों रहे, वह प्रदेश के अन्य जिलों में क्यों गया। श्रीमन्, इस बूथ कैपचरिंग की पूरी योजना को उसी महानुभाव ने संचालित किया इस प्रदेश के अन्दर।

एक सदस्य—

फेल कर दिया।

श्री राजेन्द्र सिंह—

ठीक है, जो कुछ कहें, लेकिन मेरा कहना यह है और आज यही कारण है कि आपका नियंत्रण पुलिस पर नहीं रहा। इस हाउस के अन्दर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का चित्र लगा हुआ है। (व्यवधान) हमने उनके नाम से नहीं कमाया। कमाया है तो काँग्रेस (आई) ने कमाया है। यह प्रेरणा स्रोत हम सबके रहे हैं (व्यवधान) हाँ नौजवान भाइयों के लिये प्रेरणा स्रोत नहीं रहे यह सभी जानते हैं लेकिन देश की गरीब जनता, शोषित जनता के वह प्राण रहे हैं और आज भी हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य को मैं यह बतला दूं कि उनका यह कंडक्ट प्रेस के माध्यम से बाहर जरूर जायगा। विरोधी पक्ष भी महात्मा गाँधी से प्रेरणा लेता रहा है। उनका कहना था कि वह देश को स्वतंत्र तभी समझेंगे जब कि कोई नौजवान युवती वस्त्र पहन कर सूनी सड़क पर रात के अंधियारे में चली जाय लेकिन कोई व्यक्ति उसकी तरफ आँख उठा कर न देख सके। (व्यवधान) मैं पुनः कहता हूं कि जो घृणित तथा शर्मनाक काँड बागपत में इस शासन में हुआ है उसकी मिसाल अभी तक नहीं मिली (व्यवधान) आपको मौका मिलेगा बोलने का।

एक सदस्य—

चौधरी साहब के शासन में बागपत काँड की तरह कई काँड हुए हैं। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

किस नियम के अन्तर्गत आप इनको बोलने का मौका दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को भली भांति ज्ञात है कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यदि कोई भी बिना मेरी अनुमति के बोलेगा तो वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा। मेरा पहले से ही आपसे अनुरोध है कि अनुमति माँग कर आप खड़े हों बोलने के लिये तो ज्यादा अच्छा होगा। बिना अनुमति के बातचीत होने पर सदन की कार्यवाही चलने में व्यवधान पड़ता है।

श्री मुईद अहमद—

माननीय नेता विरोधी दल अब सदन में बोलने के लिये कितना समय लेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल के लिये समय की कोई सीमा नहीं रहती है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इन लोगों की मंशा वि ोध करने की नहीं है बल्कि नेता विरोधी दल को सुस्ताने के लिये समय देने की है।

एक सदस्य—

अगर बागपत की घटना न होती तो किस पर बोलते।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, श्री सीमान्त गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने जब वे पवनार में थे तो उन्होंने रेप के सम्बन्ध में कहा था कि रेप जैसे वीभत्स, घृणित अपराध को सजाये मौत होनी चाहिये इसका प्राविजन ईराक और ईरान में है। श्रीमन्, मैं आपके सामने सन् 1922 की एक मिसाल और रख दूं। ब्रिटिश शासन में सरहिन्द के कबीले एक ब्रिटिश युवती को उठाकर ले गये। बिटिश शासन ने इसे अपना घोर अपमान समझा और वहाँ पर बम वर्षा तक के आदेश दे दिये। यह चरित्र रहा है डेमोक्रेटिक और आजाद देशों का। यह जिन्दा कौमों का चरित्र रहा है। हमारे देश में भी नारी को ऊंचा स्थान दिया गया है। मुझे दुख है यह कहते हुये कि बागपत के अन्दर दो-ढाई हजार व्यक्तियों के बीच में उस महिला को नंगा किया गया और पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन तक उसी हालत में लाये.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल, मेरा निवेदन है कि वे बातों की पुनरावृत्ति न करें। जो कह दिया ह उसको फिर से न कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

बागपत के विषय में तो 11 तारीख का समय निश्चित हो गया है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इनके लिये झूठ बोलने का समय नियत कर दिया जाय।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

अधिष्ठाता महोदय, आप व्यवस्था दे रहे हैं या ये लोग व्यवस्था दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

नेता विरोधी दल को चाहिए कि वे इसके अलावा दूसरे विषय पर भी बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

हमारे नये माननीय सदस्यों को यह आभास नहीं है कि जब तक न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी विकास की बात सोचना भी कल्पना से बाहर की बात होगी। विकास तभी संभव है जब शांति व्यवस्था होगी। श्रीमन्, मैंने कहा दो ढाई हजार आदमियों के बीच में उस महिला को ले गये जिसको कि मरी हुई कौम कहा जायगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य खड़े होकर बोलें बैठकर नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने महात्मा जी का एक सूत्र बताया अब मैं दूसरा सूत्र भी बताना चाहता हूं। एक बार महात्मा जी से पूछा गया कि आप हिंसा और कायरता में से किसको पसन्द करेंगे। तो गाँधी जी ने कहा था कि मैं हिंसा को पसन्द करूंगा कायरता नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि बागपत के अन्दर जनता के द्वारा कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना होनी चाहिये थी लेकिन इस देश के नागरिकों को और वहाँ की जनता को इस काँड का प्रतिशोध अवश्य करना चाहिये था। लेकिन वह क्यों संभव नहीं हो सका उसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि वहाँ पर एक टैरर मचा हुआ है। अखबार मेरे पास है जिसमें रिपिटेडली कहा गया है और जिसे रियल टैट की संज्ञा दी गई एक विभस्स व्यक्ति बताया गया है। निष्पक्ष आदमियों ने वहाँ सामान्य जनता से पूछा, शापकीपर्स से पूछा लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जुबान बन्द है, हम क्या बोलें, हमारे पास बहुत सी बातें कहने को हैं लेकिन नहीं बता सकते हैं। अगर हम बतायेंगे तो पुलिस वालों से और गुंडों से हमको आकर कौन बचायेगा। तो वहाँ एक टैरर है। बहुत से लोग प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं लेकिन वह सही बात बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुंह पर पट्टी रखी हुई है। हमारा मत है नारी की रक्षा करना, हमारा और हमारे दल के लोगों का, हमारे सभी साथियों का कर्त्तव्य है। हम खून की आखिरी बूंद बहाने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान) मैं पुनः इस काँड की विभीषिका को आपके माध्यम से माननीय नेता सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, इतनी भयंकर चीज वहाँ हुई है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इसमें कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है। बहस लम्बी हो जायगी लेकिन मैं आपको यह जो पायनियर अखबार है उसके 4 जुलाई के

एडीटोरियल में, जिसका हेडिंग है, 'शेम आफ बागपत' में छपा है। यह किसी दल विशेष से सम्बन्धित लोग नहीं हैं।

"There are countries where even capital punishment is not considered too severe for this abominable offence." .... "It is, however, very much in the interest of justice that the police officers and policemen whose names have been mentioned in this connection should be suspended forthwith and transferred from Bagpat."

श्रीमन यह मांग कोई मांग नहीं है। जब कभी ऐसा काण्ड इस देश में या इस प्रदेश में हुआ है, वहां पर के कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेन्ड करके उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं संशोधन के अन्य मुद्दों पर बोलने से पहले नेता सदन से सदन के अन्दर यह आश्वासन चाहता हूं कि वह बागपत काण्ड के उन अधिकारियों को, जिनका नाम माया त्यागी ने अपने एफ0 आई0 आर0 में लिया है और जिनका नाम दिल्ली और लखनऊ के प्रेस ने लिया है, सस्पेन्ड करेंगे और उसके बाद उनका स्थानान्तरण करेंगे। साथ ही साथ उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज भी दायर किये जायेंगे। मैं इसके पहले एक बात और कह दूं, जब प्रेस कान्फ्रेस हुई, जिसमें मुख्य मंत्री द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी घोषित की गई, उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उनका ट्रांसफर भी करना चाहेंगे ? तो उन्होंने उसका यह उत्तर दिया कि यदि जुडिशियल इंक्वायरी के जज कहेंगे तो करेंगे। लेकिन दूसरे दिन हीं कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो बहुत अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। नेता सदन के मन में कोई फर्मनेस नहीं आ रही है। क्योंकि उनके ऊपर चारों तरफ से खिचाव है। मैंने भी उसे देखा है। मानवता के नाते मुख्य मंत्री जी पर मेरा बड़ा विश्वास है। मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छे, सुशील और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, उनके अन्दर मानवता है। मैं चाहूंगा कि वह उन चीजों पर सदन को आश्वस्त करेंगें और उसके बाद मैं आगे का अपना भाषण जारी रखूंगा।

(श्री राजेन्द्र सिंह के बैठ जाने तथा प्रियदर्शी जेतली का नाम पुकारे जाने पर)

मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। मैंने मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहा है, इसीलिए बैठ गया था। वह नहीं देना चाहते हैं तो कहें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझा कि आप बैठ गये। इसीलिए नाम पुकार लिया। अभी आप को बोलना है तो बोलें।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

आपने मेरा नाम ले लिया है और नेता विरोधी दल भी बोलना चाहते हैं तो मैं क्या समझूं ?

श्री अधिष्ठाता--

वह अपना बस्ता समेट रहे थे, इसलिये मैंने समझा कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं माननीय मुख्य मंत्री से आश्वासन पाने के लिए बैठ गया था। भाषण अभी मैंने अपना समाप्त नहीं किया है।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

नेता विरोधी दल ने मुझपर बहुत बड़ा विश्वास प्रकट किया है, उसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 11 तारीख को सभी तथ्य उनके सामने आ जायेंगे।

श्री प्रियदर्शी जेंतली--

मान्यवर, आपने तो मेरा नाम अभी ले लिया है, इसलिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे यह भ्रम हो गया कि माननीय नेता विरोधी दल अपना बस्ता बाँध रहे थे इसलिए मैं समझा कि वे अपना भाषण समाप्त कर चुके।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय नेता सदन इस घृणित कार्य पर भी मौन है। जो शुरू से परिपाटी इस देश और प्रदेश की रही है सदन में आश्वासन देने में असमर्थ है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रेस तो नहीं कर सकते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके सामने सभी तथ्य आ चुके हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ दबाव में है। इसीलिये मेरी बात पर कुछ विचार नहीं किया। इस कारण मैं और मेरा दल इस सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता—

शेष संशोधन प्रस्तुत किये माने जायेंगे।

(शेष संशोधनों के लिये देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 124–149 पर)

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आप का आभारी हूं मैं बड़ी देर से और गौर से नेता विरोधी दल की बात को सुन रहा था और मुझे ऐसा जान पड़ता था कि केवल बागपत काण्ड पर ही अपने को सीमित रख कर बोल रहे हैं और उनके सामने दूसरी समस्या प्रदेश की नहीं है। अगर यह घटना न घटी होती तो नेता विरोधी दल के सामने कोई भी समस्या और दूसरी नहीं थी। जिस पर वह बोल सकते। उन्होंने मुख्य रूप से जिस बात तक अपने को सीमित किया और सदन का ध्यान आकृष्ट किया। यदि उसी बात को ले लीजिये तो आश्चर्य होता है कि जिनके दामन पर केवल धब्बा ही नहीं है बल्कि जिनका दामन धब्बों से रंगा हुआ है। इनके कार्यकाल में पंतनगर से लेकर मरैला काण्ड तक न मालूम कितनी घटनायें घटीं। वहां पर मजदूरों पर खुले आम गोली चलायी गयी और यह लोग बैठकर तमाशा देखते रहे। पूर्व सदस्य माननीय भगौती सिंह मरैला काण्ड पर एक नियम 51 का प्रस्ताव भी इसी सदन में दिया था जहाँ पर मजदूरों पर गोली चली थी। गोली से 27 मजदूर घायल और 2 गम्भीर रूप घायल से हुए। यह जनमोर्चा दैनिक का समाचार है उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल नं0 1 पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलायी गयी और उसमें 27 मजदूर घायल हुए और जिसमें 13 लोग अस्पताल में भरती हुए और 2 की हालत गम्भीर थी। न्याय यहाँ तक दबाया गया कि 14 अप्रैल को यह घटना होती है और रात में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री राम नरेश यादव दूसरे दिन हेलीकाप्टर से फैजाबाद जाते हैं। कहा गया कि हमलोगों ने पुलिस पर गोली चलायी। डी0 आई0जी0, एस0 पी0 और पी0 ए0सी0 की टुकड़ी मौके पर मौजूद थी और कहा जाता है कि हम लोगों ने उन पर गोली चलायी। मौके पर हथियार भी उनके पास, मैजिस्ट्रेट उनके पास था। गोली हमने खायी और इल्जाम भी हमारे ऊपर लगा। यहाँ से मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही न की जाय। उस समय के मुख्य सचिव ने आदेश दिया था कि वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाय। लेकिन यहाँ पर बैठे माननीय सदस्य जो अभी चले गये जो उस समय मंत्री थे वहीं के रहने वाले भी हैं, उनके दबाव से आदेश को बदला गया। आज उसी पार्टी के लोग यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रदेश में इस समय शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी। मान्यवर, सब जानते हैं

इस प्रदेश और देश की जनता ने वर्ष 1977 में कांग्रेस को जो 30 साल से जमी थी दिल्ली से लेकर प्रदेशों तक से उखाड़कर फेंक दिया था और इनको भारी बहुमत में बैठाया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे जिससे इस 2 1/2 साल की अवधि में पूरे देश में, दिल्ली से लेकर प्रदेशों तक इनकी सरकारें चकनाचूर हो गयी। देश और प्रदेशों की जनता ने जनता पार्टी की सरकारों को और उसके नेताओं को इन 21/2 वर्षों में ही देश से जहन्नुम रसीद कर दिया, क्योंकि उसने देश की परिस्थिति को देखा। इन लोगों ने गुबरैले कीड़े के समान देश को चलाते देखा है। जिस प्रकार से गुबरैला कीड़ा गोबर के गोले बनाकर इधर से उधर ढकेलता है उसी प्रकार से ये लोग इस देश को ढकेल रहे थे किसी को न मंजिल का पता और न किसी के इरादे का पता। उनके ढकेलने का अन्दाज आप लोगों ने देखा होगा। उनका सिर नीचे होता है और नीचे का हिस्सा ऊपर होता है। इसी प्रकार से जनता पार्टी के नेताओं ने 62 करोड़ जनता के मुस्तकबिल को हाथ में लेकर उन गुबरैले कीड़ों के समान 2 1/2 वर्ष में ढकेल कर फेंक दिया और आज यहां पर कहते हैं कि हमारे नेता और हम इस देश की बागडोर नहीं संभाल सकते हैं।

मरैला कांड पर नियम 51 में श्री भगवती सिंह ने जो सूचना सदन को दी थी। उसी को इसे माननीय तिवारी जी, जो इस समय दिल्ली में चले गये हैं, ने भी काम रोको प्रस्ताव को रखा था और इस पर माननीय राम नरेश यादव जी ने जो जबाव दिया उसको भी आपके सामने रखता हूं। पहली बात उनके बयान से यह स्पष्ट होती है कि उनको मालूम ही नहीं कि मिल लगी कहां है। उन्होंने कह दिया कि कस्बा अकबरपुर में लगी हुयी है। उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी आपके समर्थन में थी और प्रदेश में वहां पर मजदूर गोली खा रहे थे। आज वे ही नेता विरोधी दल बागपत की बड़ी दुहाई दे रहे हैं। आज जो अखबारों में आ रहा है अगर वह सही है तो बड़ी ही निन्दनीय बात है लेकिन यह कह कर कि हमारी पार्टी तथ्यों को छुपा रही है, गलत होगा जिस जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, अपने भविष्य को हमारे हाथों में सौंपा है, केवल दोषारोपण करके हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने अपने ढाई तीन घंटे के भाषण में प्रदेश के उत्थान के लिये कौन से सुझाव दिये एक कोई कान्सट्रक्टिव सुझाव उन्होंने नहीं दिये। जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बेकारी की समस्या हल हो सकती है, उत्पादन बढ़ सकता है, बिजली अधिक पैदा हो सकती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सुलतानपुर में, अकबरपुर में, जो मिलें लगने वाली थीं, जो योजनायें कांग्रेस की सरकार ने पहले बनायी थीं, वे क्यों पूरी नहीं की गयीं? अगर आप की जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को तबाह न किया होता तो आज जिस तरह से ढाई साल के बाद ही आपको जनता ने धरती पर फेंक कर चकनाचूर कर दिया वह न किया होता। जो गलतियां हमने 30 सालों में नहीं कीं उससे कई गुना अधिक गलतियां आपने ढाई सालों में कर डालीं और इसीलिये जनता ने आपको उठाकर फेंक दिया। आपके शासनकाल में बसों में, ट्रेनों में, जनता यही कहती थी कि इससे तो अच्छी इमरजेन्सी ही थी।

(व्यवधान)

एक सदस्य——

क्या फिर इमरजेन्सी लगाने का इरादा है।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली——

इस मुल्क को बचाने के लिये, इस देश की अखंडता को कायम रखने के लिये, जिस चीज की भजरूरत होगी वह की जायेगी। इमरजेन्सी क्या. और कोई चीज भी लगाने की जरूरत होगी तो वह लगायी जायेगी। [आपने ढाई साल में इस देश और प्रदेश को कहां पहुंचा दिया? माननीय नेता विरोधी दल आज डेढ़ बजे से पौने चार बजे तक बोले और अपने भाषण में वे बार-बार एक ही घटना का और एक ही बात का जिक्र करते रहे

[श्री प्रियदर्शी जेतली]

वे उसको कई बार न कहकर यह भी कह सकते थे कि पुलिस का कार्य अधिक निन्दनीय रहा। इतना कहना ही काफी था। पर बार बार एक ही बात को कहा और यह कह कर स्त्री समाज पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की। यहाँ पर बहुत सी सम्मानित महिला सदस्य भी हैं, उस बात को उन्हें इस तरह से बार बार यहाँ नहीं कहना चाहिये था।

इस प्रदेश में जातपात का जन्मदाता कौन है ? आज वे लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं इसको जन्म दिया, जिन्होंने स्वयं दल को जातिपात की बुनियाद पर ही लाकर खड़े किया और इस जगह पर पहुंचा दिया जिन्होंने इस देश को सिवा जातिपात के और कुछ दिया ही नहीं, राजनीति की कोई और चीज ही नहीं दी, वे लोग जब जातिवाद का इलजाम हमारे ऊपर लगाते है तो उनके लिये इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह धोखे में थे। चुनाव के बहुत पहले जब हम चुनाव हारे थे, उस समय भी मैंने बात कही थी आजमगढ़ के चुनाव में कि यह शासन, यह पार्टी चलने वाली नहीं है। यह केवल नशबन्दी की बात को लेकर पैदा हुई है। इस पार्टी में दो व्यक्ति, एक माननीय चौधरी साहब और दूसरे माननीय राज-नारायण जी पैदा हुए है। जिस सरकार में ये दोनों व्यक्ति गये हैं, वह सरकार 5 साल नहीं चली है। हमारे जो राजनारायण जी हैं वह जिस पार्टी में जाते है वह पार्टी भी टूट जाती है। तो उनकी सरकार भी टूट गयी और पार्टी भी टूट गयी। जो चौधरी साहब चेयर सिंह कहलाते थे वही कलयुग के राम बन गये और राजनारायण जी कलयुग के हनुमान बन गये। तो यह राम और हनुमान की गाथा हमने देखी। हम तो नसीहत की बात करते हैं। आप आये हैं, आप नसीहत सीखिये। आप सीखिये कि किस तरीके से शासन चलाना है और आप इस प्रदेश के अन्दर और इस देश के अन्दर विरोधी दल का जो काम है मुख्य रूप से हमारी आलोचना करना है, सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना है, लेकिन देश और प्रदेश को डुबाना नहीं है, केवल अपनी बातों में उलझाने के लिए बेलछी, नरायनपुर, पंतनगर ऐसी कितनी घटनाओं की कहानियाँ छिपी है। आप केवल बागपत की बात करते है। हमारे देश की प्रधान मंत्री न्याय करेंगी। जो हमारी सरकार यहाँ पर बैठी है और केन्द्र में बैठी है वह न्याय करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य संजय सिंह ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुंशी लाल—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए जो मुझे आपने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, हमारे विरोधी दल के नेता अभी-अभी बोल रहे थे, उनके सामने सिवाय एक बागपत का काण्ड था और अन्य कोई बात नहीं थी। मान्य-वर, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी बागपत का काण्ड सर्वोपरि रखा है, उन्हीं के दल के नेता जो प्रधान मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, 23 दिसम्बर को बदनपुर गाँव (जिला मैनपुरी) में 11 हरिजनों को, जिस में ढाई वर्ष का बच्चा और तीन महिलायें थीं, उनको गोली से उड़ाया गया था और 24 दिसम्बर को माननीय चौधरी चरण सिंह जी मैनपुरी गये थे, उनकी लाश तक देखने को नहीं गये थे।

(शेम शेम की आवाजें)

मान्यवर, अभी-अभी नेता विरोधी दल यह कह रहे थे कि जसवन्तनगर क्षेत्र में क्या-क्या काण्ड हुआ। मान्यवर, हमारे क्षेत्र से यह गाँव लगा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस जसवन्तनगर की माननीय नेता विरोधी दल बात कर रहे थे उसके बारे में मुझे उनसे ज्यादा जानकारी है। उस समय भाई मुलायम सिंह इतने कठोर सिंह बन गये थे कि थाना बसरे, हेमरा चौकी, जसवन्तनगर तथा करहल में कभी भी हरिजनों की

395 और 396 की और बलात्कार की घटना नहीं लिखी गई, कहीं भी इन घटनाओं को दर्ज नहीं किया गया। मान्यवर, जहां तक नेता विरोधी दल बड़ी-बड़ी हिमायती बातें कर रहें हैं। मैं बताना चाहता हूं अलीगढ़ कोआपरेटिव बैंक में इस वक्त 237 कर्मचारी कार्यरत थे। मान्यवर, नेता विरोधी दल के नजदीकी सहयोगी मैनेजिंग डाइरेक्टर थे इसमें एक मात्र हरिजन था जिसे इन्हीं के इशारे पर निकाला गया 237 कर्मचारियों में से। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल बड़ी-बड़ी बाते कह रहे हैं मैं नहीं कहता चाहता हूं। जब यह शासन कर रहे थे इनके जमाने में इने महिलाओं पर इतने हरिजनों पर अत्याचार हुये, इतना अत्याचार कभी नहीं किया गया। कोई इंक्वायरी नहीं कराई गई। हमारे नेता सदन ने आश्वासन दिया है कि दोषी व्यक्ति जो होंगे उनको सजा दी जायेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिस वक्त यह काण्ड बदनपुर में हुआ था उसके 3–4 दिन के बाद ग्राम जादीपुर जिला इटावा में 14 हरिजनों को मारा गया। कुमाहवर में जसवन्तनगर में हरिजनों के झोपड़ियों में आग लगाई गई, उनके बच्चों को पकड़ा गया। अर्जुन सिंह भदौरिया के माध्यम से 83 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गई किन्तु मुलायम सिंह तथा नत्थू सिंह के इशारे पर उनके सरकार के इशारे पर कोई सुनवायी नहीं हुई थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने हरिजनों के लिये क्या-क्या किया। और जाते-जाते इस सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हरिजनों को नौकरियों में प्रोमोशन बन्द कर दिये जायं। दो सौ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के लिये चुनाव हुआ इसमें एक भी हरिजन नहीं था। हाल में 15 मई चुनाव के दौरान यांत्रिक अभियन्ता का सेलेक्शन किया गया 37 यांत्रिक अभियन्ताओं में एक भी हरिजन नहीं था। सब इंस्पेक्टर की भरती हुई थी। 422 कैन्डीडेट में से साढ़े तीन सौ (जाति विशेष) यादव थे जो कि नेता विरोधी दल और इनकी सरकार के इशारे से लिये गये थे। मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री संजय सिंह ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा करने का समय दिया। मान्यवर, मेरे पास यह प्रति है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की, आप इसका पेज 3 देखें। मान्यवर, इसमें लिखा है, इसके अतिरिक्त सरकार वृक्षारोपण, दहेज उन्मूलन, स्वच्छता एवं साक्षरता के चार सूत्रीय कार्यक्रम को भी प्रभावशाली ढंग से चलायेगी। मुझे बड़ी भारी आपत्ति यह है आज स्वर्गीय संजय गाँधी हमारे बीच में नहीं रहे उनका निधन हो गया, ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया। मान्यवर, आज देश को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। जिन चार सूत्रीय कार्यक्रम का मैंने अभी जिक्र किया इसके बारे में सभी जानते हैं कि इसमें एक साफ संदेश यह भी होना चाहिए था कि यह स्वर्गीय संजय गाँधी के कार्य संचालन का एक रूप है। उनका नाम कहीं नहीं दिया गया। मान्यवर, इसमें उन्हीं का नाम होना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

एक सदस्य—

ऐसा कर दिया जायेगा।

श्री चेतराम गंगवार—

हाँ, मान्यवर, मेरा इस सिलसिले में यह अनुरोध है कि जो भी प्रोग्राम चलाएं इस किस्म के .....

श्री रियासत हुसैन—

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय मुख्य मंत्री व कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री यहाँ सदन में मौजूद नहीं है, जो यहाँ की कार्यवाही को सुने।

श्री ऊदल—

यहाँ मान्यवर, कैबिनेट स्तर का एक भी मंत्री नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस शासन के पहले दिन का ही एक इतिहास है जब कि यहाँ कहा गया था कि मुख्य मंत्री जी है, इसलिए अफसरों की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ माननीय सदस्यगण है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की जरूरत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अभी खबर करवाये देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह मान्यवर, सदन की परम्पराओं का महत्वपूर्ण सवाल है कि जब सदन में सामान्य चर्चा हो रही हो उस समय मंत्रिमण्डल का कोई भी कैबेनेट स्तर का मंत्री या मुख्य मंत्री मौजूद न हो तो इससे बड़ी संसदीय परम्पराओं की अवहेलना और उल्लंघन और क्या हो सकता है? मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस समस्त वाद-विवाद को जब तक के लिए बन्द कर दिया जाए, जब तक कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री न आ जाये।

श्री अधिष्ठाता—

यह सही है, किसी को यहाँ होना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जब तक आप सदन की कार्यवाही बन्द करा दें, जब तक कोई मंत्री न आ जायें, मेरी प्रार्थना है।

श्री अधिष्ठाता—

कभी कभी ऐसी विशेष स्थिति पैदा हो जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, यह सदन का अपमान है, जब हमारी बात सुनने के लिए कोई मंत्रिमंडल का सदस्य न हो। यह सवाल मान्यवर, इधर उधर का नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात का समर्थन सभी को करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने शासक दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे किसी माननीय मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री जी को यहाँ बुलाकर लायें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस प्रकार का उल्लंघन प्रथम दिन से ही शुरू हुआ था। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था। इसको अब श्री काशीनाथ मिश्र जी देखें। हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री ऊ दल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपको मान्यवर, निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं। आखिर आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे और मंत्रिमंडल के इस व्यवहार पर भी विचार करेंगे और यदि करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आज पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

श्री रियासत हुसैन—

शासन के इस दुर्व्यवहार के लिए हम और हमारी पार्टी (जे0पी0) के सदस्य इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस सिलसिले में मैं और मेरी भा0ज0पा0 भी इस सदन का त्याग करती है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरूल बशर--

मुझे ऐसी आशा नहीं थी जैसा कि आज वातावरण पैदा हुआ है। इसके प्रति क्षोभ प्रकटकरता हूं। इसलियेपूरे दिन के लिए आज सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री खैरूल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जटा शंकर सिह--

हमने तो शासक दल की ओर से सुना था कि हमें 5 वर्षों तक सुनना होगा, परन्तु हमारा कहना है कि पाँच वर्ष तो बहुत हुए यहाँ मंत्रियों की आज पहले दिन ही लाइन खाली हो गयी। मैं भी अन्य विरोधी नेताओं के समर्थन में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जटा शकर सिह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री चेतराम गंगवार--

जो यह चार सूत्रीय प्रोग्राम है तो जो इसके जनक थे जनके अभाव में सरकार चलाये। इसलिए.....

एक सदस्य--

माननीय सदस्य श्री संजय गाँधी का नाम न लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय चेतराम गगवार का भाषण सुनें।

श्री चेत राम गंगवार--

मैंने ऐसे बीसियों गवर्नर भाषण देखें हैं। इस सदन में ....

श्री श्याम लाले बाजपेयी--

बीसियों गवर्नर भाषण इन्होंने देखे, इस तरह के भाषण को रोकें, मान्यवर।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इनको माफी माँगनी चाहिए।

एक अन्य सदस्य--

जब तक ये माफी न माँगें इनको बोलने न दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। इस तरह के भाषण पहले भी होते रहे हैं और अब भी होंगे। इसमें कोई अवरोध पैदा नहीं किया जाता।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

बीसियों अभिभाषण देख, जो शब्द प्रयोग किया गया है मान्यवर, इस पर मुझे आपत्ति है। इसको इस सदन में बोलने की अनुमति न दी जाये।

एक सदस्य--

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह असंसदीय शब्द है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आपकी आपत्ति क्या है? वे शब्द कौन से हैं इसको आप स्पष्ट कीजिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

इन्होंने कहा है कि बीसियों गवर्नर भाषण देखे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं देता। आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इनको खेद प्रकट करना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

श्री गंगवार आप अपना भाषण जारी रखें। आप बैठ क्यों जाते हैं ?

(श्री श्याम लाल बाजपेयी के खड़े होने पर)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठने की कृपा करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात सुन लें। राज्यपाल महोदय कहने के बजाय इन्होंने कहा कि बीसियों गवर्नर भाषण....

श्री चैतराम गंगवार--

मैं माननीय सदय को बतला दूं कि मैंने केवल यह कहा कि आपकी कृपा से मैंने बीसियों महामहिम गवर्नर्स के ऐड्रेसेज देखे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपने महामहिम नहीं कहा। आपने कहा कि बीसियों गवर्नर के भाषण देखे हैं। आप खेद प्रकट करें .....

(शोर)

एक सदस्य--

इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। इन्हें क्षमा याचना करने के लिए विवश किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय चेतराम गंगवार जी ने जो कहा असंसदीय नहीं है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे कार्यवाही से निकाल दें, मान्यवर।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

इनको शिष्टाचार सिखायें। माननीय सदस्य से कहें मान्यवर, कि राज्यपाल महोदय के लिए जो शब्द कहे हैं उसके लिए खेद प्रकाश करें। महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए कहा कि बीसियों गवर्नर भाषण किया करते हैं। यह शब्दावली सुनना जिस पद पर आप बैठे हैं, शोभा नहीं देता। इसको आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ? माननीय सदस्य को आप कहें कि वह अपने शब्द वापस लें या खेद प्रकट करें तभी सदन चलेगा।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य ने कोई शब्द अनुचित कहे हैं जो मेरे क ें में नहीं आये। तो अगर वह शब्द असंसदीय हैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपने कहा कि कटवा दिया जायेगा। मुझे संतोष है। आप उनसे कहें कि ऐसी गलत शब्दावली दोहरायेंग नहीं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनको क्या अधिकार है कि वह रूलिंग देने की कोशिश करें। आपने तो इजाजत दी है गंगवार जी को....

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

चेतराम गंगवार जी आप अपना भाषण जारी रखे।

श्री गौरी शंकर मैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय की इजाजत ले रहा हूं। इजाजत मिलेगी तो बोलूंगा। (व्यवधान) आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि आप इजाजत दें तो बोलूं . . . .

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

गरिमा का प्रश्न है। राज्यपाल के नाम पर इन्होंने कहा कि बीसियों राज्यपाल बोला करते हैं, ऐसे शब्द सुनने को सदन तैयार नहीं है। इसके लिये खेद प्रकाश करें, अपने शब्द वापस लें।

एक सदस्य—

ऐसा लगता है कि माननीय अधिष्ठाता जी को हमारी बातें सुनायी नहीं पड़ रही हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कोई असंसदीय बात नहीं कही। मैंने राज्यपाल का नाम लेने से पहले महामहिम राज्यपाल लगाया और मान्यवर, इस पर भी इनको कोई आपत्ति है, मुझसे वाकई में कोई गलती हुयी, मैं दसियों वर्ष से बोल रहा हूं, तो मैं अपने उन शब्दों को वापस लेना चाहता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं आपका और माननीय सदस्य का आभारी हूं और कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाय।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरे मित्र माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है। मैंने यह कहा था कि महामहिम राज्यपाल के भाषण मैंने देखे हैं, सुने है, पढ़े हैं। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के पृष्ठ 6 को देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि अभूतपूर्व सूखे को देखते हुये सूखा सहायता कार्य हेतु वर्ष 1980–81 में भारत सरकार से 47.52 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुयी। मान्यवर, सहायता प्राप्त हुयी, इसका वितरण कैसे किया गया? सूखा पौने 2 वर्ष से पड़ा हुआ है। इसमें उल्लेख होना चाहिये था कि वह सहायता कैसे इस प्रदेश में जो गरीब से गरीब हैं, जो भूखे मर रहे थे, उनको कैसे पहुंचायी गयी। मान्यवर, आप देखें कि सूखे के बावजूद बड़े उत्पीड़न के साथ टैक्सेज की वसूली हो रही है। भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के ऋणों को बुरी तरह से जनता से वसूला जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र में गया, मैंने देखा कि श्री दाताराम जी जो ब्लाक प्रमुख रहे हैं, मैंने उनको हवालात में देखा। जब मैंने तहसीलदार से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उन पर भूमि विकास बैंक का ऋण है। मैंन अखबारों में पढ़ा उसमें एक स्टेटमेंट है कि वसूली में कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी आदेशों के बावजूद जी आज सारे प्रदेश में खासतौर से जिले बरेली में किसानों पर जो छोटे छोटे, 2 या 4 हजार के ऋण हैं उनसे बर्बरतापूर्ण वसूली की जा रही है। बंदूक और रिवाल्वर के लाइसेंस सस्पेंड किये जा रहे हैं। सरपंच मुअत्तल किये जा रहे हैं। रात 12 बजे पकड़ कर बुलाया जाता है। आपका उत्तरदायित्व है जब आप समझते हैं कि प्रदेश में सूखा है, अगर आपकी लोकप्रिय सरकार चाहती है और गाँधी जी के चिन्हों पर चलना चाहती है तो आज घोषणा करें कि चूंकि 2 साल से सूखा पड़ा है तो पिछले 2 सालों का लगान और आबपाशी नहीं ली जायगी। अगले वर्ष से आप लें लेकिन सूखे की वसूली नहीं होगी, दो साल के रेवन्यू टैक्सेज को आप समाप्त करें। जब मुख्य मंत्री जबाव दें तो इसकी घोषणा करें।

मान्यवर, दूसरी बात और कहना चाहता हूं। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मेरा काफी समय नष्ट हो गया है। आप कृपा करके मुझको 5 मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट में खत्म कर दें।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, खाद्यान्न योजना में सड़कें बनायीं गयीं। पिछले वर्ष मजदूरों को खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मेहूं मिला है और सड़कें बनीं। लेकिन आपके सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या यह जो मिटटी का काम, अर्थवर्क हुआ है, बरसात में आप इसे नदियों में बहा देंगे या पक्का करेंगे ? मैं साफ-साफ जानना चाहता हूं कि यह जो सड़कें बनी हैं क्या आप इनको पक्का करने का इरादा रखते हैं ? और यदि पक्का करने का इरादा रखते है तो इस वर्ष उसकी व्यवस्था करें। माननीय मुख्य मंत्री जी जब उत्तर दें तो बताएं और कृत संकल्प हों। इस फ्लोर पर जनता को आश्वस्त कर दें कि मिट्टी डाली है उसको वास्तव में पक्का करने का इरादा है।

एक अध्यादेश लाये हैं मंडी समिति वाला। आपको बड़ा तजुरबा है। जबकि हम प्रजातांत्रिक तरीके से ज्यादा से ज्यादा सेवा जन प्रतिनिधियों के हाथों में सौपना चाहते हैं, एक अध्यादेश ले आये मंडी समिति का, कार्य कलेक्टरों के अधीन लाकर और उसी पर विधेयक प्रस्तुत कर दिया। मान्यवर, यह इस सरकार की मनोवृत्ति का परिचायक है। यह नौकरशाही कैसे हावी हो रही है ? यह उसको बढ़ावा देना चाहती है। मैं यह माँग करता हूं कि जैसे ही आप एल0 एस0 जी0 डी0, ग्राम पंचायतों, म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव करवाएं, उससे पहले इस बात की व्यवस्था करें कि एलेकशंस हो जायं और मंडी समितियों में जन प्रतिनिधि चुन कर आएं। अगर आप चुनाव नहीं कराते तो आप अपनी कलम से काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं को नामिनेट कर दें, उनके अध्यक्ष पद पर। आप जनप्रतिनिधियों को बैठाएं। कलेक्टर को न बैठाएं।

जब आपकी सरकार आयी फर्टिलाइजर का दाम एकदम बढ़ गया। डीजल के दाम बढ़ गये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री चेतराम गंगवार--

दो मिनट में खत्म करता हूं। इसका सम्बन्ध किससे है ? इसका सीधा संबंध एक दो एकड़ के छोटे किसान से है।

(इस समय 4 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज प्रदेश का जो सबसे छोटा किसान है खाद का दाम सबसे ज्यादा उसी को देना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह घोषणा करें कि जो भी दाम इस जमाने में बढ़े हैं खाद और डीजल पर, डीजल का दाम इस सरकार के हाथ में है नहीं, जो मंहगाई चुनाव के बाद खास तौर से, डीजल और खाद की कीमतों में आई हैं उसको देखे और यह घोषणा करें कि उसके दाम कम करेंगे या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या स्माल फार्मर्स हैं, सवा छः एकड़ या सवा तीन एकड़ जो भी सीमा निर्धारित करें, सारे प्रदेश में, यह नहीं कि कोई तहसील या ब्लाक चुन लें, सारे प्रदेश में आदेश करें जिससे मार्जिनल या छोटे किसान लाभान्वित हो सकें। उनको सस्ते मूल्य पर खाद मिल सके, जिससे खाद्यान्न पैदा करने में वे ज्यादा सहायक हो सकें।

एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। ज्यादातर सुना जाता है कि यह पिछड़ा प्रदेश है। आज बहुत के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है न वहाँ बिजली पहुंची है। नवाबगंज में नारायणदत्त तिवारी के मंत्रित्व काल में एक गन्ना मिल स्वीकृत हुई थी, ग्राम हंसा पर। जब जनता सरकार आयी तो उसको कैंसिल कर दिया। कृपया उसे लगवायें इसके अतिरिक्त आप एक सर्वे कराएं कि कौन से ऐसे ब्लाक हैं, कौन से जिले हैं, जिनमें बम्बई प्लान के अन्तर्गत सड़कों की कमी है या जहाँ ग्रामों में बिजली नहीं पहुंची है। उनके विकास का क्रैश प्रोग्राम चलाएं। मेरे जिला बरेली में ब्लाक मतगुरा में कोई ऐसा विकास काम नहीं हुआ है जिससे प्रदेश की प्रगति हो सके। इसलिये ब्लाक

भदपुरा के विकास के लिये कोई अलग से योजना चलायें और दूसरे ब्लाक भी उसमें शामिल करें जिससे प्रदेश का विकास हो। इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सामने मंत्री जी बैठे हैं और वह सदन के बाहर का काम निपटा रहे हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

मान्यवर, प्रदेश से बाहर का यह काम नहीं है, प्रदेश के प्रशासन से संबंधित कार्य करने की आपकी आज्ञा रही है इसलिये वह कर रहा हूं।

*श्री धूप राय---

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम यह समझते हैं कि सरकार की नीतियों का वर्णन है। सबसे पहले कानून और व्यवस्था पर अभिभाषण में जोर दिया गया है। कानून और व्यवस्था के बिना कोई सरकार सुदृढ़ नहीं चल सकती है परन्तु हम देखेंगे कि आज से 9 महीने पहले ढाई साल जो सरकार चली है उसने कानून और व्यवस्था पर जोर देना छोड़ दिया था। जिसके कारण इस देश की हालत खराब होती चली गयी। यही कारण था कि वह सरकार 5 साल नहीं चली और ढाई साल में ही उसका अंत हो गया। मैं उस सरकार का वर्णन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि श्री मोरार जी देसाई कलकत्ता जब गये तो वहां प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि आप लॉ एन्ड आर्डर के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि क्या गलत है कानून और व्यवस्था में। प्रधान मंत्री के सेफ रहने से ही कानून और व्यवस्था का मतलब नहीं है बल्कि उसका संबंध साधारण और गरीब आदमी के सेफ रहने से है और उनकी रक्षा हो सके। मान्यवर, यह सत्य है कि हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा है। उद्योग धंधों में पिछड़ा है। किसानी ही हमारा मुख्य व्यवसाय है हम आर्थिक स्थिति में बहुत पीछे हैं। आर्थिक प्रगति के बिना प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। कानून व्यवस्था आर्थिक प्रगति के बिना ठीक नहीं हो सकती है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। गरीबी यदि बढ़ती जायगी और धनी बढ़ते जायेंगे तो कानून और व्यवस्था अपने आप टूट जाती है।

इसलिये आर्थिक प्रगति के लिये हमारी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने की बात कही है यह खुशी की बात है। लेकिन आर्थिक प्रगति के लिये जो जरूरी चीज है, किसी जमाने में खेती की उपज को सबसे बड़ी आर्थिक प्रगति समझा जाता था, लेकिन आज वह नहीं है, आज के जमाने में स्टील, सीमेंट और पावर तीनों चीजों को कहा जाता है कि जितनी प्रगति होगी उतनी ही उस प्रदेश और देश की आर्थिक प्रगति होगी, तो स्टील हमारे प्रान्त में नहीं के बराबर पैदा होती है, सीमेन्ट कंजम्पशन से बहुत कम होती है और पावर की हालत अच्छी नहीं है। इसलिये हमारी सरकार ने 7 थरमल और 6 हाइड्रो पावर स्टेशन देने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। लेकिन इसमें यह वर्णन नहीं है कि वह कितनी कैपेसिटी के होंगे और उनसे कितना लाभ होगा परन्तु आज के समय में थरमल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बजाय आटमिक पावर की जरूरत है। इसलिये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और 500 तथा एक हजार मेगावाट के आटमिक पावर की मांग करे जिससे प्रदेश की प्रगति हो सके। ताकि हम आगे चल सकें। आर्थिक प्रगति के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का वर्णन इसमें है। इस कार्यक्रम का पूरी तरह से पालन हुआ तो हम आर्थिक प्रगति करते चले जायेंगे। हम बहुत पिछड़े हैं बिना आर्थिक प्रगति के कोई भी उन्नति अभी संभव नहीं है। हम इस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। हम पूर्वी प्रदेश के रहने वाले हैं और वहां से चुन कर आये हुए हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धूप राय]

हमारा इलाका बहुत गरीब इलाका है। एक तो बाढ़ की चपेट, दूसरा सड़कों की कमी, स्कूल की कमी, हास्पिटल की कमी तथा यातायात की कमी। इनके कारण हमारेयह के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं।

अभी फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिये गये हैं। इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार नहीं हैं सेन्ट्रल की सरकार जिम्मेदार है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि इस पर जितनी भी सब्सीडी सरकार (व्यवधान) पहले सुन लीजिये। फर्टिलाइजर के दाम न घटने के बहुत से कारण है। पेट्रोकेमिकल इसका आधार है जो बाहर से मंगाया जाता है। यदि इसके दाम नहीं घटते हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह शुगर केन का प्राइस निर्धारित करे और यह प्रयत्न करें कि कम से कम 18 रुपये कुन्तल गन्ने का भाव हो ताकि किसान राहत पा सके। हमारे यहाँ का किसान जो ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करता है वह जिन्दा रह सके। यह मेरा अनुरोध है।

हमारे यहाँ एक नहर है नारायणी। उसकी शाखायें अभी भी पूरी नहीं हो सकी हैं। कई स्थानों पर शाखायें नहीं हैं। मैं जब वहाँ गया था तो लोगों ने मुझ से कहा कि दस साल से नहर चली आ रही है शाखायें क्यों नहीं पूरी हुई हैं। जनता सरकार ने इसके लिए बड़ा प्रयत्न किया लेकिन कुछ हो नहीं सका। जगह-जगह पर पानी खेतों में जम जाता है नहर से निकलने के बाद और उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इन बातों पर ध्यान दें।

अभी 8–10 महीनों से जब से यह सरकार आई है हमारी तरफ ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बहुत कम होती जा रही है। सरकार और मुख्य मंत्री जी के सहयोग से ऐसा है कि जिस की वजह से चोरी, डकैती, जितनी हो रही थी उसमें बड़ी कमी आई है। मैं इसके लिये सरकार का आभारी हूं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के भाषण का समर्थन करता हूं और आप ने जो बहुमूल्य समय मुझे बोलने के लिए दिया उसके लिए आप का आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री राज कुमार—

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि हम जिन बातों को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं उनका पूरा सम्मिश्रण उसमें है। हम जब जनता के बीच गये थे तो हमने ला एण्ड आर्डर की बात, महंगाई की बात, बीस सूत्री कार्यक्रम की बात, भूमि आवंटन की बात, कही थी। चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण हमारी नीतियों का दर्पण है जिन्हें लेकर हम चलना चाहते हैं, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसमें इनका सम्मिश्रण है।

दो तीन साल के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ होती जा रही थी, खून, बलवे, कत्ल बढ़ते जा रहे थे। अगर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, हम उस पर चुप रहते, तो प्रदेश की जनता हमें माफ नहीं करती। इसलिए राज्यपाल महोदय का यह धर्म था कि हमारी सरकार की नीति स्पष्ट करते। जो सबसे गंभीर मसला था उसे इस अभिभाषण में स्पष्ट किया है।

हमारे आवंटियों को 75–76 के अन्दर जो भूमि मिली थी उसको जमींदारों, बड़े लोगों पूंजीपतियों ने लटका रखा है। उस पर कोई साफ आर्डर नहीं हुआ है जिसके कारण हरिजनों के नाम जो पट्टे हुए थे उन के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। 75–76 तथा 77 के उत्तरार्द्ध में जो पट्टे हुए थे वह इसलिये कि उनमें गरीबों के घर बने। उनमें वह रहें और जोतें लेकिन पिछले दो तीन साल में जनता व लोक दल की सरकार ने एक इंच भूमि पर भी उनका कब्जा नहीं दिलाया। यह बहुत अहम मसला था। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसे सम्मिलित किया

तो वह धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा और भी समस्यायें हैं जैसे वृक्षारोपण तथा भूमि आवंटन की। माननीय राज्यपाल ने अगर इनको अपने सम्बोधन में सम्मिलित न किया होता तो प्रदेश की जनता उनको कदापि माफ न करती। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो राहत कार्य हो रहे थे उनको अभी वह बन्द न करें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं आजमगढ़ के पूर्वी इलाके से वह बहुत गरीब क्षेत्र है। 10, 20 किलो-मीटर से ज्यादा अच्छी सड़कें नहीं है। वह बाढ़ग्रस्त इलाका भी है। पिछली सरकार ने 5-5 हजार रुपया बाढ़ के कटान को रोकने के लिये एलाट किया था उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। गाजियापुर व समीपवर्ती 5, 6 गाँव बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस कटान की विभाषिका को रोकने के लिये जल्दी से जल्दी कोई न कोई उपाय किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आपने बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विरोधी दलों न जो संशोधन का प्रस्ताव अभिभाषण पर प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करता हू और मैं यह अनुरोध करता हूं कि अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ने की कृपा की जाय :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—

1—सवा 6 एकड़ अलाभकर जमीन पर से मालगुजारी हटाने की घोषणा नहीं की की गयी है।

2—लैंड सीलिंग ऐक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने का विवरण नहीं दिया गया है।

3—शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने के प्रबन्ध का उल्लेख नहीं है।

4—उर्दू भाषा को प्रदेश की दूसरी सरकारी भाषा की घोषणा नहीं की गयी।

5—शाँति व्यवस्था में पूर्णतः असफल होने का कोई उल्लेख नहीं है।

6—स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों के चुनावों की तिथि की घोषणा नहीं की गई है।

7—प्रदेश में बिजली सप्लाई न दिये जाने का विवरण उल्लिखित नहीं है।

8—डीजल और फर्टीलाइजर तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का उल्लेख नहीं है।

9—हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है।

10—प्रदेश के युवा वर्ग में दिन प्रति दिन बढ़ते हुए व्यापक असंतोष के समाधान का उल्लेख नहीं है।

इसके बाद मैं आपका ध्यान बलिया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि बलिया जनपद का अभिभाषण में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जनपद बलिया से जो माननीय सदस्य चुन कर आये हैं वह बोलने के लिये खड़े तो हुए समर्थन में, और मुझे आशा थी कि वह जनपद की समस्याओं के बारे में कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया वे अपने जनपद को भूल गये। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इन बातों को सम्मिलित कर लिया जाय। बलिया जनपद में अंग्रेजी राज्य में इस प्रकार का अस्पताल बना था कि रोगी को मारने के लिये वहाँ भरती किया जाता था, आज भी वही व्यवस्था वहाँ लागू है। खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में उसका सर्वांगीण विकास करने के लिये कुछ नहीं कहा गया है

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान बलिया नगर कीटाउन एरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं वहां की नालियां सड़कों के ऊपर बह रही हैं। सरकार से मांग की गई थी कि इन नालियों के लिये ड्रेन बनायी जाय। किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ड्रेन बनाने का कोई जिक्र नहीं है। बिहार और जनपद बलिया के बीच बक्सर कोडलोवर बांध बनाने की योजना है। उसके द्वारा इंजीनियरों का खयाल है कि लगभग एक मीटर पानी बलिया की तरफ फैलेगा। इस बाढ़ से जनपद को बचाने के लिये राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हमारे यहां गंगा नदी पर मांझी के पास एक पुल बनाने की योजना कार्यरत थी जिसकी काफी वर्षों से मांग की जा रही थी, उसके बारे में भी कोई उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। इसके अतिरिक्त सिकन्दरपुर को तहसील बनाने की योजना थी, लेकिन उसके बारे में भी कोई नीति नहीं बनाई गयी है। साथ ही हमारे जनपद में रतसड़ ग्राम सभा को टाउन एरिया में तबदील करने की बात भी बहुत दिनों से चल रही थी। बहुत दिनों से यह मांग थी, किन्तु अभी तक वह कारगर नहीं हो पायी है। मैं मांग करता हूं कि रतसड़ ग्राम सभा को टाउन एरिया बनाने का प्रयत्न किया जाय। हमारे यहां गड़वारा ग्राम सभा में एक भी अस्पताल नहीं है। इसके सम्बन्ध में 30 वर्षों से मांग हो रही है कि वहां की जनता की दवा-दारू के लिये अस्पताल का प्रबन्ध किया जाय किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया है। सोहाव व हनुमानगंज ब्लाक में हमारे यहां लोग सूखे व बाढ़ से बहुत परेशान हैं। वर्षों से वहां के लोग मांग करते आ रहे हैं कि वहां पर कोई योजना लागू कर दी जाय जिससे वहां के लोग सूख व बाढ़ की स्थिति का सामना कर सकें। 30 वर्षों के इतिहास में बलिया के लिये कोई योजना नहीं बनायी गई, उसके बारे में सरकार ध्यान दे और योजना बनाये। एक भी विकास की योजना वहां के लिये नहीं चलाई गई है। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार बलिया के तीव्रतर विकास के लिये योजना बनाये और उसको लागू करे। खेद है कि आज भी उसके सर्वांगीण विकास के लिये राज्यपाल के भाषण में जिक्र नहीं है। बलिया के छात्र व नौजवान जो वहां पढ़ने के लिये जाते हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। वहां जो स्कूल और कालेज हैं उनमें विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। सुना जाता है कि कई वर्षों से हास्टल बनाने के लिये लाखों रुपया जिलाधीश के पास पड़ा हुआ है, उसके लिये जमीन भी एक्वायर नहीं की गई है तथा उसे लागू करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल की तरफ से जो संशोधन पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो हमारे भाई व नौजवान साथी श्री संजय सिंह ने प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। मान्यवर, जब हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल अपना भाषण दे रहे थे। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी और आशा कर रही थी कि बागपत कांड के अतिरिक्त भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बातें हैं उन पर भी अपने विचार रखेंगे। उनके लम्बे भाषण के बाद ऐसा लगा कि जहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी, वहीं खत्म कर दी। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक बहाना था, ठीक है जो बात उन्होंने कही सही हो लेकिन उसके अलावा भी और महत्वपूर्ण मसले थे। इ लिये मुझे उनके भाषण से बड़ी निराशा हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बागपत काँड को लेकर हमारे नेता विरोधी दल को बड़ा दर्द हुआ लेकिन वह पुरानी कहानी भूल गये जो उनके समय में हुई थी। जब महिलाओं को नौकरियों से निकाल कर फुटपाथ पर छोड़ दिया था तब उनका दर्द कहाँ गया, जब नारायणपुर का काँड हुआ जिसमें महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ उसको वह क्यों भूल गये ? जगह जगह महिलाओं के साथ हरिजनों के साथ क्या नहीं किया गया ? उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की और उसका उनके समय में अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात को कह कर सदन को छोड़ कर चले गये। मैं, राज्यपाल महोदय ने ला एण्ड आर्डर के बारे में जो बात कही है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहती हूं। कानून व्यवस्था के संबंध में मैं एक बात कहना चाहती हूं। महिलाओं के लिए रेल में एक कक्ष होता है जिसमें महिलायें ही बैठती हैं उसमें मैं भी बैठी थी उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिये पुलिस के लोग भी रहते हैं, इसी तरह से बसों में भी आज कानून और व्यवस्था बड़ी अच्छी है, पहले की अपेक्षा आज ज्यादा अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था है, उसमें सुधार हुआ है।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब क्राईम ड्राइव का सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसमें बहुत से निर्दोष लोगों को पकड़ लिया जाता है चाहे वह बाहर सो रहा हो या अपने घर में सो रहा हो एक व्यक्ति को जो निर्दोष है पुलिस वाले अपना केस पूरा करने के लिए पकड़ लेते हैं, जिसमें बहुत से निरीह व्यक्ति होते हैं। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहूंगी कि इसमें थोड़ी सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि निर्दोष व्यक्ति न पकड़ा जाय।

दूसरी बात पैरा दो में कुटीर और लघु उद्योगों के बारे में उनको बढ़ाने के लिए कही गई है। बड़ी अच्छी बात है उनको बढ़ाना चाहिये और आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहिये ताकि गाँवों से जो शहरों की तरफ दौड़ है वह कम हो। अगर कुटीर उद्योगों का फैलाव हो जाय तो जगह जगह लोगों को रोजगार मिलेगा और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि कुटीर उद्योग खोले जायं लेकिन उनका स्वरूप निश्चित किया जाय जो कुटीर उद्योगों के नाम पर दौड़ मच जाती है लेकिन उसमें जो सामान तैयार होता है उसकी मार्केट नहीं मिलती है जिसका नतीजा होता है कि वह काम भी ठप हो जाता है और जो दूसरे लोग एक अच्छा स्वप्न लेकर चलते हैं, यह जो छोटे छोटे काम करना चाहते हैं वह भी नहीं चल पाते हैं। सारा प्लान बेकार हो जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो भी कुटीर उद्योग चलाने की कोशिश करे उसमें कम से कम ऐसे उद्योग धंधों का फैलाव होना चाहिए, जिनका बाजार मिल सके।

पैरा नं0 5 में दो चीजों की तरफ आपने ध्यान दिलाया है। एक तो दहेज प्रथा। मैं सम्मानित सदन से और मंत्रियों से कहना चाहती हूं, यह प्रथा अब भी हमारे समाज और राष्ट्र के लिए कलंक बनी हुई है। दोनों पक्षों के लोग इस समाज के अंग है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम केवल कानून द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर सकेंगे ? बिना संयुक्त और दृढ़ प्रण के हम इसको कानून के जरिये समाप्त नहीं कर सकते हैं। मैं एक नारी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, सम्मानित सदन के सभी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगी जहाँ सरकार कानून बनाती है, हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस प्रथा का अंत करने की कोशिश करें। मैं जानना चाहती हूं कि घर में गृहलक्ष्मी नहीं होती तो क्या वह घर शोभा दे सकता है। जो लोग आप यहाँ बैठे है क्या इसमें गृहणियों का योगदान नहीं है। मैं सभी पक्षों के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग इस कानून की रक्षा के साथ साथ इस चीज को सोचें कि दहेज एक प्रकार का कलंक है, जिसके कारण हमारे समाज और घरों में लिखी-पढ़ी और भली लड़कियाँ अविवाहित बैठी रह जाती हैं और उनका जीवन अभिशाप बन जाता है। हर चीज यहाँ तक कि मिट्टी भी यहाँ पैसे से मिलती है,

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी]

लेकिन जब लड़की लेने जाते है तो यह देखते हैं कि उसके बाप की थैली कितनी बड़ी है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूं, जिसने यह कानून बनाया कि इस कानून को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिलों को साफ रखना पड़ेगा।

पैरा 6 में आपने स्वच्छता और सफाई की बात कही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। इस राजधानी में जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जिन सड़कों से कारें गुजरती हैं और हम आप जाते हैं, उन पर हरियाली और सफाई नजर आती है, लेकिन आप जरा अंदर घुसकर देखें। गन्दगी का साम्राज्य बना हुआ है। सालों साल से बनी हमारी योजनाएं अब भी कागजों पर लटकी हुई हैं। जो योजनाएं तिरंगे झंडे के नीचे बैठकर बनी थीं, वह खाक कर दी गई है और उसका नतीजा यह है कि प्रगति वहीं की वहीं रुक गई है (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट का समय और आप दे दें। तो मैं यह कह रही थी जो यह स्वच्छता यह जीवन के लिए बड़ी आवश्यक चीज है। मैं कल भी घूम रही थी, जगह-जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में कीड़े बिलबिला रहे हैं। तो सफाई के लिए हमारी सरकार् ऐसी व्यवस्था कम से कम करें कि जब हम किसी अधिकारी से इसके लिए कहें तों वह यह न कहे कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए आप स्वच्छता के लिए विशेष रूप से पैसा रखें। यदि सफाई रहेगी तो जनता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो हमारी औषधियाँ हैं मोबाइल अस्पताल होने चाहिए और गाँव में जहाँ पर दवा की आवश्यकता होती है वहाँ पर दवा पहुंचाने का इन्तजाम होना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक दूसरी बात सहकारी संस्थाओं के बारे में भी कहना चाहती हूं। मैंने सन् 1973 से महिला सहकारी संस्थाओं से अपने को जोड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं और कहने में मुझे जरा भी कोई डर और भय नहीं है। जिस समय मंहगाई बढ़ रही थी उस समय मसालों में घोड़े की लीद बिक रही थी, और जो कन्ट्रोल का कपड़ा दिया जाता था वह मिल नहीं पाता था तो हम लोगों ने सहकारी संस्थायें खोलीं। हमने यह संकल्प लिया कि हम इन संस्थाओं के माध्यम से गरीब जनता की सेवा करेंगे और जो वितरण प्रणाली है उसको ठीक करेंगे। जिनके लिए कंट्रोल की चीज मिलती है उनको वह मुहैया की जायेगी। मुझे बहुत खुशी होती है कि जनता का हम पर विश्वास बना और सहकारी संस्थाओं पर जनता का विश्वास बना। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, सरकार बदलना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसने सभी योजनाओं को ठप कर दिया, यह दूसरी चीज है। जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ से यह किया कि कौन-कौन से काम हैं जिनको काँग्रेस की सरकार ने किया है और जो काँग्रेस की महिलाओं ने किया है, उन सब को बन्द कर दिया। आप उठा कर देख लीजिए। जितनी भी महिला संस्थायें थीं उनको जो कन्ट्रोल की चीजें मिलती थीं उनका मिलना बन्द कर दिया और कोशिश यह किया कि उनको किसी प्रकार से समाप्त कर दिया जाये लेकिन वह आज भी जीवित हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वितरण प्रणाली को ठीक करने की जिम्मेदारी सहकारी संस्थाओं को दी जाये यह बड़ी आवश्यक व्यवस्था है। अगर आप महिला संस्थाओं को वितरण की जिम्मेदारी देंगे तो वह जनता की और गरीब तबके के लोगों की सेवा कर सकेंगी। जनता में अपना विश्वास जमाने की कोशिश करेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ शिक्षा के बारे में भी कह देना चाहती हूं। शिक्षा में समानता लाना बहुत ही आवश्यक है। अगर समानता हो जाती है तो वह योग्य लड़के जो धनाभाव के कारण आगे नहीं पहुंच पाते हैं उनको भी समान अवसर मिल सकेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था करके सरकार को एक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। सरकार जो हमारी है मुझे आशा है कि हमारे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उनको कार्यान्वित भी करने का प्रयास करेगी। मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

1980–81 के लिये कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूं, उसके बाद मा0 सदस्यों का भाषण होगा।

मैं उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की 1980–81 की कार्य मंत्रणा समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्देशित करता हूं :

1—श्री जगदीश प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री
2—श्री राम सिंह खन्ना, स्वायत्त शासन मंत्री
3—श्री राम रतन सिंह, सीतापुर
4—राजकुमार संजय सिंह, सुलतानपुर
5—श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, इलाहाबाद
6—श्री जावेंद अली, मथुरा
7—श्री त्रिवेनी, आजमगढ़
8—श्री मोहन सिंह, देवरिया
9—श्री हुकम सिंह, मुजफ्फरनगर
10—श्री गौरी शंकर, इटावा
11—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, झांसी
12—श्री लल्लू सिंह चौहान, मैनपुरी।

एक अन्य माननीय सदस्य को बाद में नाम निर्देशित किया जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरी सूचना आपसे संबंधित है। सदन की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 7 जुलाई, 1980 की बैठक में विधान सभा के दिनाँक 8 जुलाई से 11 जुलाई, 1980 तक के उपवेशनों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की सिफारिश की है :

8 जुलाई, 1980	(1) अपराह्न 5 बजे तक	श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा,
	(2) अपराह्न 5 बजे से 6 बजे तक	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण।
9 जुलाई, 1980	(1) अपराह्न 5 बजे तक	श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।
	(2) अपराह्न 5 बजे से 6 बजे तक	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण।
10 जुलाई, 1980	(1) अपराह्न 5 बजे तक	असरकारी दिवस।
	(2) अपराह्न 5 बजे से 6 बजे तक	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण— (1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, (2) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980।
11 जुलाई, 1980		श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

(श्री ओम प्रकाश जिन्दल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, समय समाप्त हो रहा है। आप नियम 51 की सूचनायें ले लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन्हें बुला लिया है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लाभकारी योजनाओं और प्रदेश से सम्बन्धित कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जो व्यवस्थायें दी हैं, और जिनसे प्रदेश का भला भी होगा, मैं उनका समर्थन करता हूं।

अब मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें सदन में कहीं है, उनके सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। उनका हिसाब तो ऐसे ही हो गया कि सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतने बुरे कर्म करने के बाद जो कि हमारें प्रदेश के लिए लज्जा की बात है, चोरी, लूट, व्यभिचार आदि होने के बाद आज वे ही सदन में इस सरकार की अव्यवस्था की बात करते हैं। इससे बढ़ कर शर्म की और बात क्या होगी। सदन में भी बहुत से लोगों ने और माननीय संजय जी ने भी हमारे आगरा नगर में और प्रदेश में सौन्दर्यीकरण की योजनायें बनायी थीं जिनसे इस प्रदेश को बहुत लाभ मिलने वाला था। हमारे आगरा के अन्दर एक बहुत बड़ा बैराज बनाने की बात भी थी जिससे वहाँ की पानी की सिंचाई की समस्या हल होने की बात थी लेकिन जब जनता सरकार आयी उस समय में उन सारी योजनाओं को उन्होंने रद्द कर दिया। जो सरकार प्रदेश के हित की बात करती है, वह कैसी कैसी योजनाओं को रद्द कर देती है। मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार ने बिजली की जो हालत पैदा कर रखी थी वह किसी से छिपी नहीं है। इस सरकार ने आते ही उसमें सुधार किया। महामहिम राज्यपाल जी ने भी उसमें काफी सुधार किया।

मान्यवर, इस जनता पार्टी की सरकार ने आते एक ही काम यह किया कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की फोटो जहाँ जहाँ कहीं कार्यालयों में लगे थे उनको एक आदेश द्वारा उतरवाकर फिकवा दिए गए। यह कितना गलत काम था।

जनता पार्टी की सरकार के जमाने में आगरा में दो बार दंगे हुये। एक बार तो साम्प्रदायिक दंगा हुआ और दूसरी बार सवर्ण और असवर्ण जाति में हुआ। यह सब दंगे जनता पार्टी के एक ग्रुप ने कराए। (व्यवधान) जो लोग यहाँ सदन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे उस जमाने में क्या हुआ उसे नहीं समझते, उनके लिये इससे बड़ी लज्जा की और क्या बात हो सकती है।

अध्यक्ष जी, अब मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव बिक्री कर के बारे में है। इसको हटाया जाये या इसे सरल बनाया जाय।

दूसरा सुझाव मंडी समिति के बारे में है। इसके द्वारा छोटे छोटे लोगों पर, पान वालों पर, हलवाइयों पर या और छोटे लोगों पर जो टैक्स लगाया जाता है वह खत्म किया जाय। इसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये उनको हार्दिक बधाई देता हूं और प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई है, उनमें श्री मोहन सिंह की सूचना को मैंने स्वीकार किया है जो उत्तरकाशी जिले के ज्ञानसू नामक गाँव में भूस्खलन से हुई क्षति के बारे में है। इसमें 200 व्यक्तियों के मरने की बात कही गयी है। यह सर्वाधिक महत्व की थी इसलिये मैंने इसे स्वीकार किया है। एक दिन में एक ही सूचना स्वीकृत हो सकती है, इसलिए शेष को स्वीकार नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गाजीपुर के बारे में तो महत्वपूर्ण थी उसे स्वीकार कर लेते....

श्री अध्यक्ष—

एक ही तो नियमानुसार हो सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उस पर स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अन्तर्गत एक ही स्वीकार हो सकती है। यह उत्तरकाशी के संबंध में जो मैंने स्वीकार किया है, इस पर राजस्व मंत्री जी बताना चाहें तो बता दें कि कब इस पर वक्तव्य देंगे। कब उनको सुविधा होगी।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, 10 तारीख का समय जो है वह निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

तो इस पर अब 10 तारीख को वक्तव्य होगा।

नियम 301 के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य ने सूचनायें दी थीं, कृपया उन सूचनाओं का नवीनीकरण कर दिया जाय।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 301 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं लेने के लिए प्राविधान है। मान्यवर, उसमें बहुत कम समय लगता है।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचनाएं दें, जैसा उसमें संभव होगा जितना किया जा सकेगा, उतना किया जायगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ.
7 जुलाई, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 65 पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण—

प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीसवें" के स्थान पर शब्द "इकतीसवें" रख दिया गया है ।

अनुसूची 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 65 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 तथा नियम 159 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

नियम 147 के अन्तर्गत

(1) प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीसवें" के स्थान पर शब्द "इकतीसवें" रख दिया गया है।

(2) खण्ड 2 (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अन्तर्गत ट्रेक्टर" के स्थान पर शब्द "अन्तर्मत ट्रैक्टर" रख दिये गये हैं।

नियम 159 के अन्तर्गत

(3) खण्ड 2 (ख) की पाँचवीं पंक्ति में शब्द "रुपया" के स्थान पर शब्द "रुपये" रख दिया गया है।

विधान सभा

सत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 65 पर)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

(1) प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीसवें" के स्थान पर शब्द "इकतीसवें" रख दिया गया है ।

(2) खण्ड 3 की प्रथम पंक्ति में शब्द "में" तथा शब्द "खंड" के बीच में चिन्ह "," (कामा) रख दिया गया है ।

(3) खण्ड 4 के उप खंड (2) के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह ";" रख दिया गया है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 66 पर)

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण--

(1) प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीसवें" के स्थान पर शब्द "इकत्तीसवें" रख दिया गया है।

(2) खण्ड 8 की द्वितीय पंक्ति में शब्द " प्रदेश" तथा शब्द "राजस्व" के बीच में शब्द "या" रख दिया गया है।

(3) खण्ड 10 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 73-क की द्वितीय पंक्ति में अंक व अक्षर "1-ख" के स्थान पर अंक व अक्षर "1-बी" रख दिये गये हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 102 पर)

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात पर दुख नहीं प्रकट किया कि चुनाव में वर्तमान सत्तारूढ़ दल को हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार आदि करने से नहीं रोका जा सका, अल्मोड़ा जिले में 9 मई को कफलता ग्राम में निर्दोष हरिजनों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये तथा विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा एक बार करने के बाद उसे रद्द करके अध्यक्ष का नाँमाकन कर दिया गया जो कि संसदीय परम्पराओं के विपरीत है । 2—प्रदेश में निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई की रोक-थाम करके उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये । 3—प्रदेश में शाँति एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने तथा ग्राम्य विकास एवं किसानों की उन्नति के लिए प्राथमिकता देने की घोषणा नहीं की गयी ।
3	श्री भीखालाल, श्री ऊदल, श्री मसरूर जाफरी, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री लल्लू सिंह, श्री तपेश्वर राम तथा श्री मित्रसेन यादव ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा— 1—सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पिछली खरीफ और रबी की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, लगान, सिंचाई व अन्य सरकारी कर्जे माफ किये जायेंगे । 2—प्रदेश में बिगड़ती हुई शाँन्ति और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायेंगे । 3—प्रदेश के हरिजनों, समाज के निर्बल वर्गों, महिलाओं तथा अन्य अल्प संख्यकों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायेंगे । 4—अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन से कदम उठाये जा रहें हैं । 5—प्रदेश के हथकरघा उद्योग को तथा उसमें लगे श्रमिकों को पूंजीवादी बाजार के शोषण से मुक्त कराने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है । 6—औद्योगिक अशान्ति को रोकने तथा श्रमिकों के ट्रड यूनियन अधिकारी की रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है । 7—प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या योजना है ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8—प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायगा ।
		9—शिक्षण संस्थाओं में शान्तिमय वातावरण बनाने तथा शिक्षा सत्र को समय से प्रारम्भ करने और समाप्त करनेके लिए कोई ठोस योजना बनाई जायगी ।
		10—भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा भूमिहीनों व हरिजनों में भूमि को बंटवाने और आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा दिलाने क लिए ठोस योजना बनाई जायगी ।
		11—मंहगाई को रोकने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस योजना बनाई जायगी ।
		12—डीजल, मिटटी का तेल, शकर, रसायनिक खाद की चोर बाजारी को रोका जायगा।
		13—काम के बदले अनाज योजना बनायी गयी सड़कों तथा सम्पर्क मार्गों को पक्का कराया जायगा ।
		14—उर्दू को प्रदेश की द्वितीय भाषा बनाया जायगा।
4	श्री रियासत हुसैन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—
		1—सवा छः एकड़ अलाभकर जमीन पर से मालगुजारी हटाने की घोषणा नहीं की गयी ।
		2—लेण्ड सीलिंग ऐक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने का विवरण नहीं दिया गया ।
		3—शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने के प्रबन्ध का उल्लेख नहीं है ।
		4—उर्दू भाषा को प्रदेश की दूसरी सरकारी भाषा की घोषणा नहीं की गयी ।
		5—शाँति व्यवस्था में पूर्णतः असफल होने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		6—स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों के चुनावों की तिथि की घोषणा नहीं है ।
		7—प्रदेश में बिजली सप्लाई न दिए जाने का विवरण उल्लिखित नहीं है ।
		8—डीजल और फर्टिलाइजर्स तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का उल्लेख नहीं है ।
		9 -हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		10—प्रदेश के युवा वर्ग में दिन प्रति दिन बढ़ते हुए व्यापक असन्तोष के समाधान का उल्लेख नहीं है ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
5	श्री प्रदीप कुमार यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया– 1––पुलिस प्रशासन अपराधों की रोकथाम में न केवल असमर्थ है बल्कि पुलिस कर्मचारियों में घृणित बलात्कार, राहजनी, और निरपराध लोगों की हत्या की वृत्ति उत्तरोत्तर निर्बाध रू० से बढ़ रही है जिसके परिणाम-स्वरूप प्रदेश में ला-कानूनियत और मनमानी का राज है। 2––उर्वरकों की मूल्य वृद्धि द्वारा और कृषि कार्यों के लिए आवंटित बिजली की कटौती द्वारा किसानों पर कुठाराघात किया गया है। 3––खेती लायक सारी भूमि की सिंचाई के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनायी जायगी। 4––किसानों और कारखानी उपज और वस्तुओं का दाम इस तरह से बाँधा जाय कि दो फसलों के बीच किसी भी अन्न का दाम 20 सैकड़ा से ज्यादा न बढ़े और रोज काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं का दाम, लागत खर्च और ढोलाई खर्चे डयोढ़ा से ज्यादा न हो। 5––शिक्षा के क्षेत्र से अमीरी-गरीबी का वर्तमान भेदभाव मिटेगा। 6––समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त लागू किया जायगा। 7––प्रदेश में बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो सिद्धान्त अविलम्ब लागू किया जायगा। 8––हरिजनों, आदिवासियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और महिलाओं को जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे सरकारी सेवा, उद्योग, व्यापार में 60 प्रतिशत आरक्षण दिया जायगा। 9––आवास की असाधारण कमी को दूर करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर साधारण लोगों के लिए मकान स्वयं बनायेगी और प्रोत्साहन भी देगी।
6	श्री राम आसरे पासवान	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया–– 1––प्रदेश के बस्ती जनपद के राजस्व विभाग में कार्यरत अस्थाई एवं सीजनल अमीनों के स्थायीकरण के विषय में कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों, जो इस समय उक्त प्रकार से राजस्व विभाग में सेवा कर रहे हैं उनकी कृषि विभाग की सेवाओं को सम्मिलित करके ज्येष्ठता निश्चित करते हुए स्थायीकरण करना।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2——जनपद बस्ती के ग्राम सभा करौता, तहसील खलीलाबाद की ग्राम समाज एवं आबादी की भूमि, जो वहाँ भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को अनियमित रूप से आवंटित की गई है, आवंटन को निरस्त करके भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि दिलाया जाना ।
		3——श्री लालबहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टुम्पार, बस्ती जो अप्रैल, 1980 में अग्निकाँड में पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में ।
		4——बस्ती जनपद में बभनान, गोविन्दनगर, मुण्डेरवा, बस्ती तथा खलीलाबाद में चल रही चीनी मिलों को पूर्ववत् चलते रहने तथा ऐसी व्यवस्था करने जिससे किसानों को भुगतान प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो, के सम्बन्ध में ।
		5——बस्ती जनपद, के सदर विकास खंड में ग्राम खोराखार डिड़ौहा, नाउडाड़ रानी क्षेत्र मिश्र, बलिया तथा गदहा खोर के मध्य से होकर जाने वाली गोविन्दनगर के किसान इन्टर कालेज, बस्ती की सड़क को पिच रोड बनाने के सम्बन्ध में ।
		6——घनघटा (बस्ती), बिड़हर (फैजाबाद) मार्ग में सरयू एवं घाघरा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में ।
		7——खलीलाबाद तहसील, जो बस्ती जनपद की सबसे पिछड़ी तहसील है और जहाँ पर जूट की पैदावार काफी होती है, के नाथ नगर कस्बे में एक जूट मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में ।
7	श्री मोतीलाल देहलवी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में——
		1——यह वचन नहीं दिया कि लोकदल व जनता पार्टी की सरकारों द्वारा प्रारम्भ करायी गयी सड़कों और पुलों के अधूरे कार्यों को वर्तमान सरकार पूरा करायेगी ।
		2——जो सड़कें खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ब्लाकों द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन्हें निरस्त न करके, उन पर काय शुरू कराने तथा जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य हो चुका है, उन पर पूर्व लोकदल की सरकार की घोषणा के अनुसार प्रथम चरण में खड़ंजे का कार्य तथा द्वितीय चरण में डामर डलवाने की घोषणा नहीं की है ।
		3——यह घोषणा नहीं की है कि यह सरकार 5 वर्षों के अन्दर प्रत्येक गाँव में सड़क तथा यथावश्यक पुलों का निर्माण करा देगी ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4--प्रत्येक गाँव में महिलाओं के लिए शौचालय (शहरों की भांति पाखाने) बना देने की घोषणा नहीं की है।
		5--किसानों को आवश्यकतानुसार उचित रेट पर खाद, बिजली, डीजल, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट तथा शकर देने की घोषणा नहीं की है।
		6--वर्षों से खुदे पड़े गाँवों के जिन बम्बों में पानी नहीं बहाया गया है, उन बम्बों में पानी बहाने की तथा प्रत्येक खेतों को सीचने हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने की घोषणा नहीं की है।
		7-जिन गाँवों में पानी भर जाने के कारण फसलें बर्बाद होती हैं, उन गाँवों में पानी निकास की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा नहीं की है।
		8--यह घोषणा नहीं की है कि 5 वर्षों के अन्दर प्रत्येक गाँव में बिजली तथा कम से कम प्राइमरी स्कूल की सुविधा कर दी जायेगी।
		9--किसानों द्वारा उत्पादित आलू को हर हालत में बर्बादी से बचाने की घोषणा नहीं की है।
		10--अपराधों को नियंत्रित कर जनता की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करने की घोषणा नहीं की है।
		11--सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का उत्पीड़न तथा स्थानान्तरण राजनैतिक कारण से न किये जाने घोषणा नहीं की है।
8	श्री राम हर्ष राय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:--
		1--विधान सभा के चुनावों में कई उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों की हत्या के मामलों की न्यायिक जाँच कराई जायगी।
		2--बेरोजगार शिक्षित स्नातकों को सौ रुपया मासिक भत्ता दिया जायगा।
		3--गाजीपुर की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जिला चिकित्सालय का विस्तार किया जायगा।
		4--आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए कोई योजना बद्ध कार्य किया जायगा।
		5--प्रदेश के विभिन्न निगमों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति एवं उनके कार्यों में सुधार हेतु योजना बद्ध कार्य किया जायगा।
		6--सूखा पीड़ित किसानों को सभी प्रकार के सरकारी कर्जे से मुक्त किया जायगा।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7—मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नौकरियों में समान अवसर दिलाने तथा उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
		8—बिक्री कर समाप्त किया जायगा तथा फसल बीमा योजना लागू की जायगी।
		9—सम्पूर्ण प्रदेश में वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद हरिजनों व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं तथा महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं।
		10—प्रशासन पर बढ़ते खर्च को रोकने तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों पर होने वाले भारी खर्च को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठायें जायेंगे।
9	श्री कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—
		1—प्रदेश में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी, अनुशासन-हीनता, भ्रष्टाचार के रोकने,
		2—उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा की मान्यता देने,
		3—डुमरियागंज तहसील व जनपद बस्ती को पिछली सरकार की निर्णय के अनुसार टाउन एरिया बनाने,
		4—बस्ती जनपद के अधिकारियों में व्याप्त तथा कथित गुण्डों के भय को समाप्त करने,
		5—पी0 एच0 सी0 भनवापुर की दयनीय दशा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के आदेशानुसार चिकित्साधिकारी के विरुद्ध सर्तकता विभाग द्वारा जाँच कराने,
		6—पूरी डुमरियागंज तहसील के लाखों नवजवानों को रोजगार देने तथा छोटे-छोटे कारखाने लगाने,
		7—डुमरियागंज तहसील में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना,
		8—डुमरियागंज तहसील में फर्जी लोगों के नाम से चल रही सैकड़ों चीनी व राशन की दुकानों की जाँच करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने,
		9—खाद्यान्न योजना द्वारा जो सड़कें बनाई गई थीं,उन पर पुलिया बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा उनको पक्का करने,
		10—सूखे से पीड़ित डुमरियागंज तहसील के लाखों मजदूर किसानों की रोजी रोटी की समुचित व्यवस्था करने,
		11—डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट सड़क और शाहापुर सिंगारजोत घाट सड़क पर पीपे का पुल जो पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था बनाने,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12—सीमेन्ट की तत्काल व्यवस्था करने,
		13—अभी जो 4 फैक्टरियाँ इस प्रदेश को प्राप्त हुई हैं उनमें से एक या अधिक फैक्टरियों को बस्ती जनपद में लगाने,
		14—भूख से मर रहे मजदूर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए खाद्यान्न योजना अथवा किसी दूसरी योजना के चलाने,
		15—किसानों को सूखे के कारण पूरे वर्ष बिजली न मिलने के फलस्वरूप बिजली के बिल की वसूली माफ करने तथा
		16—डुमरियागंज तहसील में कर्मचारी और अधिकारी गुण्डों के भय से पीड़ित हैं उसके सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।
10	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		1—प्रदेश में पुलिस द्वारा लोकदल के कार्यकर्त्ताओं को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने तथा फर्जी मुकदमों में चालान करके बर्बरता से पीटने, उदाहरण स्वरूप जनपद बस्ती के थाना रुदौली में गोसियारी बाजार के माता बदल बनिया को एक दम फर्जी मुकदमों में चालान करके बुरी तरह मारने और पूरे गोसियारी बाजार क्षेत्र में घुमाने तथा भाषण करने कि लोकदल शासन समाप्त हो गया अब नेतागीरी नहीं चलेगी इत्यादि इस तरह अपमानित करने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया।
		2—ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर करने के तात्कालिक उपायों का जिक्र नहीं किया है तथा यह घोषणा नहीं की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निजी नलकूपों पर मीटर लगाये जायेंगे और बिजली उपभोक्ताओं से जितनी बिजली खर्च कर उतना भुगतान लिया जायगा अर्थात् मिनिमम चार्जों का नियम तब तक लागू न होगा जब तक बिजली की आपूर्ति पूरे समय सुनिश्चित न हो जाय।
		3—प्रदेश के 69 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों को अनिवार्यत, राजकीय संरक्षण प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया है।
		4—प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर, मास्टर प्लान लागू किये जाने का उल्लेख नहीं किया है।
		5—प्रदेश के सम्पूर्ण व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किये जाने का उल्लेख नहीं किया।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		6—प्रदेश में उत्पादित तथा भविष्य में उत्पादन होने वाली समस्त बिजली का कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीणों क्षेत्रों को दिया जाने का उल्लेख नहीं किया।
		7—जनता तथा लोकदल सरकारों द्वारा छोटे किसानों की उर्वरक में दी गई छूट को बस्ती जनपद में अधिकारियों तथा विकास खंडों के कर्मचारियों द्वारा फर्जी नामों पर खाद देकर हड़प किये जाने के मामलों उदाहरणार्थ विकास खंड रुधौली के खाद गोदाम डिडई के चार्ज द्वारा समस्त छूट के दुरुपयोग के मामले की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दण्डित करने तथा छोटे किसानों को वापस कराने का उल्लेख नहीं है।
		8—बस्ती जनपद के विकास खंड साँथा में माह दिसम्बर, 79 से मई, 80 तक खाद्यान्न योजना में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराकर उन्हें दण्डित करने का उल्लेख नहीं किया।
		9—बस्ती जनपद के रुधौली, रायठ, सौधा तथा धर्मसिंहवा बाजार में ग्रामीण पेयजल योजना तत्काल प्रारम्भ करने की कोई घोषणा नहीं की है।
		10—बस्ती जनपद के बेल्हर (खुर्द, कलाँ तथा जंगल) ग्राम समूह के 6 हजार ग्रामवासियों के सुविधा हेतु अविलम्ब विद्युतीकरण करने की कोई घोषणा नहीं की है।
		11—बस्ती जनपद की बाँसी तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अविलम्ब लागू करने का उल्लेख नहीं किया।
		12—बायीं तटयी घाघरा नहर योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने तथा राप्ती लिफ्ट पम्प नहर योजना को 31 मार्च, 1982 तक पूर्ण करके वर्ष 1982-83 के खरीफ से सिंचाई का समुचित साधन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया।
		13—प्रदेश में वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने के बाद मुनाफाखोरों, जखीरेबाजो तथा पूंजीपतियों के कुचक्र बेतहाशा बढ़ गये हैं, जिससे जन साधारण के दैनिक उपयोग की वस्तुओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से मूल्य वृद्धि रोकने में असफल है, चीनी के मूल्य में ढाई तीन गुना से अधिक वृद्धि हो गई है परन्तु गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य में कर वृद्धि की घोषणा नहीं की गयी है।
		14—वर्तमान सरकार (योजना आयोग) से प्रदेश की योजनाओं हेतु आवश्यक धन प्राप्त करने में असमर्थ रही है जिसे प्रदेश के योजना मन्त्री ने दिनाँक 24-6-80 को संवाददाताओं से बात करते समय स्वयं स्वीकारा है,

स्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप

इस प्रसंग में उल्लेख नहीं किया है कि यह सरकार प्रदेश की योजनाओं को चलाने में असमर्थ है ।

15—जनता तथा लोकदल सरकारों द्वारा प्रदेश में पंचायतीराज विभाग के माध्यम से खाद्यान्न योजना में बनवाई गई सैकड़ों किलोमीटर लम्बी मिट्टी की सड़कों को सीलिंग तथा पिच कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

16—बस्ती जनपद में विकास खण्ड रुधौली, साँथा तथा खेसरहा प्रदेश को सबसे अधिक पिछड़ा, अविकसित तथा उपेक्षित भाग हैं तथा यहाँ यातायात और सिंचाई के साधन बिल्कुल नगण्य हैं । गाँवों में प्राइमरी तथा जूनियर शिक्षा की व्यवस्था सबसे उपेक्षित है । 90 प्रतिशत पाठशालाओं के भवन या तो नहीं हैं या जीर्णावस्था में हैं परन्तु अभिभाषण में उपरोक्त का उल्लेख नहीं है और किसानों को सिंचाई सुविधाओं हेतु गाँवों में राजकीय नलकूपों को लगाने की घोषणा नहीं की गयी है, तथा यातायात की सुविधा हेतु—

(क) हनुमानगंज–गोसियारी बाजार–खेसरहा,

(ख) केसवापुर–गुनाखोर–अमराडाँमा–पिपरा–मनेतापुर–खेसरहा,

(ग) सुपौली–राजघाट–जंगलदशहर–लोहरौली–ठकुराई,

(घ) डिडई-गौसियारी बाजार-रमवापुर–कोइठहा,

(ङ) बेलाहा–धर्मसिंहवा बाजार मार्ग का छूटा भाग,

(च) मेंहदावल–बौरव्यास–मेहदूयार–उस्का बाजार (जो वर्ष 1970–71 के माँग सूची पर है),

(छ) लोहरौली–कडसरा–मसिना,

(ज) मिटिहरा–नटाईकला,

(झ) कोहरा–आमा–मुगरहा,

(अ) असनहरा–मनिकौरा–सेमरहना–मसिना,

मार्गों के बनाने का उल्लेख नहीं किया तथा (1) सिरसिया घाट (2) महुआ घाट और (3) भगोसा घाट के पुलों के निर्माण का उल्लेख नहीं किया ।

17—रुधौली–बखिरा मार्ग छपिया घाट पर आमी नदी का पुल तथा राजघाट पर बूधा नदी का पुल बनवाने का उल्लेख नहीं किया ।

18—किसानों द्वारा पैदा की हुई वस्तुओं का मूल्य, किसानों द्वारा रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों के तुलना में समता के आधार पर निर्धारित करने की घोषणा नहीं की है ।

19—प्रदेश के प्रतिदिन के कार्यों में उर्दू को समुचित स्थान देने की घोषणा नहीं की है ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
11	श्री सन्त बख्श रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में— 1—प्रदेश में हाल ही में विधान सभा के आम चुनाव में केन्द्रीय सत्तारूढ़ दल द्वारा की गयी धांधली का कोई उल्लेख नहीं किया है। 2—प्रदेश में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को पूर्ण करने एवं उन्हें पक्का करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। 3—प्रदेश में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों का सभी स्तरों पर आरक्षण का कंटा पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। 4—प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे बलात्कार एवं हरिजन अत्याचार को रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। 5—लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज तथा मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने हेतु सरकारी क्षेत्र में उद्योग लगाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। 6—प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों को समुचित मजदूरी दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। 7—प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन उत्पीड़न रोकने हेतु सभी ग्रामीण स्थानों में हरिजन थानाध्यक्षों एवं सब इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। 8—ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए डिग्री कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज में श्री रामपाल त्रिवेदी इन्टर कालेज तथा मोहनलालगंज में काशिवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इण्टर कालेज को डिग्री कालेज बनाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही गोसाईगंज में छात्राओं को इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा दिलाने हेतु कन्या विद्यालय खुलवाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। 9—सारदा सहायक परियोजना द्वारा विकास खण्ड गोसाईगंज, जिला लखनऊ के अन्तर्गत छोटी लोनी को नहर विभाग द्वारा ड्रेन में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया है, ऐसी दशा में रायपुर सतरा के पास ड्रेन पर पुल के नव-निर्माण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10—रायबरेली मार्ग से निगोहा से राती अहरिवार-बेनीगंज जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर बाँके नाले पर पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है ।
		11—विकास खण्ड मोहनलाल गंज, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम हुलास खेड़ा में पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही खुदाई से प्राप्त दुर्लभ ऐतिहासिक महत्व की चीजों को उसी स्थान पर पर्यटकों के दर्शनार्थ रखने हेतु संग्रहालय बनाने, पर्यटक स्थल बनाने तथा रायबरेली मार्ग से हुलास खेड़ा ऐतिहासिक स्थल तक बने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है ।
		12—लखनऊ जनपद के 6 विकास खण्डों में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, निराला नगर लखनऊ द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जाती है, और विभिन्न ग्रामों में उपभोक्ताओं को लाईट के कनेक्शन दिये गये हैं किन्तु उन्हें जलाने के समय बिलकुल बिजली नहीं दी जाती, ऐसी स्थिति में संध्या 6 बजे से प्रात.6 बजे तक नियमित रूप से दो फेस विद्युत उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है।
12	श्री ऊदल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया—

1—बढ़ती हुई अराजकता एवं बड़े पैमाने पर हो रही डकैतियाँ, लूट, हत्यायें आदि को रोकने तथा शान्ति व्यवस्था की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति के बारे में कोई कारगर कदम उठायें जायेंगे ।

2—बढ़ती हुई मंहगाई एवं किसानों के कृषि में काम आने वाले सामानों खासकर उर्वरकों, कृषि यन्त्रों, लोहा, डीजल, ट्रैक्टर के दाम में बेतहाशा वृद्धि को रोका जायगा, तथा भारत सरकार को बढ़े हुए दामों को कम करने हेतु सरकार द्वारा सुझाव दिया जायगा ।

3—प्रदेश में पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकारी और अर्धसरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण की पिछली सरकार की नीतियों को लागू न करने से असन्तोष उत्पन्न हुआ है ।

4—पिछड़े वर्ग के छात्रों को हरिजन छात्रों के समान छात्रवृत्ति आदि शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं दिए जाने के पूर्ववर्ती सरकार के आदेशों की उपेक्षा और अवहेलना की जा रही है तथा हजारों छात्रों को छात्रवृत्तियों से वंचित रखा गया है ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5——औद्योगिक वस्तुओं तथा कृषि उपजों के भावों में असमानता को दूर किया जायगा और दोनों के भावों में समानता लायी जायगी ।
		6——कृषकों को फसलों के बारे में बीमा योजना लागू की जायगी ।
		7——माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायगा ।
		8——प्रदेश में जहाँ चकबन्दी हो चुकी है वहाँ से निकलने वाली सड़कों, नहरों तथा दूसरे विकास कार्यों में ली जाने वाली जमीनों के बाद पुनः उन गाँवों की चकबन्दी करायी जायगी ।
		9——बढ़ती हुई पुलिस की तानाशाही व मनमानी को रोकने , उदाहरणस्वरूप बागपत, जिला मेरठ में दिन दहाड़े तीन व्यक्तियों को गोली से उड़ा देने और एक औरत को निर्वस्त्र कर पुलिस द्वारा बेइज्जत करने तथा गाँव परिगना, थाना कुर्सी, बाराबंकी को एक हरिजन युवती कुन्ती की निर्दयतापूर्वक हत्या करने एवं सहारनपुर में अलीगढ़ में दो नवयुवकों को गोली से उड़ा देने तथा 27-6-80 को थाना महाराजगंज, गोरखपुर में पुलिस सब-इन्सपेक्टर द्वारा इन्द्र के घर में घुस कर उसकी लड़की को बेइज्जत किये जाने और 800 रु0 घूस लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
		10——प्रदेश में खासकर पूर्वी जिलों में पिछले 4 माह में बड़े पैमाने पर जो डकैतियाँ डाली गयीं और कत्ल हुए, उन्हें रोका जायगा और डकैतों के खिलाफ महा-अभियान चलाया जायेगा ।
		11——पिछले 4 माह में दसियों बार ट्रेनों, बसों में लूट पाट हुई उसे रोका जायेगा ।
		12——प्रदेश में निकलने वाली नहरों के टेल वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु नलकूप लगाये जायेंगे एवं सिंचाई विभाग (नहर) के उच्चाधिकारियों की गलत प्रवृत्ति तथा नहरी कमाण्ड से न निकालने की गलत नीति में संशोधन किया जायेगा ।
		13——वाराणसी जिले की बरूणा नदी में सेतु निगम द्वारा 8–9 वर्षों से बनाए जा रहे कालिका धाम में पुल को अब तक पूरा न करने के कारण नहीं बताये ।
		14——वाराणसी जिले में बाबतपुर से जमालापुर मार्ग, कछुवा से बड़ा गाँव मार्ग में कबसेठी से अनेई तक नौ (9) किलोमीटर अधूरे मार्ग तथा पिंडरा से कठिराँव मार्ग में रामपुर के पास अधूरे मार्ग को अब तक न बनाने के कारण नहीं बताये ।
		15——वाराणसी जिले में बड़ागाँव से वाया कुण्डी चिलबिला कुरू मार्ग, बिरावं से दादूपुर धौकलगंज मार्ग,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		बड़ागाँव से रामेश्वर मार्ग और पिंडरा से देवराई सराय मार्ग जिसका प्रस्ताव अप्रैल, 1980 में शासन को भेजा गया, को न बनाने के कारण नहीं बताये । 16—वाराणसी में ममारी से औतार सिंधौरा मार्ग को न बनाने के कारण नहीं बताये । 17—वाराणसी जिले में नान्द नदी में गाँव सुरही के पास पुल तथा उक्त नदी में गाँव सराय के पास पुल बनाया जायेगा । 18—वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ा गाँव में कुण्डी नाले में कीनियर गाँव में पुल बनाया जायेगा । 19—वाराणसी जिले में स्थान बरही नेवादा ब्लाक बड़ा गाँव में तथा स्थान मंगारी ब्लाक पिंडरा में नया एलोपैथिक अस्पताल खोला जायेगा । 20—वाराणसी जिले के आयुर्वेदिक अस्पताल सिंधौरा ब्लाक पिंडरा की अधूरी इमारत पूरी करायी जायेगी । 21—वाराणसी जिले के थाना फूलपुर की जर्जर इमारत को नया बनाया जायेगा । 22—स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोला जायेगा तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने हेतु ज्यादा से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में ; तथा 22—बाबतपुर वाराणसी से भदोही तक रेल लाईन बिला वजह निकालने से रोकी जायेगी ।
13	श्री राम आसरे वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का उल्लेख नहीं किया :— 1—नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई एवं 1973 के पुलिस आन्दोलन के कर्मचारियों को बहाल किया जायेगा । 2—प्रदेश में कफलटा, बार बंकी जैसे अनेक हरिजन विरोधी जघन्य काण्डों को प्रोन्त्साहन दिया गया । 3—अनुसूचित, पिछड़ी एवं अल्प संख्यक जातियों के उत्थान एवं समान अधिकार हेतु समुचित रूप रेखा प्रस्तुत नहीं की गई । 4—उर्दू भाषा को दूसरी राज भाषा बनाये जाने की घोषणा नहीं की गयी । 5—सूखा पीड़ित प्रदेश की जनता को भांति भांति के सरकारी बोझ से मुक्ति के कोई उपाय नहीं किये गये । 6—गत शासन द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को पक्का कराकर उन पर पुलियों के निर्माण की व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की गई

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7--हरदोई जनपद के मल्लावाँ निर्वाचन क्षेत्र के युवकों की बेरोजगारी दूर करने के कोई कदम नहीं उठाये गये ।
		8--हरदोई जनपद के मल्लावाँ माधोगंज विकास खण्डों के अन्तर्गत स्वीकृत बिद्युत योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया, छिबरामऊ जलालपुर विद्युत् लाइन का जीर्णोद्धार नहीं किया गया।
		9--उक्त जनपद की तहसील बिलग्राम में नयी ड्रेनों की खुदाई, पुरानी ड्रेनों की सफाई तथा उन पर आवश्यक पुल पुलियों के निर्माण के कार्य छुए तक नहीं गये ।
		10--हरदोई जनपद के बिलग्राम माधोगंज एवं मल्लावाँ खण्डों में सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध नहीं कराये गये ।
		11--हरदोई जनपद में शिक्षा की दिशा में प्रगति के ठोस कार्यक्रम नही बनाये गये । अनेक प्राइमरी एवं जनियर हाई स्कूल बिना इमारतों के चलाए जा रहे हैं ।
		12--हरदोई जनपद के ऐतिहासिक कस्बे बिलग्राम को कन्नौज से जोड़ने के लिए राजघाट पर गंगा नदी का पुल नहीं बनाया गया ।
		13--हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील के कछन्दाऊ क्षेत्र को विकसित करने पर विचार नहीं किया गया ।
		14--हरदोई जनपद के मल्लावाँ, काजीपुर आदि स्थानों के बुनकरों के जीवन को बेहतर बनाने के कदम नहीं उठाये गये ।
14	श्री मुख्तार अनीस तथा श्री सत्यपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में--
		1--विगत दिनों पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों का वर्णन नहीं किया तथा न ही पुलिस द्वारा की गई बलात्कार की अनेक घटनाओं का वर्णन किया ।
		2--ग्रामीण विकास की कोई स्पष्ट रूप रेखा प्रस्तुत नहीं की ।
		3--सरकार द्वारा 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ने की घोषणा नहीं की ।
		4--सरकार द्वारा 5 वर्षों में ग्रामीण जनता को पीने हेतु स्वच्छ पानी प्रदान करने की घोषणा नहीं की ।
		5--सरकार द्वारा 5 वर्षों में बेरोजगारी दूर करने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा ।
		6--वर्तमान सरकार द्वारा 5 वर्षों में ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने की कोई घोषणा नहीं की ।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15	श्री सत्यपाल सिंह यादव तथा नाजिर अली	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न तथ्यों का कोई भी उल्लेख नहीं किया है—— 1——प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई मंहगाई तथा विशेष कर खाद, डीजल, पेट्रोल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम करने के विषय में। 2——प्रदेश के अन्दर बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के विषय में। 3——जिला शाहजहाँपुर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की शिक्षा की व्यवस्था के विषय में। 4——शाहजहाँपुर जिले में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निबटने के विषय में तथा सम्भावित प्रभावित ग्रामों को अन्यत्र बसाने के विषय में। 5——जिला शाहजहाँपुर की तहसील तिलहर की चीनी मिल के जिन काश्तकारों की भूमि ले ली गई है उनका कम्पेन्शेसन दिलाने के विषय में।
16	श्री राम सागर तथा श्री जमुना प्रसाद।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया —— 1——यूरिया खाद का बढ़ा हुआ दाम घटा कर 50 रुपये बोरी कर दिया जायगा। 2——गेहूं का दाम कृषकों को 200 रुपया प्रति कुन्टल दिया जायगा। 3——बाराबंकी के कुर्सी थाना में कुन्ती नाम की हरिजन महिला की पुलिस द्वारा किये गए बलात्कार से मृत्यु की न्यायिक जाँच कराई जायगी। 4——10 वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। 5——प्राथमिक शिक्षकों को सी0 टी0 ग्रेड वेतन मान्यता प्राप्त शिक्षकों के बराबर दिया जायगा। 6——बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित छात्राध्यापकों को तुरन्त नौकरी दी जाय। 7——बाराबंकी में मवई घाट पर कल्यानी नदी का पुल बनाया जायगा। 8——राम सनेही घाट बाराबंकी में डिग्री कालेज की व्यवस्था की जायेगी। 9——सिद्धौर, बाराबंकी में महिला अस्पताल की व्यवस्था कर दी जायगी। 10——वर्तमान बढ़े हुए चीनी मूल्यों को देखते हुए आगामी गन्ना सीजन में गन्ने का मूल्य 30 रु कुन्टल किसानों को दिया जायगा।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—शिक्षा नीति में परिवर्तन करके पब्लिक स्कूल समाप्त किये जायेंगे ।
		12—प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य की जायगी ।
		13—जिन चीनी मिलों के ऊपर गन्ना मूल्य बकाया है उनका अभिग्रहण किया जायगा ।
		14—कल्यानी नदी के मल के बहाव को व्यवस्थित कर दिया जायगा ।
		15—फतेहपुर बाराबंकी में एक डिग्री कालेज की स्थापना कर दी जाएगी ।
		16—सेरसा, अहमदपुर, टिकैतगंज, कर्सी, बाराबंकी में जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था इसी सत्र में कर दी जायगी ।
		17—जनपद बाराबंकी में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हत्याएं, डकैती एवं बलात्कार को रोकने की व्यवस्था की जायगी ।
17	श्री हरिवंश सहाय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—
		1—शिक्षित एवं गैरशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को काम देने या बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा नहीं की गई है ।
		2—हाई स्कूल तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिये जाने एवं पब्लिक स्कूलों को बन्द किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		3—दस बीघा तक लगान माफ किये जाने तथा सिचाई की मुफ्त व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		4—आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाहों में बराबरी लाने के लिए अर्थात् कम से कम 500 रु0 तथा अधिक से अधिक 1,500 रु0 की दर निश्चित करने की घोषणा नहीं की गयी है ।
		5—स्पष्ट दाम नीति जिसके आधार पर प्रत्येक वस्तु के दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से ज्यादा नहीं होंगे, की घोषणा नहीं की गई है ।
		6—कानून एवं लोक संगठन के द्वारा हर कुटुम्ब को मकान लायक जमीन के बारे में निश्चित करने की घोषणा नहीं की गई है ।
		7—सभी उद्योगों में मालिकों, मजदूरों एवं उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व रहने की घोषणा नहीं की गई है ।
		8—किसानों के हर खेत को पानी पहुंचाने की घोषणा नहीं की गई है ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9—ग्राम समाज की परती बंजर, कृषि योग्य भूमि का भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित करने की घोषणा नहीं की गयी है।

10—हाई स्कूल तथा इन्टर तक विद्यालयों को राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा नहीं की गई है।

11—भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी एवं भाई-भतीजावाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है।

12—भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, गरीबों एवं अनाथों के बच्चों की पढ़ाई व पालन पोषण के लिए समुचित व्यवस्था की घोषणा नहीं की गई है।

13—सरकारी नौकरियों में पिछड़ी हुई जातियों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

14—महंगाई कम करने तथा जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी का तेल, डालडा, सीमेन्ट डीजल आदि के समुचित न्याय संगत वितरण की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

15—हरिजन बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क व स्कूलों के विकास एवं सुधार के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

16—बड़ी गंडक, राप्ती, घाघरा, छोटी गंडक खनुवा नदी एवं नदियों के बाढ़ से बचने के लिए कोई स्थाई हल की योजना की घोषणा नहीं की गई।

17—देवरिया जनपद में पूर्वांचल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा नहीं की गई है।

18—आर्थिक विकास एवं उन्नति के लिये सलेमपुर (देवरिया) में कागज का कारखाना तथा भाटपाररानी में मसाले का कारखाना खोलने की घोषणा नहीं की गई है।

19—देवरिया जिले की अपेक्षित एवं पिछड़ी हुई तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कों का नव-निर्माण कर उसे आधुनिकीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है—

(1) ब्लाक बनकटा की नदी स्याही से सिरसिया पवार,
(2) पकड़ीबाबू से कुकुरघाटी
(3) नूरीगंज से बैकुण्ठपुर
(4) भटनी से बनकटा स्टेशन
(5) भटनी से सलेमपुर
(6) छेरिहा से भिंगारी बाजार वाया अकटही एवं बंगराबाजार
(7) खैरार से रामबारी

20—देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में नूनरबार, नोनापर, घांटी, खोरीबार, बंगराबाजार, भिंगारी,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		बाजार, सोहनपुर में एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के बारे में नहीं कहा गया है।
		21—देवरिया जिले के छोटी गंडक तथा खनुवा नदी के संगम स्थान खैराट के पास सिचाई की लिफ्ट योजना तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक योजना चालू किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
		22—देवरिया जिले के छोटी गंडक नदी में सठियाँव, बड़का गाँव एवं चनुकी घाटों पर पक्का पुल बनाये जाने का जिक्र नहीं किया गया है।
		23—देवरिया जनपद के भाटपाररानी में महिला डिग्री कालेज, भटनी एवं बनकटा में लड़कियों का हाई स्कूल खोलने की बात नहीं कही गयी।
18	श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—
		1—पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 876 ब्लाकों में सूखा उन्मुख विकास परियोजना तथा लघु सीमान्त विकास परियोजना की घोषणा नहीं की गयी।
		2—बेरोजगार स्नातकों को रोजगार भत्ता या छः मास के अन्दर रोजगार देने की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		3—किसानों के लिए मिट्टी के तेल, डीजल की आपूर्ति को पूरा करने तथा कोटे में की गयी कमी को पूरा करने की घोषणा नहीं की गयी।
		4—बिजली की कमी को दूर करने के तात्कालिक उपायों का जिक्र नहीं किया गया, तथा यह घोषणा नहीं की गयी है कि बिजली उपभोक्ताओं से जितनी बिजली खर्च करे उतना भुगतान दिया जाय, और तब तक मिनिमम चार्ज लागू नहीं होगा जब तक बिजली की आपूर्ति पूरे समय में हो जावे।
		5—कृषकों की जल सम्पूर्ति हेतु ललितपुर एवं पूरे बुन्देलखंड में सम्पूर्ण नदी नालों पर छोटी-छोटी चेकडे के बनाने तथा नलकूपों की वृद्धि में कोई घोषणा नहीं की।
		6—प्रदेश में सेल टैक्स समाप्त कर अन्य कोई बैकल्पिक व्यवस्था करने की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		7—किसानों की फसल का बीमा करने की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		8—राज्य कर्मचारियों को आवासीय भत्ता व्यवस्था की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		9—सम्पूर्ण उद्योगों में मजदूरों को बोनस ग्रेच्युटिंग बकाया वेतन रिटर्निंग आदि की अबिलम्ब भुगतान की घोषणा नहीं की गयी।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10—उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए एक-दस में वेतनमान निर्धारण की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		11—पंचायतों व स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गयी।
		12—उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल स्तर की शिक्षा एवं परीक्षा में शुल्क प्रदान करने की घोषणा नहीं की गयी।
		13—कक्षा छः से कक्षा आठ तक संस्कृत की शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं की।
		14—प्रदेश के किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी को एक वर्ष से अधिक अस्थायी नहीं रखे जाने की घोषणा नहीं की गयी।
		15—समान कार्य के लिए समान वेतन एवं अन्य सुविधाओं की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		16—झांसी व ललितपुर में सीवर योजना के कार्यान्वयन की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		17—झांसी व ललितपुर जनपद में नदियों के किनारे पड़ी हुई भूमि को समतल करने, उनके किनारे विद्युतीकरण और सिचाई की सुविधा प्रदान करते हुए भूमिहीन गरीब किसानों के लिए उसी भूमि का आवंटन करने की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		18—झांसी व ललितपुर जनपद में विकास की दृष्टि से छोटे-छोटे कुटीर उद्योग एवं अन्य रोजगार देने की कोई विस्तार की घोषणा नहीं की गयी।
		19—जनता सरकार द्वारा जारी की गयी अन्त्योदय तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा मद्य निषेध के प्रसार का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
		20—झांसी व ललितपुर जनपद में ग्राम सभा स्तर पर प्राथमिक विद्यालय एवं 1000 से अधिक की आबादी वाले गाँवों में जूनियर हाई स्कूल की कोई व्यवस्था की घोषणा नहीं की गयी।
		21—बुन्देलखंड जैसे अधिक पिछड़े क्षेत्र को पर्वतीन क्षेत्र की तरह की सुविधा प्रदान करने तथा पर्वतीय विकास मन्त्रालय की तरह से पृथक मन्त्रालय बनाने की कोई घोषणा नहीं की गयी।
		22—झांसी एवं ललितपुर जनपद में आदिवासी-हरिजन आदि के बच्चों की शिक्षा के समुचित व्यवस्था तथा सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की कोई व्यवस्था करने की घोषणा नहीं की गयी।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23—झांसी व ललितपुर में नई नस्ल के दुग्ध पशुओं की सुधार योजना की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया।
		24—प्रदेश की 8720 न्याय पंचायतों पर अशोक मेहता कमेटी के अनुसार लघु उद्योग विकास केन्द्र की स्थापना तथा 1978 के अनुसार "चलो गाँव की ओर" आदर्श किसान नगर की घोषणा नहीं की गयी।
		25—अन्य प्रदेशों की भांति देशाटन सुविधा का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
		26—18 वर्ष की आयु के लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने की कोई बात नहीं की गयी।
		27—बुन्देलखंड विश्वविद्यालय को आवासी विद्यालय बनाया जाय इसका कोई उल्लेख नहीं है।
		28—झांसी जनपद में सभी एम0 काम0 तथा एम0 एस-सी0 की शिक्षा की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
		29—बुन्देलखंड उत्तर प्रदश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है इसके विकास के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया, न अलग मन्त्रालय की व्यवस्था की गयी।
		30—झांसी के विकास की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, इस क्षेत्र में पीने के पानी के संकट का कोई ध्यान नहीं किया गया।
		31—सूखे के समय झांसी क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनता प्रभावित थी, परन्तु उस क्षेत्र की जनता को राहत के लिए न तो कोई विशेष घोषणा और न सरकारी वसूलियों में ही कोई छूट की घोषणा की गयी।
		32—बुन्देलखन्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए बेरोजगारों को रोजगार देने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गयी।
19	श्री फखरे आलम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		1—विधान सभा चुनाव के दौरान प्रदेश के दो सलाहकारों के प्रोत्साहन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा वोट जबरन डलवाने या रुकवाने तथा बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन न किये जाने का उल्लेख नहीं किया है।
		2—प्रदेश में लोक सभा चुनावों के बाद से बलात्कार, हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि और इनको रोकने में प्रशासन की अक्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया है।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—प्रदेश में व्यवसाय परक शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की है।
		4—उर्दू को उचित स्थान दिलाने के लिए गुजराल आयोग की संस्तुतियों को तुरन्त लागू करने की घोषणा नहीं की हैं।
		5—समाज के कमजोर एवं निर्बल वर्ग तथा सभी राज्य कर्मचारियों के लिए सस्ते एवं अच्छे मकानों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया है।
		6—मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पुलिस एवं अन्य सेवाओं में उचित प्रतिशत में नौकरी देने व पदोन्नति करने की घोषणा नहीं की हैं।
		7—जनपद बदायूं में बदायूं-ककराला मार्ग तथा अलापुर से ककराला बढ़ाना होते हुये खेड़ा जलालपुर तक सड़क के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया है।
		8—ककराला में महिलाओं के लिए एक चिकित्सालय तथा छात्र-छात्राओं के लिए इंटर कालेज खोले जाने की घोषणा नहीं की है।
		9—ककराला ऐसा अकेला म्युनिसिपल टाउन है, जहाँ पुलिस थाना नहीं है वहाँ शीघ्र थाना के स्थापना की घोषणा नहीं की गई है।
		10—अधिवक्ताओं के लिए एक कल्याण कोष तथा उनके कार्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
20	श्री चेतराम गंगवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:—
		1—प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्ष से पड़े अभूतपूर्व सूखे के बावजूद भी कृषकों के लगान और आबपाशी का समाप्त करने की घोषणा नहीं की।
		2—समस्त प्रदेश में जनता सरकार के जमाने में हुए खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों, जिन पर केवल मिट्टी का कार्य हुआ है, को पक्का करने की घोषणा नहीं की।
		3—डीजल तथा खाद्य उर्वरक, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट आदि की कीमतें जो अभी विधान सभा के चुनाव के बाद अधिक हुई हैं, को कम करने और उनकी आपूर्ति को आश्वस्त करने की कोई घोषणा नहीं की।
		4—बरेली जिले के नवाबगंज तहसील में डिग्री कालिज स्थापित करने की घोषणा नहीं की।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5—बरेली जिले में तहसील नवाबगंज के ग्राम हंसा में तिवारी सरकार के जमाने में हुई स्वीकृत गन्ना मिल को अविलम्ब स्थापित करने या लाइसेन्स दिये जाने की घोषणा नहीं की ।
		6—जिला बरेली में तहसील नवाबगंज में ब्लाक भदपुरा में जो प्रदेश में सबसे पिछड़ा ब्लाक है, के विकास की घोषणा नहीं की ।
		7—जिला बरेली में ही तहसील नवाबगंज के ग्राम क्योलडिया से मौआ बाजार तक जिनकी आबादी तीन-तीन हजार है को आपस में सड़क से जोड़ने की घोषणा नहीं की ।
		8—जिला बरेली नगर जिसकी आबादी 10 लाख के लगभग है को नगरमहापालिका बनाने की घोषणा नहीं की ।
		9—जिला बरेली के टाउन एरिया सेंथल को स्पेशल ग्रान्ट देकर उसके विकास की घोषणा नहीं की ।
		10—प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चोरियों, डकैतियों, हत्याओं एवं राहजनी आदि पर नियंत्रण पाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने तथा पुलिस जनों की ज्यादतियों, अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार पर काबू पाने हेतु नागरिक सेल जिसका मुख्य अधिकारी, ब्लाक प्रमुख अथवा विधायक हो, के गठन की घोषणा नहीं की ।
		11—रुहेलखंड डिवीजन में सिंचाई विभाग अंग्रेजी शासन काल से चले आ रहे चक्रधान नामक व्यवस्था जिसमें कृषक को बिला नहर से आबपाशी किये ही सिंचाई महसूल देना होता है की समाप्ति की घोषणा नहीं की ।
		12—प्रदेश के जिला बाराबंकी म हरिजन महिला के साथ और मेरठ में बागपत में महिला के साथ अभद्र अमानवीय व्यवहार तथा बलात्कार तथा मारपीट एवं दो व्यक्तियों को जान से मार देने के बारे में तथा अल्मोड़ा में कफल्टा में हरिजन बरातियों को जिन्दा जलाकर मार दिये जाने और जिला बरेली के थाना नवाबगंज में 22–23 जून, 80 तिथि को टाउन एरिया के जमादार श्री खोराम को उसके घर से पकड़कर पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने तथा बस्ती के सभी बाल्मीकि हरिजनों को आतंकित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया ।
		13—बरेली जिला चिकित्सालय में पिछले दो वर्षों से अनक बार डाक्टरों द्वारा विधायकों, पत्रकारों, मरीजों तथा नर्सों को पीटे जाने, उनके साथ झगड़ा करने और अवैधानिक तरीके से हड़ताल कर मरीजों का जान से खिलवाड़ करने के बारे में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14—वर्ष 1980–81 में गन्ने का मूल्य 25 रुपया प्रति कुन्टल करने की घोषणा नहीं की।
		15—प्रदेश भर में कृषि कार्य हेतु 24 घंटे लगातार बिजली देने की घोषणा नहीं की।
21	श्री घनीराम वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		इटावा के विकास की चर्चा नहीं की।
22	श्री राम कृष्ण	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया —
		1—लोक सभा चुनाव के बाद प्रदेश विधान सभा को भंग कर सलाहकारों के द्वारा शासन सत्र सम्हालने के दौरान की गयी अनियमितताओं की जाँच निष्पक्ष ढंग से करायी जायगी।
		2—प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद महिलाओं से बलात्कार, पुलिस की निरंकुशता तथा निर्बलों व हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और शासन इनको रोकने में अक्षम साबित हुआ है।
		3—बेरोजगार स्नातकों की कम से कम सौ रुपए मासिक भत्ता दिए जायगा।
		4—प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति तथा सभी वेतन मान 1 और 10 के अनुपात में निर्धारित किये जायेंगे।
		5—प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधान मंडल के सदस्यों, उच्चाधिकारियों तथा व्यावसायिक फर्मों एवं कंपनियों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों के लिए वेतन, आय और कीमतों में समन्वय करते हुए आमदनी और खर्च की एक निश्चित सीमा रेखा बनायी जायगी।
		6—गन्ना उत्पादकों को गन्ना आपूर्ति के बकाया मूल्य का भुगतान अविम्बल कराया जायगा।
		7—काँठ क्षेत्र में महिला अस्पताल और रजकपुर गाँव में एक अस्पताल के निर्माण और क्षेत्र में सूती मिल लगाने के संबंध में।
		8—हिडौली से खाना तक पक्की सड़क के निर्माण एवं क्षेत्र में संपर्क मार्गों के सम्बन्ध में।
		9—हरिजन बहुल गाँवों में विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
23	श्री फिरगी प्रसाद विशारद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में——

1——विधान सभा के लिए चुनाव के सिलसिले में प्रदेश में हुई हत्याओं, मारपीट एवं बलपूर्वक विरोधी दलों के प्रत्याशियों को हराये जाने आदि की गम्भीर मामलों में कोई चर्चा नहीं की गयी ।

2——कानून व व्यवस्था की दिनोंदिन बिगड़ती स्थितियों से निपटने हेतु किसी ठोस बात को नहीं कहा गया ।

3——समाज के कमजोर वर्ग–हरिजनों, महिलाओं तथा अल्प संख्यकों एवं पद दलितों की प्रतिष्ठा, जीने योग्य परिस्थितियों में रखने, अत्याचार आदि से बचाने का कोई विशिष्ट रास्ता नहीं बताया गया है ।

4——किसानों के प्रयोग में आने वाली खाद, बीज, कृषि यन्त्र, कीट नाशक दवाओं आदि के मूल्य घटाने पर कोई चर्चा नही है ।

5——दिनों दिन आवश्यक वस्तुओं के दाम बाजार में बढ़ने से जनता के विशेष रूप से त्रस्त होने का उल्लेख नहीं है ।

6——प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में सुधार का कोई ठोस प्रयास नहीं बताया गया है ।

7——अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाले धोबी जाति के लोगों को उनके व्यवसाय को जीवित रखने हेतु धोबी घाट, ऊसर भूमि का आवंटन (धोबी नाम पर), कपड़े सुखाने हेतु जमीन पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित करने, सस्ते दर पर सोडा, साबुन उपलब्ध कराने की कोई बात नहीं है ।

8——जनपद गोरखपुर के महाराजगंज क्षेत्र में आवागमन के लिए उपयोगी सड़कों के अभाव, चिकित्सा व्यवस्था की कमी, जल लगाव की समस्या, जंगलों एवं बाहर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के सुधार, बलिया नाला को उपयोगी स्वरूप देने, महाराजगंज को टाउन एरिया बनाने आदि अनेक बातों पर कोई चर्चा नहीं है ।

9——प्रदेश की बाढ़ से रक्षा करने हेतु एवं अन्य कोई उपयोगी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया ।

10——बेकारी (शिक्षित एवं अशिक्षित) की समस्या के हल का कोई निदान नहीं बताया गया है ।

11——काम के बदले अनाज योजना में बनी सड़कों के रखरखाव तथा इसे उपयोगी स्तर प्रदान करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
24	श्री बल्देव सिंह आर्य	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में— 1—हरिजन, पिछड़े वर्ग, अल्प संख्यक और समाज के दुर्बल अंगों पर होने वाले उत्पीड़न और अत्याचार के रोक-थाम की किसी निश्चित योजना का उल्लेख नहीं किया गया। 2—कफलटा नामक स्थान पर जिसे किसी समय पहाड़ की बारदोली कहा जाता था की, और हरिजनों को जिन्दा जलाए जाने के लोम हर्षण काण्ड की कोई चर्चा नहीं की गयी है और न तो वहाँ पर सामान्य वातावरण के सृजन की दिशा में ही कोई ठोस कदम उठाए जाने का उल्लेख किया गया। 3—उत्तरकाशी के ज्ञानसू नामक स्थान पर भू-स्खलन के कारण अनेक घरों के ध्वस्त होने और बहु-संख्यक व्यक्तियों के धन-जन की क्षतिपूर्ति और उनके पुन-र्वास तथा भविष्य में भूस्खलन रोकने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया। 4—पर्वतांचल की दिन प्रतिदिन गिरती हुई आर्थिक स्थित तथा उसके बहुमुखी विकास के लिए किसी ठोस योजना का प्रारूप प्रस्तुत नहीं किया गया।
25	श्री बदन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— परन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में— 1—गत विधान सभा चुनाव के प्रसंग म प्रशासन तन्त्र ने खुल कर राजनीति में भाग लिया और स क्ष को जिताने में मदद की, इसकी निन्दा नहीं की गयी। 2—पुलिस प्रशासन ने जगह-जगह पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं को मारा-पीटा और गिरफ्तार किया, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की घोषणा नहीं की गयी। 3—आगरा जनपद के सामरा और दाउदपुर गाँवों में लगे राजकीय नलकूपों को बिजली देने की चर्चा नहीं की गयी। 4—आगरा जनपद में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने की घोषणा नहीं की गयी। 5—आगरा जनपद में चौकोरा के घाट पर खारी नदी पर पुल बनवाने की घोषणा नहीं की गयी। 6—किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलवाने और उनके कृषि कार्यों में काम आने वाले यन्त्रों खाद तथा कृषि प्रयोग में आने वाले पदार्थों की कीमत पर नियन्त्रण करने की चर्चा नहीं की गयी।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7---शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की चर्चा नहीं की गयी।
		8---पेयजल संकट को आगरा जनपद में दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया।
		9---ग्रामों, मजदूरों और श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कोई स्पष्ट नीति की चर्चा नहीं की गयी।
		10--जन-सुरक्षा के लिए आगरा जनपद की तहसील किरावली सीमा पर स्थित सामरा, जैंगारा और हसेन्ला आदि ग्रामों में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा नहीं की गयी।
		11--उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा की तहसील किरावली में किसान के खेत-खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया।
		12--पुलिस द्वारा जन जीवन को त्रस्त करने और उस पर झूठ मुकदमे चलाने तथा पुलिस की निष्क्रियता तथा कर्तव्य हीनता की चर्चा नहीं की गयी।
26	श्री श्यामनारायण तिवारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के लिये कुछ नहीं कहा---
		1---सीलिंग कानून को प्रभावी ढंग से लागू करके भूमिहीन हरिजन व दुर्बल वर्गों को जमीन बाँटी जावेगी तथा आवंटित जमीन पर कब्जा तत्काल दिलाया जायगा।
		2---मजदूरों को साझेदारी प्रदान करने हेतु उचित कदम उठाये जायेंगे तथा वेतन व बोनसों में उचित सुधार किया जायगा।
		3---उर्दू को राज्य की दूसरी राज्य भाषा करार दिया जायगा साथ साथ मकतबों के एड व उर्दू के पढ़ाई के लिये उचित अनुदान निश्चित किया जायगा।
		4---वन विभाग में कार्यरत ठूठ लिपिकों व छोटे कर्मचारियों को नियमित किया जायगा और टागिया मजदूरों के वेतन जमीन एवं मकान की व्यवस्था की जायेगी।
		5---बेसिक शिक्षकों की दशा में सुधार हेतु उचित कदम उठाये जाएंगे।

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 123 वि0 सभा (225)---1981---813।